मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा चतुर्थ सत्र

दिसम्बर, 2014 सत्र

बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

(19 अग्रहायण, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 5] [अंक- 3]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

(19 अग्रहायण, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

1. तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर.

डॉ नरोत्तम मिश्र – माननीय अध्यक्ष महोदय आज कालूखेड़ा जी इतने गंभीर हैं ऐसा लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनको मिल गई है.

श्री उमाशंकर गुप्ता – आजकल कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि जो पहले आ जाय वह नेता प्रतिपक्ष.

दतिया जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को प्राप्त राशि एवं व्यय

1. (*क्र. 529) **श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जिला दतिया में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को वर्ष 2011-12,12-13 एवं 13-14 में शासन से कितनी राशि प्राप्त हुई, व इस राशि को विभाग ने तीनों विकासखण्डों में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की, बिन्दुवार व मदवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) विधानसभा क्षेत्र सेंवढ़ा में कितनी नल-जल योजनायें अभी तक स्वीकृत हुई हैं, एवं उनमें से कितने का कार्य पूर्ण किया जाकर उक्त योजना अंतर्गत जल प्रदाय का कार्य चालू कर दिया गया है, तथा कितनी योजनायें अपूर्ण हैं एवं कब तक पूर्ण कराई जावेंगी दिनांक से अवगत करावें ? (ग) जो नल-जल योजनायें विभागीय रूप से पूर्ण कराकर हस्तांतरित की जा चुकी हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं ? वर्तमान में सेंवढ़ा विकास खण्ड अंतर्गत कितनी नल-जल योजनायें किन-किन कारणों से बन्द हैं, एवं उनको चालू कराने के लिये विभागीय स्तर से क्या प्रयास किये गये हैं, क्या नल-जल योजना चालू रखने के लिये राज्य स्तर से आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये जावेंगे ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-1** अनुसार । (ख) 58 योजनाएं स्वीकृत, 34 पूर्ण । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-2 (क) एवं 2 (ख)** अनुसार । (ग) संबंधित ग्राम पंचायत/जल उपभोक्ता समिति द्वारा संचालन-संधारण किया जाता है तथापि स्रोत असफल होने से बंद योजनाओं में सफल स्रोत विकसित करने का दायित्व विभाग का है । बंद योजनाओं से संबंधित विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-3** अनुसार है । योजनाओं को चालू रखने के लिये पृथक से निर्देशों की आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रदीप अग्रवाल –माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में जो जानकारी दी गई है वह अधूरी एवं असत्य है. इसमें मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जो योजनाएं बंद हैं उनका कारण सहित उत्तर दें. जबकि इसमें अपूर्ण योजनाओं की जानकारी तो दी गई है लेकिन जो बंद हैं उनकी जानकारी नहीं दी गई है. जो 34 योजनाएं चालू हैं उनमें से अधिकांश योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं पहुंची हैं. एक दो योजनाओं को छोड़कर किसी भी योजना का लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल रहा है. मेरा प्रश्न यह है कि इन योजनाओं की भोपाल की उच्चस्तरीय समिति से जांच करा ली जाय और दोषियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाय.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले – माननीय अध्यक्ष महोदय संपूर्ण जानकारी प्रपत्रों में दी गई है. माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि कृपा करके प्रपत्रों का भी अवलोकन कर लें. 34 योजनाओं में से 29 चालू हैं, 5 बंद है, 2 स्त्रोत सूखने से, 1 विद्युत अवरोध की वजह से और 1 पंचायत के द्वारा नहीं चलायी जा रही है. जो नहीं चल रही हैं उसकी विभाग की जिम्मेदारी है मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि अतिशीघ्र चालू कर दी जायेंगी.

श्री प्रदीप अग्रवाल – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि योजनाओं की जांच करा ली जाय. यह योजनाएं बंद हैं और इनमें से कोई भी आज तक धरातल पर चालू नहीं हुई हैं. सिर्फ कागजों में यह योजना चालू है.

सुश्री कुसुमसिंह महदेले – माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इससे सहमत नहीं हूं.

श्री प्रदीप अग्रवाल – आप जांच करा लें सहमति और असहमति सामने आ जायेगी.

सुश्री कुसुमसिंह महदेले – जांच कराने के बाद ही मैंने यह उत्तर प्रस्तुत किया है. मैं यहां पर गलत जानकारी नहीं दूंगी.

श्री प्रदीप अग्रवाल - अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ टीम भेजकर जांच करा लें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - अध्यक्ष महोदय, सदन में कोई असत्य जानकारी थोड़े ही दूंगी.

श्री प्रदीप अग्रवाल - अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ टीम भेजकर जांच करा लें, सारी बात सामने आ जाएगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - अध्यक्ष महोदय, ठीक है जांच करा लेंगे, अगर आप कहते है.

अध्यक्ष महोदय - जो योजनाएं बंद हैं, उनकी जानकारी आप माननीय मंत्री जी को दे दें तो उनकी जांच हो जाएगी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - अध्यक्ष महोदय, 5 योजनाएं बंद हैं, कोई बिजली की वजह से, किसी का स्रोत सूख गया है इनकी हम जांच करा लेंगे और चालू कर देंगे.

श्री प्रदीप अग्रवाल - अध्यक्ष महोदय, सारी योजनाएं बंद हैं.

भण्डार सामग्री व लेखे में अनियमितता

2. **(*क्र. 754) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या पशुपालन मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि पी.एच.ई. उपखण्ड, श्योपुर, जिला श्योपुर के भंडार प्रभारी उपयंत्री की लापरवाही के कारण 3 करोड़ की भंडार सामग्री की क्षति व दिसम्बर 2011 से अक्टूबर 2012 तक की अवधि का भंडार लेखा संधारित न करने के मामले में आयुक्त ग्वालियर द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है ? (ख) यदि हां, तो जांच के आदेश किस दिनांक को जारी किए गए ? जांचकर्ता अधिकारी का नाम/पदनाम बतावें ? जांच के बिन्दु क्या हैं ? क्या जांच पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो कौन दोषी पाया गया, के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो जांच कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के क्या-क्या कारण हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में सहायक यंत्री द्वारा भंडार नियमों के अनुसार भंडार का भौतिक सत्यापन किस-किस दिनांक को किया गया के अनुसार भंडार में सामग्री की उपलब्धता/अनुपलब्धता अथवा क्षति के संबंध में तथा

भंडार प्रभारी से भंडार लेखा संधारित कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में स्टोर में 3 करोड़ की सामग्री की क्षति नहीं हुई बल्कि सहायक यंत्री व स्टोर प्रभारी उपयंत्री द्वारा षड़यंत्रपूर्वक अनियमित तरीके से पूरी सामग्री को विक्रय कर शासन को क्षति पहुंचाई गई है ? इस तथ्य को तथा प्रश्नांश (ग) में वर्णित तथ्य को भी जांच के दायरे में लेकर क्या अब जांच कार्य समय सीमा में पूर्ण करवाकर दोषियों के विरूद्ध शासन कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (सुश्री कुसुम सिंह महदेले) : (क) जी नहीं । विभागीय जांच आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा संस्थित की गई है । (ख) दिनांक 10 मई 2013 को जांच के आदेश जारी किए गए है । कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर के विभागीय जांच शाखा के (पदेन) प्रभारी अधिकारी को जांचकर्त्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है । शासकीय कार्यो के प्रति उदासीनता, कर्त्तव्य निर्वहन मेंं लापरवाही, भंडार मेंं प्राप्त व इश्यू सामग्री का लेखा जोखा न देना, ठेकेदारों को सामग्री व साइट न देना, शराब के नशे मे रहना एवं केन्द्रीय भण्ड़ार प्रभारी के कार्यकाल मेंं सामग्री की चोरी होने के बिन्दुओं पर जांच की जा रही है । जांच प्रक्रियाधीन है, अतः दोष निर्धारण किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है जांच के निष्कर्षो के आधार पर कार्यवाही की जाएंगी । (ग) भण्डार प्रभारी उपयंत्री द्वारा मासिक लेखा प्रस्तुत न करने के कारण भौतिक सत्यापन सहायक यंत्री द्वारा नहीं किया जा सका । भण्डार प्रभारी उपयंत्री को भण्डार लेखा संधारित करने हेतु सहायक यंत्री द्वारा समय समय पर निर्देशित किया गया है । (घ) जी हॉ, जी नहीं । जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएंगी ।

श्री दुर्गालाल विजय - अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न श्योपुर पीएचई विभाग में 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का समान अधिकारियों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक विक्रय करके राशि अपने हित में उपयोग करने को लेकर है. माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में यह तो स्वीकार किया है कि विभाग में 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सामान अधिकारियों ने विक्रय कर दिया है, इसको लिखित में स्वीकार किया है. मेरा निवेदन है कि जब यह स्वीकार कर लिया गया है कि 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सामान अधिकारियों ने विक्रय कर दिया है, षड्यंत्रपूर्वक किया है, स्वयं के उपयोग में लिया है. फिर उनके खिलाफ कार्यवाही करने में किस प्रकार की हिचकिचाहट हो रही

है, क्या कारण है कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पा रही है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह जो लेखा-जोखा सामान के आने का और सामान दिये जाने का संधारित होता है. लगभग 1 वर्ष तक यह लेखा-जोखा संधारित नहीं हुआ. इसका कोई रिकॉर्ड वहां पर नहीं है. उसके बारे में मैंने प्रश्न किया है तो उन्होंने कहा है कि इसकी जांच चल रही है. मैं यह निवेदन माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि इस उपयंत्री की खिलाफ आपने 3 करोड़ रुपए से अधिक के सामान को खुर्द-बुर्द करने की एफआईआर दर्ज कर दी है, फिर इसमें जांच की क्या आवश्यकता है? इसको निलंबित क्यों नहीं किया जाता है.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - अध्यक्ष महोदय, प्रकरण में दिनांक 10.7.13 को उपखंड श्योपुर द्वारा थाना श्योपुर में एफआईआर दर्ज हुई. इसका न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो गया है और इसको निलंबित भी कर दिया है. अब माननीय सदस्य और जो जानकारी चाहते हों, वह मैं दे सकती हूं.

श्री दुर्गालाल विजय - अध्यक्ष महोदय, इसमें जो मूल आरोपी है, वह सहायक यंत्री है. उसको बचाने के लिए अधिकारियों ने बहुत ही चतुरतापूर्ण तरीके से उत्तर दिया है. मेरा निवेदन यह है कि सहायक यंत्री उस स्टोर का हर महीने सत्यापन करता है. मैंने पूछा है कि क्या सहायक यंत्री ने सत्यपान किया तो आपने कहा कि समय-समय पर निर्देश दिये हैं. माननीय मंत्री जी मुझे बताएं कि किस तारीख को कब उन्होंने निर्देश दिये और जब 1 वर्ष तक इसका पालन नहीं हुआ तो क्या वरिष्ठ अधिकारियों को कभी सहायक यंत्री ने लिखा है?

अध्यक्ष महोदय - आप सीधे प्रश्न कर दें.

श्री दुर्गालाल विजय - अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि सहायक यंत्री के खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? और माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उसको आज ही सदन में निलंबित करें. क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उसकी थी और उन्होंने समय पर ठीक से लेखा-जोखा संधारण करने की कार्यवाही नही की और जानते हुए भी सामान विक्रय हो रहा है, उस पर नियंत्रण नहीं किया. इस

कारण से क्या सहायक यंत्री को यहां सदन में निलंबित करेंगे, वह इतनी बड़ी राशि का सामान लेकर गायब हो गया.

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि जब सहायक यंत्री की जिम्मेदारी थी और उन्होंने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - अध्यक्ष महोदय, स्टोरकीपर सब-इंजीनियर होता है और स्टोरकीपर ने ही गड़बड़ी की. हमने स्टोरकीपर सब-इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही की है और जो सहायक यंत्री है उसने तो समय-समय पर जानकारी दी और उसकी जानकारी के मुताबिक ही हमने कार्यवाही की है तो निर्दोष को निलंबित करवाकर आखिर फायदा क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न क्रमांक 3 श्री यशपाल सिंह सिसोदिया..

श्री दुर्गालाल विजय - अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया.

अध्यक्ष महोदय - उत्तर आ गया. आप जिद नहीं करें, आप कृपया दूसरों को प्रश्न पूछने दें.

श्री दुर्गालाल विजय - दूसरे प्रश्न पूछें, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाय.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले - अध्यक्ष महोदय, हमने राजेन्द्र सिंह को निलंबित कर दिया है.

श्री दुर्गालाल विजय-- अध्यक्ष महोदय, इसमें जो उत्तर दिया है उसको आप देखें. इसमें जब यह बात आयी है कि संधारण की जिम्मेदारी सहायक यंत्री की है और उस जिम्मेदारी से माननीय मंत्री जी उसको बचा रहे हैं. हमारा यह कहना है कि सहायक यंत्री इसके लिये पूरी तरह से जिम्मेदार है. उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए. उसने तीन करोड़ से अधिक राशि का सामान विक्रय करा दिया है.

अध्यक्ष महोदय—अब आप बैठ जाईये.

श्री दुर्गालाल विजय- अध्यक्ष महोदय जिसकी जिम्मेदारी थी और जिसको लेखा जोखा संधारित करने के लिए..

अध्यक्ष महोदय- अब आप कृपया बैठ जायें.

श्री दुर्गालाल विजय—अध्यक्ष महोदय, अब आप मेरी एक प्रार्थना सुनिये ,मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय- यह बात ठीक नहीं है. आपका प्रश्न आ गया, आपको पूरा समय दिया.

श्री दुर्गालाल विजय—अध्यक्ष महोदय जो उत्तर आया है उसको पढ़ कर तो मुझे सुनाने दीजिए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—श्री दुर्गालाल जी अब जो बोलेंगे वह नहीं लिखा जाएगा. प्रश्न क्रमांक (3)

श्री बहादुर सिंह चौहान—अध्यक्ष महोदय, इसमें गुनाहगार तो वरिष्ठ अधिकारी ही होता है. छोटा तो उनके निर्देश पर काम करता है. अध्यक्ष महोदय, वास्तव में उसको निलंबित होना चाहिए. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाएं, मंत्रीजी कुछ कह रही हैं. आप बात तो सुन लें.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले- अध्यक्ष महोदय, हमने जांच करा ली है, सहायक यंत्री दोषी नहीं है. उसने समय समय पर सूचना दी है. तभी हमने उपयंत्री को निलंबित किया. उसके खिलाफ FIR की. अगर आप इससे भी संतुष्ट नही हैं तो हम सहायक यंत्री की भी जांच करा लेंगे. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय- साफ उत्तर आया है अब नहीं बोलेंगे.दुर्गालाल जी आप बैठ जायें.

श्री दुर्गालाल विजय—अध्यक्ष महोदय, हम इतना पूछना चाहते हैं कि यह मामला तीन करोड़ से अधिक के घोटाले का मामला है और इसमें सहायक यंत्री को बचाने की कार्यवाही की जा रही है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—प्रश्न क्रमांक (3) (व्यवधान) आप पूछिये,उनको बोलने दीजिए उनका कुछ नहीं लिखा जाएगा.

श्री दुर्गालाल विजय- (xxx)

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—अध्यक्ष महोदय, स्टोरकीपर,जिसने सामान बेचा है ,गड़बड़ी की है उसकी हमने FIR की है.

श्री दुर्गालाल विजय- (xxx)

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाईए, कुछ नहीं लिखा जाएगा. प्रश्न क्रमांक (3) (व्यवधान) श्री दुर्गालाल विजय जो कुछ भी बोलेंगे वह कुछ नहीं लिखा जाएगा. माननीय सदस्य आपसे अनुरोध है कि आप व्यवधान न डालें. प्रश्न(3) के अतिरिक्त किसी सदस्य का कुछ नहीं लिखा जायेगा.

श्री दुर्गालाल विजय—(x x x)

श्री बहादुर सिंह चौहान- (x x x)

श्री कालूसिंह ठाकुर - (x x x)

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

कावेरी गृह निर्माण समिति की भूमि का सीमांकन

3.

(*क्र. 1111) श्री जालम सिंह पटेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2 जुलाई, 2014 के ता. प्रश्न संख्या-8, (क्र. 1259) के प्रश्नांश (क) के उत्तर में कावेरी गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि का सीमांकन 17/09/2011 को किए जाने संबंधी उत्तर दिया गया था ? तो उक्त सीमांकन की प्रति उपलब्ध कराएं ? (ख) क्या उक्त सीमांकन की प्रति, अक्स एवं फीड बुक की प्रति समिति को प्रदाय कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? कब तक प्रदाय कर दी जाएगी ? (ग) उक्त सीमांकन हेतु कावेरी गृह निर्माण सहकारी समिति को किस दिनांक को सीमांकन हेतु उपस्थित रहने हेतु पत्र प्रेषित किया गया ? समिति एवं प्रशासन की ओर से कौन-कौन उपस्थित हुए ? पत्र एवं पंचनामा की प्रति भी उपलब्ध कराएं ? (घ) माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तारतम्य में समिति की भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ड.) यह भी बताएं कि न्यू वल्लभ गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल द्वारा सीमांकन हेतु कब आवेदन किया गया एवं सीमांकन कब किया गया ? (च) क्या यह सही है कि समिति की ओर से सीमांकन कराने हेतु माननीय मंत्री, राजस्व को पत्र प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अभिलेखानुसार । (ख) सीमांकन प्रकरणों की सत्य प्रतिलिपि लिये जाने के प्रावधान होने से आवेदक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर निर्धारित समय-सीमा में वांछित अभिलेख की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाती है । (ग) सीमांकन दिनांक 17-9-2011 हेतु समस्त हितबद्ध पक्षकारों को आवेदित सीमांकित स्थल पर उपस्थित होने बाबत सूचना पत्र दिनांक 14-9-2011 को अधीक्षक भू- अभिलेख द्वारा जारी किया गया है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अभिलेखानुसार । (घ) माननीय उच्च न्यायालय की डब्ल्यू. ए. नम्बर 901/2013 में पारित आदेश दिनांक 02-04-2014 के आदेशानुसार याचिकाकर्ता शर्मा एवं सिग्नेशन बिल्डर्स विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में अनुविभागीय अधिकारी तथा नगर पालिका कोलार के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के बाद जांच उपरान्त याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण करने संबंधी निर्देश दिये हैं । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में आवेदक संस्था/याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी । (ङ.) संबधित वर्ष में उक्त संस्था का सीमांकन का कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है । तथापि इस हेतु किसी व्यक्ति ने आवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं इसकी खोज कराई जा रही है । (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया- अध्यक्ष जी मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा. गृह निर्माण समितियों का जब गठन हो जाता है और गृह निर्माण समितियों के माध्यम से अनेक लोग ठगे से महसूस होते हैं.

अध्यक्ष महोदय- आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सीधे प्रश्न पर आएं,

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया- अध्यक्ष महोदय, दो मिनट की भूमिका है, कावेरी गृह निर्माण समिति का यह मसला कोई नया मसला नहीं है. कई बार यह मामला हाऊस में आया है और कावेरी गृह निर्माण समिति में जिन लोगों ने पंजीयन कराया था वो अतिक्रमण के नाम के कारण आज तक अधिपत्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं. वे लोग चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गये हैं ,उनको न्याय नहीं मिल रहा है. अध्यक्षजी इस सोसायटी की भूमि पर सिगनेचर ग्रुप ने कब्जा कर रखा है. अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, जो मुझे उत्तर मिला है कि उसका 17.9.2011 को सीमांकन कर लिया गया है. लेकिन इस सीमांकन का आवेदन जिस व्यक्ति ने दिया है वह व्यक्ति आवेदन देने के

लिए एन्टाईटल (पात्र) नहीं था और उस भूमि पर अतिक्रमण हो गया है , राजस्व अधिकारियों ने जो मौके पर जाकर के जो कार्यवाही की उसके बारे में प्रतिवेदन में स्पष्ट आया है कि कावेरी गृह निर्माण समिति की भूमि पर सिगनेचर ग्रुप ने कब्जा कर लिया है. अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से एक प्रश्न है कि जिसका सीमांकन कराया जा चुका है उस सीमांकन को लेकर के क्या पृथक से आप एक जांच कमेटी बना देंगे. आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है कि सीमांकन की प्रति , अक्स एवं फीड बुक की प्रति की मांग संस्था द्वारा कई बार की जा चुकी है. इसको देने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये.

अध्यक्ष महोदय- आप सीधे प्रश्न पूछ लीजिए कि देंगे क्या?

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया- अध्यक्षजी मेरा प्रश्न यही है कि जो चीज सूचना के अधिकार के माध्यम से और अन्य माध्यमें के माध्यम से मिल रही है ,अध्यक्ष जी,इस पूरे सीमांकन की प्रतियां ,अक्स एवं फीड बुक की प्रतियां दिलवायेंगे क्या?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) – माननीय अध्यक्ष महोदय, वे आवेदन कर दें, हम तुरंत कापी दिलवा देंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया – माननीय अध्यक्ष जी, आवेदन तो दिए हुए हैं. मैं तो मंत्री जी से चाहता हूँ कि एक हफ्ते में कापियां मिल जाएंगी या 15 दिन में मिल जाएंगी, वे आश्वासन दे दें.

अध्यक्ष महोदय – वे तो तुरंत देने की बात कह रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया – माननीय अध्यक्ष जी, आवेदन तो दे रखा है.

श्री रामपाल सिंह –अध्यक्ष महोदय, एक तरफ कह रहे हैं कि आवेदन दूसरे ने कर दिया, जिनकी जमीन है, वे आवेदन करें हम तुरंत उनको कापी दिलवा देंगे.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया – अध्यक्ष महोदय ...

अध्यक्ष महोदय – इसमें जिद करने की क्या बात है, वे हां कर रहे हैं आपके प्रश्न के उत्तर में.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया – माननीय मंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. साथ ही जिस भूमि पर सिग्नेचर ग्रुप ने कब्जा कर लिया है जो प्रतिवेदन में आया है, उसको तो आप कम से कम क्लियर करवा दें.

श्री रामपाल सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो जालम सिंह जी की जगह सिसोदिया जी आ गये, वही पूछ रहे हैं, ऐसा ही मेरा निवेदन है कि मूल जमीन जिसकी है वह आवेदन कर दें, हम दिलवा देंगे. (हंसी)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया – माननीय अध्यक्ष जी, जालम सिंह ने यशपाल सिंह को अधिकृत किया और रामपाल सिंह जवाब दे रहे हैं, तीनों सिंह मिल गए हैं.

(हंसी)

पांढुर्ना में SDM कार्यालय में पदों की पूर्ति

4. (*क्र. 989) श्री नाना भाऊ मोहोड़ : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छिन्दवाड़ा जिले की तहसील पांढुर्ना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM) का कार्यालय प्रारंभ किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में यहां पर कुल कितना स्टॉफ स्वीकृत है ? स्वीकृत स्टाफ के विरूद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यालय में पदों की पूर्ति नहीं की गई है ? जिससे कार्य प्रभावित/विलंब हो रहा है ? कब तक पदों की पूर्ति कर दी जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी हां । यह सही है कि छिन्दवाड़ा जिले की तहसील पार्ढुना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एस.डी.एम) का कार्यालय प्रारंभ किया गया है । वर्तमान में यहां कोई स्टाफ की स्वीकृति नहीं है । तहसील के स्टाफ से कार्य लिया जा रहा है । (ख) जी नहीं, तहसील स्टाफ से कार्य लिये जाने से शासकीय कार्य में विलम्ब/एवं कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है, पद पूर्ति समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

श्री नाना भाऊ मोहोड़ – माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.डी.एम. कार्यालय पांढुर्ना 20 वर्ष से प्रारंभ है. वर्तमान में कितना स्टॉफ स्वीकृत है, नहीं तो कब तक पूर्ति की जाएगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) – माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुविभागीय अधिकारी पद पर राजस्व विभाग के दो अधिकारी अभी काम कर रहे हैं, माननीय मोहोड़ साहब का आग्रह है तो शीघ्र पदों की पूर्ति कर देंगे.

अध्यक्ष महोदय – जहां-जहां भी कमी हो वहां एस.डी.एम. कार्यालय में.

श्री रामपाल सिंह – और प्रदेश में भी ऐसी कोई शिकायत आएगी तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पदों की पूर्ति हो जाए.

डॉ. कैलाश जाटव – गोटेगांव में अनुविभागीय अधिकारी चाहिए भाई सहाब, लेटर दिया हुआ है.

श्री रामपाल सिंह – आ गया है लेटर.

कार्यों की जानकारी विषयक

5. (*क्र. 497) श्री मधु भगत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा जिला बालाघाट में वर्ष, 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस मद से कब-कब करवाये गये ? नियुक्त कार्य एजेंसी के नाम सहित विकासखण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ख) बालाघाट जिले में कृषि विभाग द्वारा 2011 से अब तक कितने कृषकों को कृषि उपकरण दिया गया है, या प्रदाय किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उनका कृषि स्त्रोत से क्या अनुमोदन लिया गया है ? इनका बाजार मूल्य क्या है एवं किसानों को दिये गए सामानों का मूल्य क्या है ? दोनों के मूल्य में क्या अंतर है ? अंतर के लिए कौन दोषी है ? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? की गई कार्यवाही से अवगत करावें ? (घ) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी में माल आने उसको नीलाम करने, उसके रखने का किसानों से शुल्क वसूल किया जाता है ? इस संबंध में कौन-कौन से नियम/ निर्देश/ आदेश वर्तमान परिपत्र में प्रचलित हैं एवं लागू है ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ख) विभाग द्वारा बालाघाट जिले में विभिन्न योजनांतर्गत निहित प्रावधान अनुसार 1537 कृषकों को कृषि उपकरण प्रदाय किये गये । (ग) पात्र हितग्राहियों का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से लिया जाता है । शेष प्रश्न नहीं उठता । (घ) जी नहीं, शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है ।

श्री मधु भगत – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से मैंने कुछ सवाल किये थे, जिनके संदर्भ में जो जवाब आये हैं, उसमें बालाघाट जिले में कृषि विभाग द्वारा 2011 से अब तक कितने कृषकों को उपकरण दिए गए या प्रदाय किए गए. प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उनका कृषि स्त्रोत से क्या अनुमोदन लिया गया, इनका बाजार मूल्य क्या है इसका किसी भी प्रकार का कोई जवाब प्रॉपर नहीं आया, जबकि कृषि उपकरणों में शासन हितग्राहियों को 50 प्रतिशत की राशि दे रही जबकि बालाघाट जिले में कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए वर्षों से दो ही एजेंसियां नियुक्त हैं-आदर्श कृषि उपकरण तथा महावीर एजेंसी को ही निर्धारित किया गया है, इन दो एजेंसियों में जो कोटेशन दिए जाते हैं, वे बाजार मूल्य से 20 से 25 प्रतिशत ऊपर होते हैं, अगर ऐसे में किसान सीधा पैसा लेकर के कृषि उपकरण केन्द्र जाएगा और कृषि से संदर्भित कोई भी वस्तु लेता है वह 20 परसेंट हमको ऊपर से मिलती है.

अध्यक्ष महोदय – आप सीधे प्रश्न करें.

श्री मधु भगत – माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सीधा मानना है माननीय मंत्री से आपके द्वारा शासन ने बालाघाट में सिर्फ दो ही एजेंसियों का चयन क्यों करके रखा है और अगर चयन किया गया है तो क्या इनकी निविदा बुलाई गई है या सीधे शासन द्वारा चयनित किया गया है और इन उपकरणों के ऊपर जो भारी भ्रष्टाचार हो रहा है 20 से 30 प्रतिशत अगर हम कोटेशन के ऊपर से.

अध्यक्ष महोदय – वह बात आ गई है आपकी. माननीय मंत्री जी जवाब दें.

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) – माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश शासन ने किसान को स्वतंत्र रखा है कि वह स्वत: अधिकृत डीलर से उपकरण खरीद सकता है अथवा एग्रो से भी ले सकता है. बालाघाट में जो पंजीबद्ध डीलर हैं, उन्हीं के द्वारा उपकरण लेते हैं और जो सब्सिडी की राशि है वह किसान को दी जाती है. मैं इसकी विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि बालाघाट में 1537 किसानों को 2 लाख 35 हजार से अधिक राशि

अनुदान के रूप में दी गई है. इसलिए यह कहना सही नहीं है कि इसमें कोई हेरा-फेरी होती है, आजकल तो सीधे ऑनलाइन हम लोगों ने व्यवस्था दी है और किसान खुद जाकर अपनी मर्जी से उपकरण क्रय करता है.

श्री मधु भगत – माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसान सीधे जाकर उपकरण परचेस करता है तो उसको कोई व्यवस्था 100 रु. की होती है, वही व्यवस्था अगर वह सरकारी माध्यम से जाता है, जनपद के माध्यम से जाता है तो 125 रु. की पड़ती है. तो यह 25 रुपये का सीधा सीधा, हमको सरकार को तो मालूम है कि उसको 50 प्रतिशत का फायदा है लेकिन 25 प्रतिशत का नुकसान तो सरकार को हो रहा है. सीधे खरीद सकते हैं तो उनको फायदा हो सकता है.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि समिति जो जनपद की है वह सिफारिश करती है कि उनके जनपद क्षेत्र में कौन कौन से किसानों की उन्होंने अनुशंसा की है. कृषि समिति का काम क्रय करना नहीं है, किसान को क्रय करने का स्वतंत्र अधिकार है.

अध्यक्ष महोदय-- किसान तो खुद खरीद सकता है.

श्री मधु भगत—खाली दो ही एजेन्सियों से क्यों? हम अन्य एजेन्सियां भी अगर बढ़ायें.

श्री गौरीशंकर बिसेन-- यदि बालाघाट में अन्य एजेन्सियां आती हैं तो उनका स्वागत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है.

श्री रामनिवास रावत-- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न है कि आप दुकान या एजेन्सी अधिकृत चिह्नित कर देते हो, उन्हीं से खरीदोगे तो ही सब्सिडी मिलेगी जबकि बाजार में अन्य दुकानें भी होती हैं, वहां से किसान को सस्ता मिलता है. अगर वहां से किसान को फ्रीली छूट दी जाए कि किसी भी दुकान से खरीदे और बिल प्रस्तुत करे, हम सब्सिडी भेज देंगे, यह प्रश्न है.

श्री गौरीशंकर बिसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जिनका आईएसआई मार्का होता है, जो पंजीबद्ध होते हैं उनसे लेने का अधिकार रहेगा. सामान किसी भी दुकान से कैसे ले सकेंगे.

अध्यक्ष महोदय—फिर गुणवत्ता की बात भी आएगी.

श्री मधु भगत—लेकिन करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार तो उजागर हो रहा है, इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय-- वह कह रहे हैं और एजेन्सी आ जाएँ, तो उनको भी कृषि स्थाई जो समिति है वह स्वीकृति दे देंगी.

शासकीय जमीन पर अतिक्रमण

6. (*क्र. 926) **श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है सुमावली विधानसभा क्षेत्र (मुरैना) के ग्राम -खासखेडा, मैथाना, लीलाधर का पुरा, बाबरखेडा की शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण की कितनी शिकायते हुईं व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या यह भी सही है स्थानीय विधायक द्वारा उक्त अतिक्रमण की कितनी बार शिकायत की, उस पर कितने लोगों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई, व्यक्तिवार जानकारी दी जावे ? (ग) क्या स्थानीय विधायक के शिकायती पत्रों की कार्यवाही की जानकारी विधायकों को दी गई ? कब, किस अधिकारी द्वारा पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया ? (घ) क्या उक्त अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ अतिक्रमण हटाकर कार्यवाही की जावेगी, कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) ग्राम खासखेडा में अतिक्रमण की 16 शिकायतों में से जांच उपरांत 15 में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया । भूमि सर्वे क्र-110 पर पाये गये अतिक्रमण को दिनांक 20.3.2014 को पीठासीन अधिकारी द्वारा हटा दिया गया है । ग्राम मैथाना व लीलाधार का पुरा का अतिक्रमण की कुल 04 शिकायत प्राप्त हुई जिनका नियमानुसार निराकरण दिनांक 23.6.2014 को किया गया है । ग्राम बावरखेडा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । (ख) मान. विधायक महोदय द्वारा ग्राम लीलाधार का पुरा की 04 शिकायत की गई । जिस संबंध में पूर्व में ही 05 अतिक्रामकों के प्रति म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित कर शासकीय भूमि से बेदखल किया गया है । व्यक्तिवार जानकारी निम्नानुसार है :- 1. रमेश पुत्र दामोदर अधिरोपित अर्थदण्ड राशि रूपये 2000/- 2. नरेश, महेश पुत्र दामोदर अधिरोपित अर्थदण्ड राशि रूपये 4000/- 3. निरंजन पुत्र रामजीलाल अधिरोपित अर्थदण्ड राशि रूपये 10,000/- 4. यशपाल पुत्र हुब्बलाल अधिरोपित अर्थदण्ड राशि 10,000/- (ग) जी हां । पत्र क्रमांक-

1277/शिका./स.सी/ विधायक/2014, मुरैना दिनांक 18.11.2014 के माध्यम से । (घ) अतिक्रमण हटवाकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है ।

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से जो प्रश्न किया था उसके (क) में मुझे जो उत्तर मिला है, उसमें मुझे बताया गया है कि ग्राम खासखेड़ा में अतिक्रमण की 16 शिकायतों में से जांच उपरांत 15 में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया और भूमि सर्वे क्रमांक-110 में पाये गए अतिक्रमण को दिनांक 20.3.2014 को पीठासीन अधिकारी द्वारा हटा दिया गया है. मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि 15-16 शिकायतें की गईं, मेरे माध्यम से भी कई शिकायतें की गईं, माननीय पूर्व विधायक जी के माध्यम से भी कई शिकायतें की गईं लेकिन जो जवाब वहां के शासन प्रशासन से चाहा गया, उसके बाद जब में उनसे संतुष्ट नहीं हो पाया, उसके बाद मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया है तब भी अधिकारियों द्वारा, माननीय मंत्री महोदय द्वारा अगर यह उत्तर मिलेगा तो निश्चित है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करुंगा कि इसकी जांच करा लें और यह जो शिकायतें आयी हैं वह पूरी तरह सत्य हैं क्योंकि मैं वहां का क्षेत्रीय विधायक हूँ, मुझे मालूम है कि वहां पर अतिक्रमण हुआ है और आज भी वह भूमि अतिक्रमण के दायरे में है.

अध्यक्ष महोदय—सीधा प्रश्न कुछ नहीं किया आपने.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार—सीधा प्रश्न यह है कि इसकी जांच करा ली जाए जो इन्होंने बताया कि 16 में 15 शिकायतें असत्य हैं, तो उनकी जांच करा ली जाए.

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर हमने दिया है इससे माननीय विधायक जी अगर संतुष्ट नहीं हैं तो वह और अलग से लिख दें लेकिन उत्तर में भी अगर कोई गलती है तो आप लिखें तो इसमें हम कार्यवाही करेंगे, अगर हमको अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है,

आप लिखें और आपने जो पत्र लिखें,आपको पत्र की कापी भी अतिक्रमण हटा के अधिकारी ने दे दी है, इसके बाद भी अगर कमी रह रही है तो आप मुझको लिखकर दे दें तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे.

श्री मुकेश नायक—माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन में उत्तर तो बड़ी सहृदयता से देते हैं लेकिन समस्या यह है कि (X X)

अध्यक्ष महोदय—यह उचित नहीं है, इसको कार्यवाही में रिकार्ड न करें.

श्री रामपाल सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है, नायक जी बीच में किसी बात को इस तरह करते हैं,कल भी मैने इनका देखा.

अध्यक्ष महोदय-- उनकी टिप्पणी कार्यवाही से निकाल दी है.

श्री रामपाल सिंह—बीच में टोक रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है, आपके जो संस्कार थे वह इस सरकार में नहीं चल रहे हैं. पहले आपके इधर चलता था.

अध्यक्ष महोदय—माननीय मंत्री जी, कार्यवाही से निकाल दिया है. उनको अलाउँ नहीं किया है. आप बैठ जाइये.उनको प्रश्न पूछने दीजिए. चलिये दूसरा प्रश्न पूछिये

श्री मुकेश नायक-- (X X)

अध्यक्ष महोदय—कार्यवाही से निकाल दिया.निकाल दिया पहले ही रिकार्ड से.

श्री रामपाल सिंह-- इस पर खेद व्यक्त करें.

श्री मुकेश नायक(XX)

अध्यक्ष महोदय-- यह बात ठीक नहीं है, मुकेश जी जो भी बोल रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं आयेगा (व्यवधान)

श्री मुकेश नायक- (XX)

अध्यक्ष महोदय—मुकेश जी जो भी कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जाएगा.सिकरवार जी आप प्रश्न पूछें.

(XX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

....(व्यवधान)....

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि मेरे जो शिकायती आवेदन हैं उन पर जो शासन का जवाब है वह मुझे दे दिया गया है लेकिन आप अगर देखेंगे तो...

अध्यक्ष महोदय-- मंत्री जी कह रहे हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति है तो वह फिर से जांच करा लेंगे.

श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, उसमें यह है कि क्या स्थानीय विधायक के शिकायती पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी विधायक को दी गई, कब ,किस अधिकारी द्वारा पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया, मैं उस प्रश्न पर आ रहा हूं. मेरा प्रश्न है कि मैंने दि.15.8.2014 को एक शिकायती पत्र दिया, दि.29.1.2014 को दिया और दि.17.9.2014 को दिया. मैंने विधानसभा में अपना प्रश्न दि.13.11.2014 को जमा कराया और मुझे उसके बाद दि.18.11.2014 को शासन ने जवाब दिया है तो क्या जब मैं विधानसभा प्रश्न लगाऊँगा उसके बाद शासन और उसके अधिकारी मुझे जवाब देंगे ? मुझे नहीं लगता कि यह बात न्यायोचित है.

अध्यक्ष महोदय—मंत्री जी आप विधायक जी को समयसीमा में जवाब दे दिया करें.

श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, एक पत्र का जवाब तो दे दिया गया और जो 2 पत्र माननीय विधायक जी ने बताये हैं ,उसका हम परीक्षण करा लेंगे. माननीय अध्यक्ष जी, नायक जी बीच में कुछ भी कह देते हैं, यह विषय हम बाद में रखेंगे, हम नायक जी से चर्चा करना चाहेंगे.

अध्यक्ष महोदय--- उन्होंने जो कहा है उसको हमने कार्यवाही से निकाल दिया है जो कहा है उसको शून्य कर दिया है, वह तो बोलते रहते हैं.आप बैठ जाएं.

श्री मुकेश नायक--- (XX)

(XX)-- आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री रामपाल सिंह--- आप भी विधायक नहीं रहोगे...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य--- आप कौन होते हो यह तय करने वाले.

श्री मुकेश नायक-- (XX)

अध्यक्ष महोदय--- नायक जी, आपसे अनुरोध है कि सदस्यों के प्रश्न आने दें और सदंर्भ से अलग बात ना करें...(व्यवधान)... आपका कार्यवाही में भी कुछ नहीं आ रहा है .आप व्यवधान करके प्रश्नकाल नहीं होने देते हैं. दो दिन से ऐसा ही हो रहा है और प्रश्नकाल भी नहीं हो पा रहा है. कृपया आप सभी बैठ जाएं....(व्यवधान)...

श्री रणजीत सिंह गुणवान--- आप नियमानुसार बात कहेंगे तो सुना भी जाएगा.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य सीधी बात नहीं करेंगे, मुकेश नायक जी से अनुरोध है कि इस तरह से आरोप लगाना अनुचित है वह वरिष्ठ सदस्य हैं उनको सदन की प्रक्रियाओं का नियमों का और परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए, मुझे विश्वास है कि वह भविष्य में इसका ध्य़ान रखेंगे.

(XX)—आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

प्रश्न संख्या---7

शासकीय जमीनोंनों पर अतिक्रमण

7. (*क्र. 45) **श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अशोकनगर शहर में म.प्र. शासन तथा भोसले परिवार कि भूमि जिसका कि विवाद न्यायालय में चल रहा है तथा फिलहाल न्यायालय ने उसे शासकीय भूमि माना है उस पर किस व्यक्ति ने अतिक्रमण कर दीवार बना ली है ? इस संबंध में जिलाधीश अशोकनगर को किस-किस व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि ने शिकायत कर अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखे तथा उन पर जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ? (ख) क्या उक्त भूमि पर जब अशोकनगर स्वतंत्र जिला नहीं था गुना जिले के अधीन था जब वहां की जिलाधीश श्रीमती नीलमराव के निर्देश पर पुलिस ने इसी स्थान पर अतिक्रमण हटाया था ? यदि हां, तो जिलाधीश के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के बाद पुन: अतिक्रमण किये जाने पर जिलाधीश व पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही ? (ग) अशोकनगर जिले में इसी प्रकार अथाईखेड़ा, पिपरई व अन्य स्थानों पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जो शिकायतें मिली है, उन शिकायतों को देखते हुये बताएं कि पिछले वर्षों में शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) दिनांक 5 मार्च, 2014 के परि. तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 100) के बाद 9 जुलाई के परि. ता. प्रश्न 1 (क्र. 105) के उत्तर में बताया है कि उक्त भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है तो फिर उक्त भूमि पर दी्वी वाल किसने बनाई है व उसे प्रशासन ने तोड़ा क्यों नहीं ? खासतौर से जनप्रतिनिधियों के कब्जा हटाने के पत्रों के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) कस्बा अशोकनगर में बायपास रोड के दोनों तरफ भौंसले परिवार की भूमि थी, जो वर्तमान अभिलेखों में शासकीय भूमि अंकित है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्र.क्र. 1128/09, 1129/09 प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विचाराधीन है। विचाराधीन भूमि पर दक्षिण दिशा की तरफ पुरानी टूटी-फूटी फर्शियां गढी हुई थी, अब ईंटों की दीवार खडी कर दी गई है। जिलाधीश अशोकनगर को माननीय विधायिका यशोधरा राजे सिंधिया विधायक शिवपुरी एवं माननीय श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा विधायक मुंगावली की ओर से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अतिक्रमण हटाने हेतु तहसील न्यायालय अशोकनगर के प्र.क्र. 08 अ 68/2013-14 आदेश दिनांक 25/08/2014 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया तथा संबंधित को कारण बताओ नोटिस दो बार जारी किया गया किन्तु अतिक्रामक

श्री गजराज सिंह पुत्र अलोल सिंह यादव निवासी खानपुर तहसील चन्देरी उपस्थित नहीं हो रहें है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी हां। तत्समय अतिक्रामक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका दायर की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है। (ग) तहसील मुंगावली के ग्राम अथाईखेडा एवं ग्राम पिपरई व अन्य स्थानों पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायतें मिली थी। उन पर पिछलें वर्षों में प्रकरण क्रमांक 227/अ-68/2011-112 ग्राम अथाईखेडा एवं प्रकरण क्रमांक 01 अ/68/2014-15 ग्राम पिपरई का पंजीबद्ध किये जाकर अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध धारा 284 के तहत संबंधितों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। (घ) प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 555/2 मिन-1 में दक्षिण दिशा की तरफ टूटी-फूटी फर्शियां गढी हुई थी अब ईटों की दीवार खडी कर दी गई है। उत्तर दिशा में तालाब से लगी इसी नम्बर की भूमि पर मात्र खम्बे गड़े हुये है भूमि मौके पर खाली पडी है। जन प्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरांत तहसील न्यायालय अशोकनगर में प्रकरण क्रमांक 8 अ 68/13-14 में पारित आदेश दिनांक 25-08-2014 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया एवं अतिक्रामक को कारण बताओं नोटिस (दो बार) जारी किया गया है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोर्ट ने इसे शासकीय भूमि बताया है और करोड़ों की कीमत की यह भूमि है और पिछले 15-20 वर्षों से एक भूमाफिया इस पर अपने नौकरों के नाम से कब्जा किये बैठा है. प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जी ने भी इस कब्जे को हटाने के लिए चिट्ठी लिखी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि इस भूमि पर कब्जा क्यों नहीं हटाया जा रहा है. अभी अशोकनगर और मुंगावली में राजस्व विभाग और वन विभाग ने मिलकर सैकड़ों आदिवासियों और (XX) , गरीबों को बेघर कर दिया है उनके झोपड़े तोड़ दिये हैं....

श्रीमती शीला त्यागी--- अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार (XX) शब्द का उपयोग किया जाता है जबकि यह वर्जित है, यह अपमानित शब्द है.ऐसे शब्दों का उपयोग ना किया जाये.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--- माफ कीजिये, अनुसूचित जाति और जनजाति के मकान तोड़ दिये गये हैं.

अध्यक्ष महोदय-- उन्होंने क्षमा मांग ली है, वरिष्ठ सदस्य हैं धोखे से मुंह से निकल गया आप कृपया बैठ जाएं.

श्री के.के. श्रीवास्तव-- अध्यक्ष जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि (XX) जान प्रीत अस गाढ़ी, (XX) तो उसमें भी लिखा गया है...(व्यवधान)...

श्रीमती शीला त्यागी--- श्रीवास्तव जी, आप अपने नाम के सामने (XX) लिखवा लो ना.

..(व्यवधान)..

एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार-- हाँ इतना प्रिय है तो सभी लोगों को लिख लेना चाहिए... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जाइये..(व्यवधान)..

श्रीमती शीला त्यागी-- (XX)..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएँ...(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य-- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है. ..(व्यवधान)..यह बुरी बात है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- श्रीवास्तव जी, आप बैठ जाइये...(व्यवधान)..

एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार-- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर कई बार इसके ऊपर आपत्ति हुई है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएँ. बात हो गई वह विषय समाप्त हो गया...(व्यवधान).. अब बैठ जाएँ..(व्यवधान)..प्रश्नकाल होने दें...(व्यवधान)..

श्रीमती शीला त्यागी-- श्रीवास्तव जी के नाम के सामने (XX) लिख दिया जाए अगर ऐसी बात है तो...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइये. विषय समाप्त हो गया. कोई भी इसको नहीं लेगा. कोई नहीं बोल रहा बार-बार. माननीय सदस्य अपना प्रश्न करें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब अशोक नगर गुना जिले में था तब क्या वहाँ की कलेक्टर श्रीमती नीलम ने यहाँ पर पुलिस का उपयोग करके कब्जे को हटवाया था, उसके बाद दुबारा यह कब्जा क्यों करने दिया गया? और आप अलग अलग उत्तर दे रहे हैं. 5 मार्च 2014 को कह रहे हैं किसी का कब्जा नहीं है और अब आप दे रहे हैं कि वहाँ कुछ टूटी-फूटी फर्शियाँ हैं और ईंट की दीवार बन गई है. शासकीय भूमि है ईंट की दीवार कैसे बनने दी? प्रभारी मंत्री ने दी, मैंने शिकायत की तो उन्होंने भी जिलाधीश को पत्र लिखा कि जो भी कब्जा हो, अथाईखेड़ा में हो या अशोक नगर में हो, या पिपरई में हो, तीनों जगह एक ही भू माफिया ने कब्जा कर रखा है. एक तरफ तो आप सैकड़ों गरीब लोगों के मकानों को तोड़ रहे हैं. पिछले 6 महीने में राजस्व विभाग और वन विभाग ने कईं मकान तोड़े हैं. जिस पर राजस्व विभाग ने पट्टे दे रखे हैं. वन विभाग ने उसकी बात नहीं मानी और आप करोड़ों की भूमि, जो अथाईखेड़ा में और पिपरई में और एक ही भू माफिया है जिसने कब्जा कर रखा है. आप उसको हटा नहीं रहे हैं. आपने वहाँ दीवार क्यों बनने दी? अगर बनने दी है तो आप इस दीवार को कब तक हटाएँगे?

श्री रामपाल सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय, मंत्री भी रह चुके हैं, अब वह कह रहे हैं अलग अलग जवाब दिया. अलग अलग प्रश्न पूछे तो अलग अलग जवाब देंगे, इकट्ठा कैसे देंगे? आपने पूछा अशोक नगर का, अथाईखेड़ा का, पिपरई का, तो आपको जवाब दे दिया. अब आप कह रहे हैं अलग अलग जवाब दिया. एक जवाब इनका तीनों का हम कैसे देते? पहला तो उनसे यह निवेदन है. दूसरा, आपके जो कलेक्टर, पहले जिले का गठन नहीं हुआ था, जब उन्होंने आदेश दिए थे, उसके पहले वह निजी रकबा था, उसके बाद आदेश हुआ, शासन का, शासन ने वह जमीन ले ली है और उस पर हम तुरन्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करा रहे हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- अध्यक्ष महोदय, अलग अलग जवाब का प्रश्न नहीं है. आप एक बार कह रहे हैं कि यहाँ किसी का कब्जा नहीं है. दूसरी बार कह रहे हैं कि वहाँ कुछ टूटी-फूटी फर्शियाँ बनी हुई हैं और ईंट की दीवार बनी हुई है, तो मैं कौनसी बात सही मानूँ? और यदि ईंट की दीवार बनी है तो आप उसको तुड़वाते क्यों नहीं? पहले भी ईंट की दीवार बनी हुई थी.

अध्यक्ष महोदय-- वह हटाने का कह तो रहे हैं कि हटवा देंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- अध्यक्ष महोदय, समयावधि बता दें.

श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से निवेदन है कि कौनसा पूछ रहे हैं पहले नाम बता दें, प्रकरण क्रमांक बता दें तो मैं उसका बता दूंगा. आपने 3 प्रश्न पूछे हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- अध्यक्ष महोदय, सरकारी भूमि पर इन तीनों जगह पर, चलिए, अशोक नगर में आप कब्जा कब तक हटाएँगे समय सीमा बता दीजिए? अशोक नगर में करोड़ों की भूमि है. शहर के मध्य में है और 15 साल से भू माफिया के कब्जे में है.

श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, अशोक नगर का प्रकरण चल रहा है. 68, 2013-14, 10.12.14 को इसको अधिकारी ने सुनवाई में रखा है. हम अधिकारी को कहेंगे कि शीघ्र इसका निराकरण करें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है क्योंकि आपने सैकड़ों गरीब लोगों के बुलडोजर से मकान हटवाए हैं तो यह शासकीय भूमि पर बनी दीवार हटाने में आपको क्या आपत्ति है, आप क्यों बार बार सुनवाई करने के लिए बुलाते हैं. आप कह रहे हैं वह आ नहीं रहे हैं. ये बेनामी लोग हैं. ये तो गायब ही हो जाएँगे. आप बुलडोजर चलाकर उस सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं करते.

श्री रामपाल सिंह-- अध्यक्ष महोदय, बड़ी गंभीरता से प्रश्न रख रहे हैं इसलिए मैं भी इस पर निर्देश करूँगा, शीघ्र कार्यवाही हम लोग करेंगे.

आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को विक्रय की अनुज्ञा

8. (*क्र. 607) श्री संजय उइके : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम विक्रय पर रोक लगा दी गई है ? (ख) यदि हां, तो कब से लगाई गई अधिनियम/नियम/आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ग) क्या यह भी सही है कि प्रतिबंध के बावजूद भी अपर कलेक्टर बालाघाट द्वारा आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी को विक्रय हेतु अनुमति दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) एवं (ख) म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा (6) के खण्ड (एक) के अनुसार उक्त प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आदिम जनजाति वर्ग की भूमि का आदिम जनजाति वर्ग से भिन्न वर्ग के व्यक्ति को विक्रय करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रावधान की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "क" अनुसार है। (ग) जी नहीं।

श्री संजय उइके-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को विक्रय की अनुमति प्रतिबंध के बावजूद दी गई हाँ या ना. जिसके जवाब में कहा गया है कि नहीं. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पिछले सत्र में मेरे अतारांकित प्रश्न 3638 के जवाब में मुझे जो सूची दी गई है उसमें बहुत सारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को विक्रय की अनुमति प्रतिबंध के बाद दी गई है और मेरे पास अनुमति के प्रामाणिक दस्तावेज भी हैं, जो प्रतिबंध के बाद भी विक्रय की अनुमति गैर आदिवासियों को दी गई है. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी विस्तृत जाँच कराई जाएगी और उन आदिवासियों की जमीन क्या उनको वापस दिलवाई जाएगी.

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो पूर्व में प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी है और आज जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब भी है. मेरी जानकारी के अनुसार 1976 के पूर्व इनके जिले में कुछ आदिवासियों की भूमि विक्रय की जा सकती थी यह पुरानी बात है. यदि अभी नये नियमों के तहत कोई गड़बड़ी हुई है तो माननीय विधायक लिखकर दें तो उसमें हम जांच करायेंगे.

अध्यक्ष महोदय—जांच करा लेंगे.

श्री संजय ऊइके—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि क्या समय सीमा बताने की कृपा करेंगे. मैं मंत्रीजी को सूची दे दूंगा.

अध्यक्ष महोदय—पहले आप सूची दे दें. फिर चर्चा कर लें.

श्री रामपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करुंगा कि वे मुझे कब तक लिखकर दे देंगे उसी हिसाब से समय सीमा तय कर देंगे.

श्री संजय उइके—मैं आज ही लिखकर दे दूंगा.

अध्यक्ष महोदय—ठीक है.

विभिन्न योजनाओं में कृषकों को अनुदान

9. (***क्र. 837**) **श्री बाला बच्चन :** क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा कृषकों को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली अनुदान सहायता की राशि उनके बैंक खाते में जमा करने का निर्णय किया गया था ? यदि हां, तो निर्णय के बारे में जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करायें ? (ख) उक्त व्यवस्था किस दिनांक तक लागू रही है, तथा क्या इस संबंध में कोई पुनरीक्षित आदेश जारी किए गए हैं ? क्या कृषि मामलों की मंत्रीय परिषद उप समिति से इस संबंध में आदेश किए गए हैं ? (ग) मंत्री परिषद उपसमिति के निर्णय के बगैर कृषकों के खातों में अनुदान राशि जमा नहीं करने का निर्णय किस स्तर से लिया गया है, स्पष्ट करें ? (घ) क्या इस आर्थिक अनियमितता की जांच कराई जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ। आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट** पर है। (ख) उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी लागू है। शेष प्रश्न नहीं उठता। (ग) जी नहीं। (घ) जॉच का प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट – **"दो"**

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कृषि विभाग से संबंधित है और कृषि विभाग में विभिन्न मदों से मिलने वाली जो अनुदान सहायता राशि होती है यह सीधे किसानों के खाते में जाना चाहिये. इसके निर्णय के बारे में मैंने पूछा था कि कृषि विभाग ने कब निर्णय लिया था

जिस निर्णय के तहत आप किसानों के खाते में राशि जमा कराते हैं. माननीय मंत्रीजी ने बताया कि 5 जुलाई 2010 का यह निर्णय है. मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि कृषि आदान सामग्री एक तो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है किसानों के काम में आने वाली सामग्री नहीं होती है. दूसरा मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपने इस बात को कहा है कि किसानों के खातों में अनुदान सहायता राशि जाती है. वैसे तो मैंने पूरे मध्यप्रदेश के किसानों के लिये यह प्रश्न लगाया है लेकिन मंत्रीजी आप मुझे सिर्फ बड़वानी जिले के ही किसानों के नाम बता दें जिनको अनुदान सहायता राशि दी उनकी संख्या बता दें, किस बैंक के द्वारा उनको वह राशि मिली और किस-किस सामग्री के लिये मिली. मेरी जानकारी के अनुसार वे बीज उत्पादक संस्थाएं हैं उनके खाते में यह अनुदान राशि जमा की जाती है. मेरे पास अभी एक उदाहरण है महेश पिता फत्तू, निवासी सनगांव, तहसील रायपुर, जिला बड़वानी, उसको 30 हजार रुपये की अनुदान राशि वर्ष 2010-11 में मिली थी वह सीधी एमपी एग्रो के खाते में गई है. यह सरकारी व्यवस्थाओं पर प्रश्नचिह्न लगाता है. मैं चाहता हूँ किसानों के हित में यह व्यवस्थित हो. किसानों के बैंक खाते में जो राशि जमा कराते हैं उसकी बड़वानी जिले की जानकारी आप मुझे उपलब्ध करायें जिससे मैं मान लूं कि आपकी व्यवस्थायें ठीक ढंग से चल रही हैं और आप जो दावा करते हो कृषि को लाभ का धंधा बनाने की वह फलीभूत हो रही है.

श्री गौरीशंकर बिसेन—अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उप नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नीतिगत प्रश्न किया है. राज्य सरकार की अथवा केन्द्र पोषित जो योजनाएं हैं इन सभी योजनाओं में हम किसान के खाते में पैसा देते हैं और जब से हमने इसको प्रदेश में प्रारंभ किया है तब से बड़े पैमाने पर जो हेराफेरी होती थी उसको रोकने में हम सफल हुए हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 में हमने 4,28,139 कृषकों को 584 करोड़ रुपये से अधिक राशि अनुदान के रुप में दी है.

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़वानी जिले की किसी बीज समिति के अनुदान के संदर्भ में कहा है जो इस प्रश्न से उद्‌भुत नहीं होता है लेकिन फिर भी उन्होंने जो विषय उठाया है उसका मैं पृथक से उनको उत्तर दूंगा.

श्री बाला बच्चन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आशंका यह है कि किसानों के खातों में यह अनुदान सहायता राशि जमा नहीं होती है. मंत्रीजी ने 4 लाख किसानों और 584 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है वे मुझे बड़वानी की जानकारी दे दें और मैंने जिस व्यक्तिगत किसान का नाम बताया है उसकी जानकारी दे दें.

अध्यक्ष महोदय—बड़वानी का प्रश्न इससे उद्‌भुत नहीं होता है लेकिन आपका यह प्रश्न ठीक है कि किसानों के खाते में राशि नहीं जाती है तो मंत्री जी से उसका उत्तर ले लें.

श्री बाला बच्चन—अध्यक्ष महोदय, किसानों के खाते में राशि नहीं जाती है वह भविष्य में उनके खाते में जाये. वर्तमान में जो व्यवस्थायें चल रही हैं इसकी पुनरावृत्ति न हो और किसान प्रभावित न हो सके और किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ मिले, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार भी यह चिन्ता होना चाहिये तो हमें आप इस बात की गारंटी दे कि किसानों के खातें में बराबर अनुदान सहायता राशि मिलती रहे । माननीय मंत्री जी आपकी मंशा साफ सुथरी हो सकती है लेकिन जो तंत्र काम करता है वह किसानों के फेवर में हित में काम नहीं देख रहा और किसानों को अनुदान राशि नहीं मिल रही है यह मेरा प्रश्न है।

श्री गौरी शंकर बिसेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश शासन के द्वारा बलराम जलाशय, आरकेवाय, नलकूप योजना, जिला बुन्देलखण्ड पैकेज एनएफएसएम, आईसीपीएम,माईक्रो मेनेजमेंट,बायोगैस, बैलगाड़ी ,जैविक खेती इन सभी योजनाओं का पैसा किसानों के खाते में दिया जाता है। अध्यख महोदय, जो बीज प्रदाय किया जाता है, वह बीज जैसे हमारे फार्म विकास निगम से आया या भारत सरकार की एजेंसियों से आया तो उनको सीधे सबसीडी दी जाती है। सिर्फ उसका पैसा किसानों के खाते में नहीं दिया जाता है। दूसरा हमारी जो

अन्नपूर्णा योजना है और सूरजधारा योजना है इसमें हम किसानों को अनुदान देते हैं, उसका पैसा सिर्फ किसानों के खाते में जाता है वरना सारा पैसा दिया जाता है, फिर भी माननीय सदस्य ने बड़वानी जिले का उसकी मैं उसकी जांच भी कराऊंगा और पर्टीकुलर सिर्फ उस विषय पर मैं आपसे बातचीत करके उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा । हमारा पूरा प्रयास है कि किसान के खाते में पैसा जाए और कहीं पर भी पैसे की हेरा फैरी न हो सके ।

श्री बाला बच्चन :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकारा है और दो जगह मंत्री जी ने स्वीकारा है कि नयी अनुदान राशि किसानों के खाते में जाती है, क्यों नहीं जाती है उस नियम के अंतर्गत जिस नियम का उन्होंने हवाला दिया है, उस में यह है मैं यह जानना चाहता हूं । आप रोटावेटर के बारे में बता दें, स्प्रिकलर सिस्टम के बारे में बता दें ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके समय में बहुत समय हो गया, कृपा करके दूसरा प्रश्न आप आने दें ।

श्री बाला बच्चन :- अध्यक्ष महोदय , मैं ड्रिप स्प्रिकलर सिस्टम ...

अध्यक्ष महोदय :- कपया आप बैठ जाईये। प्रश्न क्रमांक -10 श्रीमती उषा चौधरी ।

श्री बाला बच्चन :- अध्यक्ष महोदय, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं । आप मेरा उत्तर दिलवा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी वह कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री गौरीशंकर बिसेन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्नपूर्णा योजना और सूरजधारा योजना का जो पैसा है वहां पर काट करके बाकी दिया जाता है और कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें की हम अनुदान किसानों के खाते नहीं देते ।

पटवारी पदस्थापना में विसंगति

10\. (*क्र. 743) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत नई हल्का बन्दी बनाते समय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त

म.प्र. के आदेश क्रं. 5829 दिनांक 02.01.2008 द्वारा दी गई गाईड लाईन का पालन क्यों नहीं किया गया शासन की मंशा के बावजूद 48 नये हल्कों का सृजन क्यों कर दिया गया ? (ख) तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत पटवारी पदस्थापना में राजस्व मंत्रालय के आदेश क्रं. 2-18 दिनॉक 12.04.2004 आयुक्त भू-अभिलेख का पृष्ठांकन क्रं. 295 दिनॉक 28.05.2005 के पालन में जारी कलेक्टर सतना के पृ.क्रं. 1406 दिनॉक 30.06.2005 का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ? (ग) तहसील रघुराजनगर में बिना स्वीकृति नवीन हल्कों में पदस्थ पटवारियों को हटाकर पद स्वीकृति मूल हल्कों में पदस्थ करने हेतु जारी कलेक्टर सतना के आदेश क्रं. 2550 दिनॉक 30.12.2010 का पालन क्यों नहीं किया जा रहा वर्तमान में 56 के विरूद्ध 55 पटवारी पदस्थ होते हुये 13 मूल हल्के पटवारी विहीन क्यों है ? क्या 56 के विरूद्ध 68 पटवारी पदस्थ करके मूल हल्कों में पटवारी पदस्थ किये जायेंगे या ग्रामीण क्षेत्र के 12 हल्के हमेशा पटवारी विहीन रहेंगे ? (घ) सतना जिले में 7 पटवारी पुन: गृह तहसील में क्यों पदस्थ कर दिये गये ? जिनमें से 6 पटवारियों को नगर सीमा के अन्दर या सीमा से सटे हल्के में पदस्थ किया गया क्या इन्हें गृह तहसील से बाहर किया जायेगा ? यदि हॉं, तो कब तक ? तहसील रघुराजनगर में जिन 5 पटवारियों को हटाया गया था तथा इनकी सम्पत्ति की जॉंच की घोषणा विधान सभा में की गई थी इनमें से 4 पटवारियों के बिना सम्पत्ति की जॉंच कर पुन: तहसील रघुराजनगर में क्यों पदस्थ कर दिया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) तहसील रघुराज नगर अन्तर्गत नई हल्काबन्दी बनाते समय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. ग्वालियर के आदेश क्रमांक 5829 दिनांक 02.01.2008 के निर्देशो के अनुरूप गाइड लाइन का पालन किया गया है । शासन के मंशा अनुसार पंचायतवार पटवारी हल्कों का गठन किया गया है । पूर्व से स्वीकृत 56 पटवारी हल्कों तथा नये 48 पटवारी हल्कों का सृजन कर तहसील रघुराजानगर में पंचायतवार कुल 104 पटवारी हल्के निर्मित हुये है । (ख) तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत पटवारी पदस्थापना में राजस्व विभाग के आदेश क्र 2-18, दिनांक 12.04.2004 एवं उपायुक्त भू-अभिलेख रीवा के पृष्ठा. क्र. 295 दिनांक 28.05.2005 के पालन में जारी कलेक्टर सतना के पृष्ठां. क्र. 1406 दिनांक 30.06.2005 का पूर्णतः पालन किया जाकर पटवारियों की पदस्थापना की गई है । (ग) तहसील रघुराजनगर अन्तर्गत वर्तमान समय में 104 पटवारी हल्के है, जिसके विरूद्ध पटवारी के 56 पद स्वीकृत है तथा वर्तमान समय में 55 पटवारी पदस्थ है । 55 पटवारियों को 55 पटवारी हल्कों में पदस्थ किया जाकर शेष 49 पटवारी हल्कों का अतिरिक्त प्रभार, समीपी पटवारियों को दिलाया गया है । वर्तमान समय में कोई भी पटवारी हल्का पटवारी विहीन नही है । (घ) गृह तहसीलों में पदस्थ पटवारियों को हटाये जाने संबंधी स्थानांतरण नीति दिनांक 01.05.2012 की कंडिका 9.5 शासन के ज्ञाप दिनांक 08.05.2013 द्वारा विलोपित किये जाने के फलस्वरूप सतना जिले में 7 पटवारी पुनः गृह तहसील में पदस्थ कर दिये गये है । तहसील रघुराजनगर में शहरी क्षेत्र से जिन 5 पटवारियों को हटाया गया था । उनकी सम्पत्ति की जांच कलेक्टर सतना से कराने के निर्देश दिये गये है । किन्तु शहरी क्षेत्र के जिन 5

पटवारियों को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 323 दिनांक 19.02.2013 द्वारा शहरी क्षेत्र से हटाकर अन्य तहसीलों में पदस्थ किया गया था । उनमें से 4 पटवारी तहसील रघुराजनगर में शहरी क्षेत्र से बाहर के पटवारी हल्कों में पदस्थ किये गये है ।

श्रीमती उषा चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । मैं जानना चाहती हूं कि आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्ती मध्यप्रदेश , ग्वालियर के आदेश के मुताबिक 48 नये हलकों का सृजन क्यों कर दिया गया, पंचायत को हलका बनाकर 56 के स्थान पर 104 हलके बनाने की क्या जरूरत थी । जबकि गाईड लाइन क्र 2 में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी पंचायत का एक से अधिक भागों में विभाजन नहीं किया जायेगा । पटवारी हलकों में क्षेत्र कार्यभार बराबर रहे लेकिन कोई हलका 100 हेक्टेयर से ज्यादा है कोई 3000 से ज्यादा है। इनको बनाकर भारी विसंगतियां की गयी है, जिससे पटवारियों में बड़े हलके लेने में होड़ लगी हुई है। इसमें भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने इसका संशोधित उत्तर देखा या नहीं ।

श्रीमती उषा चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, देखा लिया है। मेरा प्रश्न यह है कि जो शहर के कमाऊ वाले क्षेत्र हैं पूर्व में जिन पटवारियों के प्रश्न लगाये गये थे उन पटवारियों की जांच के आदेश दिये गये थे और उन पटवारियों को सीधे उनको कमाऊ वाले क्षेत्र में एक अधिक हलके सतना शहर में दे दिये गये हैं। जबकि रेगांव विधान सभा में 13 हलके खाली पड़े हुए हैं जिससे किसान प्रभावित होते हैं , अध्यक्ष महोदय मैं चाहती हूं कि जिस 13 हलके रेगांव विधान सभा में चौरवरी, हडखार, पडरोड, खरोडा, उजरौन्धा, नारायणपुर, कुडिया, डिलौरा, रायपुर, मौहार, खमरिया, डगडिहा व कुआं यह हल्के पटवारी विहीन है । इन हलकों में पटवारियों को नहीं रखा गया है। शहरी क्षेत्र में जिसमें 9 हलके हैं वह इनको दे दिये गये हैं इस तरह से जिन पटवारियों की जांच जारी थी उनकी जांच कराये बगैर फिर से इनको उन्हीं हल्कों में क्यों रख दिया गया।

श्री रामपाल सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है. रघुराजनगर तहसील, वहां सरकारी रिकार्ड में 56 पद स्वीकृत हैं 55 पटवारी कार्यरत् हैं. बाकी जो दूसरा उनका आग्रह था 104 पंचायतों का उस समय पंचायतों का रिकार्ड तैयार करने के लिये शासन से आदेश गये थे लेकिन पंचायतों के हिसाब से पटवारी हलकों का सृजन नहीं किया गया है इसीलिये एक पद इनके क्षेत्र में पटवारी का कम है दूसरे विधान सभा क्षेत्र की वह जानकारी दे रहे हैं और जांच की बात है तो पटवारियों की जो जांच है संपत्ति की वह हम एक महिने में करा देंगे.

श्रीमती ऊषा चौधरी – माननीय अध्यक्ष महोदय, सतना जिले के वीरेन्द्र सिंह और विजय बहादुर सिंह और रामशिरोमणि सिंह ये सतना जिले के ऐसे पटवारी हैं जिनकी करोडों से ज्यादा की संपत्ति है.

अध्यक्ष महोदय – जांच कराने का बोल दिया है.

श्रीमती ऊषा चौधरी – जांच कब से चल रही है जांच जब तक ष्ू पूरी नहीं हुई तब तक इनको हलके क्यों दे दिये गये ?

श्री शंकरलाल तिवारी – अध्यक्ष महोदय, मेरे सतना जिले में अभी एक पटवारी चुनाव लड़ा है बी.एस.पी. के टिकट पर जो सही में अरबों रुपये का मालिक है. डर के मारे नौकरी छोड़ दी कि जांच में फंस जाएगा. बी.एस.पी. का टिकट लेकर हाथी पर चढ़कर नगर निगम का चुनाव लड़ने वाला है.

श्रीमती शीला त्यागी – अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो कहा है बहुत से ऐसे लोग चुनाव लड़े हैं जो अरबों के मालिक हैं. बी.जे.पी. से हैं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न क्र.11 श्री हर्ष यादव

(..व्यवधान..)

श्रीमती ऊषा चौधरी – अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि जो पटवारी आज

श्रीमती शीला त्यागी - विधायक जी, आप अपने घर में झांककर देखिये कई अरबपति चुनाव लड़े हैं आपकी पार्टी से, बी.जे.पी. से, आपको अपने घर की भी जानकारी नहीं है दूसरे के घर में झांक रहे हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी – रावेन्द्र सिंह पटवारी चुनाव लड़े हैं लेकिन उनको हलका नहीं दिया गया है.

श्री शंकरलाल तिवारी – इससे पहले कौन सा हलका मिला था आप भी जानती हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी – क्यों नहीं कराए जांच मैं तो कहती हूं कराना चाहिये जांच. सतना जिले के वीरेन्द्र सिंह के पास सतना जिले में चार-चार फोर व्हीलर हैं. हर महिने फोर व्हीलर बदलते हैं उनकी जांच कराकर उनको हलके से हटाकर सस्पेंड किया जाए तब उनको हलके दिये जाएं. मैं अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हुए मंत्री जी से जवाब चाहती हूं. मैं संतुष्ट नहीं हूं. मुझे जवाब चाहिये.

अध्यक्ष महोदय – वह कह रहे हैं जांच करा लेंगे. प्रश्न क्या है आपका.

श्रीमती ऊषा चौधरी – प्रश्न है कि वीरेन्द्र सिंह पटवारी को उसकी संपत्ति की जांच कराकर उनको हलके से हटाया जाए ?

अध्यक्ष महोदय – जांच कराने का बोल दिया उन्होंने.

एक माननीय सदस्य – उनका यह कहना है कि उनको पद पर न रखा जाए प्रभार उनसे ले लिया जाए.

श्रीमती ऊषा चौधरी – माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन हजार हेक्टेयर के उनको हलके दिये गये हैं.

श्री जितू पटवारी - अध्यक्ष महोदय, पटवारी को लेकर अलग-अलग तरीके की टिप्पणी इस नाम को लेकर होती है. अखबारों में भी भ्रष्टाचार होता है और पटवारी के यहां से इतना निकाल

उतना निकला. मेरे पास फोन आते हैं. मैं आपका संरक्षण चाहता हूं. यह बात इस सदन में ही कह सकता हूं रोज पीड़ा भोगता हूं इसकी मेरा अनुरोध है कि इस पर भी सरकार विचार करे.

श्रीमती ऊषा चौधरी – अध्यक्ष महोदय, उनको हलके से हटाकर उनकी जांच कराई जाए.

अध्यक्ष महोदय – बैठ जाईये आप. हो गया आपका. जितू पटवारी जी की व्यथा स्वाभाविक है हमारी आपकी सबकी सहानुभूति उनके साथ है.

श्री गोपाल भार्गव - या तो पटवारी पदनाम बदल दिया जाए या जितू पटवारी अपना नाम बदल लें.

श्रीमती ऊषा चौधरी – अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब नहीं आया.

अध्यक्ष महोदय – बोल दिया उन्होंने आप बैठ जाएं. प्रश्न क्र.11

निजी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना

11. (*क्र. 4) श्री हर्ष यादव : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रीवा, तहसील सेमरिया के ग्राम कोलौरा की भूमि नं. 6/1 क, 0.10 एवं 10/3, 0.31 डिसमिल का बंटवारा 25 वर्ष पूर्व जरिये रजिस्ट्री की भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत समय-समय पर कलेक्टर, प्रमुख सचिव एवं तत्कालीन मंत्रियों को की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में दिनांक 22.2.2013 को तत्कालीन विधायक श्री रामखेलावन पटेल द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को लिखित शिकायत तहसीलदार के खिलाफ की थी ? उक्त तहसीलदार के खिलाफ विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? सम्पूर्ण जानकारी दें ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) की भूमि की अपील की सुनवाई एस.डी.एम. (सिरमौर) तहसील सेमरिया कार्यालय में दिनांक 19.5.2014 को पूर्ण कर ली गई है ? यदि हां, तो प्रकरण के आदेश की जानकारी उपलब्ध करायें ? (घ) प्रश्नांश (क) से (घ) के प्रकरण को निगरानी में लेकर कलेक्टर रीवा द्वारा निराकृत कब तक कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह) : (क) जी नहीं । विभाग स्तर पर प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में प्रमुख सचिव को दी गई शिकायत का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है । प्रश्नाधीन भूमि, अभिलेख में उदयभान पिता रामावतार ब्रा. साकिन देह के नाम दर्ज है । भूमिस्वामी मौके पर काबिज है । (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में तत्कालीन विधायक महोदय द्वारा की गई शिकायत दिनांक 22.2.2013 राजस्व विभाग में आना नहीं पाया गया है । शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । (ग) जी नहीं । दिनांक 26.5.2014 को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 पर आदेश पारित किया जाकर

प्रकरण अंतिम तर्क पर नियत किया गया है। (घ) इस प्रकार के निगरानी प्रकरण में सुनवाई के अधिकार मान. राजस्व मंडल ग्वालियर को प्रत्यायोजित हैं। अतः कलेक्टर द्वारा निराकरण का प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

श्री हर्ष यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो मुझे जवाब दिया गया है मैं उससे असंतुष्ट हूं, असत्य जानकारी दी गई है. 25 साल पहले पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा हुआ 25 साल बाद भी आज उस व्यक्ति को कब्जा नहीं मिला है इसमें मंत्री जी के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें कब्जा दर्शाया गया है ऐसी भ्रामक जानकारी सदन में देना कहां तक उचित है?

अध्यक्ष महोदय—आप तो सीधे प्रश्न पूछिये.

श्री हर्ष यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि 25 साल पहले बंटवारे में जो उसको जमीन मिली थी उसका कब्जा कब तक मिल जायेगा, साथ ही उन व्यक्तियों के खिलाफ जो राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी और नायब तहसीलदार द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं उनके ऊपर विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी?

राजस्व मंत्री (श्री रामपाल सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घर का पारिवारिक सीमांकन का मामला है. माननीय विधायक जी ने प्रश्न लगाया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें लिखा है कि पूर्व विधायक जी का पत्र मिला नहीं, दूसरा हमने इसको जल्दी निराकरण के निर्देश देंगे और इसकी पेशी 9.12.2014 को नियत की गई थी, इसका तुरंत निराकरण किया जायेगा.

प्रश्न संख्या 12

फसल बीमा राशि का भुगतान

12. (*क्र. 484) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रं. 427/R दि. 30.9.14, क्रमांक 480, दि. 5.10.14, पत्र क्रं. 440/R, दि. 9.10.14, जिला कलेक्टर, होशंगाबाद को वि.स. क्षेत्र पिपरिया अंतर्गत ग्राम कोठरी, ग्राम कामटी ग्राम मुर्गीढाना एवं अन्य ग्रामों के कृषकों को सोयाबीन

की क्षतिपूर्ति की बीमा राशि प्राप्त न होने के संबंध में लिखा था ? (ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि ग्राम महसवाड़ा तह. पिपरिया के कृषकों द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर फसल बीमा राशि के त्रुटिपूर्ण भुगतान के संबंध में दिनांक 22.9.14 को अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया, जिला-होशंगाबाद को पत्र लिखा गया/प्रस्तुत किया गया ? (ग) यदि हां, तो कंडिका (क) एवं (ख) का उत्तर हां में है, तो इन पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई, बतायें ? बीमा राशि से वंचित किसानों को बीमा राशि का भुगतान किस दिनांक तक करा दिया जावेगा, बतावें ?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हॉ । शासन नियमानुसार 100 हेक्टर से अधिक फसल होने एवं अधिसूचित होने के उपरांत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के तहत कृषि बीमा का लाभ कृषकों को एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड म.प्र. भोपाल द्वारा दिया जाता है । फलस्वरूप ग्राम दहलवाडा, रहटवाडा, खरसली, विकासखण्ड बनखेडी एवं ग्राम महलवाडा विकासखण्ड पिपरिया के कृषकों को कृषि बीमा का लाभ दिया गया है । ग्राम मुरगीढाना, कोठरी, कामठी, डगरहाई एवं जूनावानीढाना में फसल रकबा 100 हेक्टर से कम होने के फलस्वरूप अधिसूचित नहीं होने के कारण फसल बीमा का लाभ नियमानुसार नहीं दिया गया है । (ख) जी हॉ । शासन नियमानुसार ग्राम महलवाडा तहसील पिपरिया के कृषकों को कृषि बीमा का लाभ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के तहत दिया गया । (ग) कंडिका क एवं ख के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के तहत कृषि बीमा का लाभ किसानों को दिया गया ।

श्री ठाकुरदास नागवंशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खंड (ख) के संबंध में जो उत्तर दिया गया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं. 100 हेक्टेयर से अधिक फसल रकबा ग्राम हो तब अधिसूचित होगा. अधिसूचित होने पर बीमा का लाभ मिलेगा, यह नीति किसान विरोधी है, यह बीमा कम्पनी को सीधा लाभ पहुंचाने वाली है. किसान भोला होता है उसकी प्रीमियम राशि कट रही है, फसल की क्षतिपूर्ति हुई है, पर बीमा का लाभ उसको नहीं मिल रहा है. मैं आसंदी से व्यवस्था चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय—आप पहले मंत्री जी से प्रश्न तो कर लें.

श्री ठाकुरदास नागवंशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस नीति में फेरबदल करना चाहिये इसलिये मैं आसंदी से व्यवस्था चाहता हूं कि इस प्रकार की जो त्रुटिपूर्ण अनुबंध को तत्काल समाप्त किया जाये अथवा रकबे का बंधन समाप्त हो, इसमें किसान का जो प्रीमियम कट रहा है उसका सीधा-सीधा लाभ किसान को मिलना चाहिये.

अध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न यह है कि किनको मिला और किनको नहीं मिला.

श्री ठाकुरदास नागवंशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिपरिया विधान सभा का मामला नहीं है यह प्रदेश के लाखों लोगों का है.

अध्यक्ष महोदय—अभी तो आपने पिपरिया का प्रश्न पूछा है.

श्री विजयपाल सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिपरिया का ही नहीं मेरे सोहागपुर क्षेत्र का भी मामला है सोहागपुर के करीब करीब पांच छः गांव ऐसे हैं.

अध्यक्ष महोदय—एक प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष जी यह नीतिगत मामला है.

अध्यक्ष महोदय—नीतिगत मामलों के प्रश्न नहीं होते कृपया नियम आप देख लें. इसलिये मेरा माननीय सदस्य तथा सोहागपुर विधान सभा क्षेत्र के माननीय सदस्य को एक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं. आप सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न पूछ लें आपने इसमें जो गांवों के नाम लिखे हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान—किसानों की प्रीमियम कट जाती है उनको कोई भी बीमा नहीं मिलता है इस बारे में कोई नीति बनाएं?

अध्यक्ष महोदय—यह नियमों में नहीं है सीधे आपने गांवों के नाम लिखे हैं आप पूछे लिजिये कि इनको लाभ नहीं दिया गया है और क्यों नहीं दिया गया है इसका लाभ इनको कब तक दिया जायेगा. आपने तो उत्तर ही दे दिया.

श्री ठाकुरदास नागवंशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का प्रीमियम कट रहा है, उनकी क्षति हुई है, उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है, कब तक मिलेगा?

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है, यह गंभीर मामला है.

श्री ठाकुर दास नागवंशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इतनी उदार है कि साढ़े सत्तर प्रतिशत से जब ब्याज जीरो कर सकती है तो इसमें 100 हेक्टेयर को भी जीरो होना चाहिये?

अध्यक्ष महोदय—नीतिगत प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं होते आप इस बात को समझें आप वरिष्ठ सदस्य हैं. जो पात्रता रखते हैं उन गांवों में नहीं मिला है तो इसकी मंत्री जी को जानकारी दे दें.

श्री विजयपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र के बाबई ब्लॉक में 8-10 गांव ऐसे हैं, जिनकी प्रीमियम की राशि कटी है और उनको बीमे की राशि नहीं मिल पाई है.

अध्यक्ष महोदय--जिनके प्रश्न लगे हैं, उनके उत्तर आने दीजिए.

डॉ. रामकिशोर दोगने --मैं भी आपको नाम बता दूं.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, नाम मत बताइये.(व्यवधान).

श्री सोहनलाल बाल्मीक--अध्यक्ष महोदय, परासिया में भी है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--बैठ जाइये आप. उत्तर आने दें. (व्यवधान) आप लोग उत्तर तो आने दें.

श्री बहादुर सिंह चौहान--सोहागपुर, पिपरिया अकेले की बात नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति पूरे मध्यप्रदेश की है. (व्यवधान).

श्री कमलेश्वर पटेल--आज वर्तमान में जो किसानों के साथ हो रहा है यह सरकार कर रही है (व्यवधान) ऐसी स्थिति है.

श्री हरदीप सिंह डंग--माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल सोहागपुर, पिपरिया बल्कि अनेकों जगह यह हो रहा है.

अध्यक्ष महोदय--कृपा करके जिनके प्रश्न लगे हैं, उनके उत्तर आने दें.

श्री ठाकुरदास नागवंशी--ग्राम गामती है, मुर्गीढाना है,मेहरवाड़ा है ऐसे अन्य गांव हैं भाई साहब, जो इस प्रश्नावलि में दिये हैं मेरा सीधा मतलब यह है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा में भी ऐसे कई गांव हैं जहां यही स्थिति हो रही है (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--आप लोग बैठ जायें. जवाब तो आने दें.

इंजीनियर प्रदीप लारिया-- जहां जहां जिन जिन विधान सभा क्षेत्रों में जो प्रीमियम कटा है लेकिन मुआवजा नहीं मिला है वहां का एक बार पुन: परीक्षण करा लें.

अध्यक्ष महोदय--आप बैठ जाइये अब नहीं हो सकता परीक्षण. माननीय मंत्री जी जो पात्र गांव हैं, और जिनके यहां मुआवजा नहीं मिला और प्रीमियम कटा है क्या ऐसे क्षेत्र का आप परीक्षण करा लेंगे.

श्री गौरीशंकर बिसेन--अध्यक्ष महोदय, हमारे पास में ऐसी जहां जहां की शिकायतें आई थीं, हमने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को उनसे वीडियो कांफ्रेंसिंग किया और उनको निर्देशित किया कि पुन: परीक्षण करा लें. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य--सिर्फ फर्जी काम होता है.

अध्यक्ष महोदय--यह निकाल दीजिये कार्यवाही से.

श्री नारायण सिंह पवार--अध्यक्ष महोदय, शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं हुआ है अभी तक. (व्यवधान).

इंजीनियर प्रदीप लारिया--कलेक्टर और एस.डी.एम. के माध्यम से आवेदन दिये गये थे माननीय अध्यक्ष महोदय.

श्री गौरीशंकर बिसेन--राजस्व भू अभिलेख विभाग के द्वारा संशोधित जो प्रपोजल था वह बीमा कंपनी को भेजा गया है और उसके बाद भी स्थिति अपने सामने आयेगी. जहां तक माननीय विधायक का प्रश्न है इनके जो गांव हैं बीमित क्षेत्र में नहीं है और बीमित क्षेत्र में नहीं होने के कारण

उनको बीमे का लाभ नहीं मिला और इसमें अधिसूचित नहीं होने के कारण इनसे प्रीमियम भी नहीं लिया गया. (व्यवधान).

श्री बहादुर सिंह चौहान --अध्यक्ष महोदय, भू राजस्व संहिता आर.बी.सी. एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा तभी कुछ होगा (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--प्रश्न संख्या 13..

श्री जितू पटवारी--बहुत ही गंभीर मामला है. (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय--आप लोग बैठ जायें. (व्यवधान)

श्री ठाकुरदास नागवंशी--अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा समय नष्ट कर दिया है.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--आप लोग बैठें.

श्री कमलेश्वर पटेल--हम भी एक प्रश्न करना चाहेंगे.

श्री ठाकुरदास नागवंशी-- अध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न करना है.

अध्यक्ष महोदय--अभी गोपाल भा भार्गव जी कुछ कहना चाह रहे हैं पहले उसको सुन लें वह खड़े हो गये हैं.

श्री बहादुर सिंह चौहान--अध्यक्ष महोदय, भू राजस्व संहिता आर बी सी एक्ट और सरकार से आग्रह है आपके माध्यम से कि इसको हाउस में लाना पड़ेगा किसानों की प्रीमियम कट जाती है उनका बीमा पूरे प्रदेश का मामला है यह और सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करके जिसकी प्रीमियम कटे, उस किसान को बीमा मिलना चाहिये यह हाउस में लाना पड़ेगा.

अध्यक्ष महोदय--बैठ जाइये.

श्रीमती झूमा सोलंकी--अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में पूरे ब्लाक में बीमा नहीं मिला है.

श्री सोहनलाल बाल्मिक--अध्यक्ष महोदय, बिसेन जी छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री हैं, मेरे परासिया विधान सभा क्षेत्र में भी बीमे की राशि नहीं मिली है.

अध्यक्ष महोदय--बैठ जाइये वाल्मिकी.

(व्यवधान)

श्री नारायण पवार--अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा में 112 गांव को प्रीमियम राशि नहीं मिली है. (व्यवधान).

श्रीमती झूमा सोलंकी--फिर से सर्वे होना चाहिये.

श्री ठाकुरदास नागवंशी--अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न है मेरा, मैं वह करना चाहता हूं क्योंकि अभी एक मिनट बाकी है. (व्यवधान). मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन किसानों को 100 हैक्टर से रकबा कम होने के कारण अधिसूचित नहीं हैं उन्हें बीमे का लाभ नहीं मिला है, क्या सरकार द्वारा उनको बीमा राशि के बराबर लाभ दिया जायेगा, यह मंत्री जी बतायें.

श्री गौरीशंकर बिसेन -- अध्यक्ष महोदय, उनसे प्रीमियम ही नहीं लिया गया. जो अधिसूचित नहीं थे, उन हलकों से प्रीमियम ही नहीं लिया गया है.

श्री ठाकुरदास नागवंशी -- मंत्री जी, उनका प्रीमियम कटा है. लेकिन उनको लाभ नहीं मिला है.

..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

11.30 बजे **नियम 267-क के अधीन विषय**

अध्यक्ष महोदय -- शून्यकाल की सूचनायें. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया. अपनी शून्यकाल की सूचना पढ़ें. ... (व्यवधान).. कृपया बैठ जायें. पहले यह शून्यकाल की सूचनाएं हो जाएं, फिर एक एक मिनट सुन लेंगे. पहले शून्यकाल की जो लिखित सूचनायें हैं, वह हो जाने दीजिये, फिर आपकी बात सुन लेंगे. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया.

(1) इन्दौर उज्जैन संभाग के महाविद्यालयों द्वारा छात्रों को कॉशन मनी राशि न लोटायी जाना.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर) -- अध्यक्ष महोदय,

इन्दौर-उज्जैन संभाग में निजी महाविद्यालयों द्वारा काशन मनी के रुप में हजारो रुपये लिये जाते है। ज्यादातर महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी की बार-बार मांग के बावजूद इन्हें वापस नहीं लौटाया जाता। इस तरह निजी महाविद्यालय लाखो रुपये अवैध रुप से विद्यार्थियों से वसूल रहे है। विद्यार्थियों की शिकायत के बावजूद विभाग द्वारा इन महाविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसमें बड़ी मात्रा में विभाग के कर्मचारी भी लिप्त होते है। इसको लेकर विद्यार्थियो में भारी आक्रोश है। इन्दौर-उज्जैन संभाग के स मस्त निजी महाविद्यालयों की जांच कर विद्यार्थियों को काशन मनी की राशि लौटाई जाए।

(2) श्योपुर में खराब विद्युत मीटर न बदला जाना.

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर) -- अध्यक्ष महोदय,

श्योपुर जिले में आरएपीडीआरपी योजनान्तर्गत कार्य ऐजेन्सी गोदरेज एण्ड वॉइस कम्पनी लिमिटेड मुंबई द्वारा श्योपुर शहर में माह दिसम्बर 2011 से वर्तमान तक की अवधि में उपभोक्ताओ के घर बाहर दिवारो पर लगभग 4500 डीजीटल मीटर स्थापित किये गये। इनके संबंध में विद्युत कम्पनी एंव कार्य ऐजेन्सी के मध्य ये अनुबंध हैं कि मीटर स्थापना दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के पूर्व अगर ये मीटर खराब हो गये तो ऐजेन्सी द्वारा खराब मीटरो को तत्काल बदला जावेगा। इसके बाबजूद वर्तमान में श्योपुर शहर में स्थापित किये गये मीटरो में से अधिकांश मीटर कुछ महिनो में ही प्रचण्ड गर्मी की हीट एंव बारिश के पानी से खराब हो गये। विद्युत कम्पनी द्वारा इनके स्थान पर तत्काल नवीन मीटर लगाने हेतु कार्य ऐजेन्सी को न तो समय पर पत्र लिखे गये और ना ही कोई अन्य आवश्यक कार्यवाही ऐजेन्सी के विरूद्ध की गई। कार्य ऐजेन्सी द्वारा भी खराब मीटरो को बदलने हेतु वर्तमान तक कोई रूचि नहीं ली गई। जिन उपभोक्ताओ के मीटर खराब पड़े हैं उनके सहित शहर के अधिकांश उपभोक्ताओ को विद्युत कम्पनी द्वारा नियम विरूद्ध तरिके से 2 से 4 गुना अधिक राशि के अनुमानित खपत के देयक जारी करके उन्हें ठगा जा रहा हैं। बीपीएल परिवारो को भी बख्शा नहीं जा रहा हैं उन्हें भी 10 से 12 हजार तक के देयक प्रतिमाह जारी किये जा रहे है मीटर वाचक प्रतिमाह डोरटूडोर रींडिग लेने नहीं आते है वे कार्यालय में ही बैठकर मनमर्जी से रीडिंग बुक की भरपाई करके उन्हें कार्यालय में प्रस्तुत कर देते हैं कई उपभोक्ताओ द्वारा देयक राशि जमा करने के उपरांत भी जमा की गई राशि उन्हें अगले माह के देयक में जोड़कर उन्हें दो दो बार देयक राशि जमा करने को मजबूर किया जा रहा हैं। प्रभावित उपभोक्ता अपने अपने देयको में सुधार करवाने हेतु कम्पनी के कार्यालय में चक्कर लगालगा कर परेशान हो रहे है। कम्पनी के अमले द्वारा उनके देयको में सुधार नहीं किया जा रहा हैं नतीजन कम्पनी एव ऐजेन्सी की मिलिभगत का खमियाजा उपभोक्ताओ को भुगतना पड़ रहा हैं इन सभी कारणो से उपभोक्ताओ को कई प्रकार की कठिनाईयो का सामना भी करना पड़ रहा हैं। विद्युत कम्पनी द्वारा ऐजेन्सी को इस हेतु यथासमय पत्र न लिखे जाने एंव अन्य आवश्यक कार्यवाही न करने के कारणो की जांच कराकर दोषियो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए खराब मीटरो को तत्काल बदलवाये जाने तथा दोषपूर्ण देयको को तत्काल सुधरवाने की समुचित व्यवस्था कराये जाने, उपभोक्ताओ से वसूली गई अधिक राशि का समायोजन आगामी महिनो में किये जाने के उपरांत नियमानुसार देयक राशि ही वसूले जाने हेतु कम्पनी के अमले को शासन द्वारा कड़े निर्देश जारी करने की आवश्यकता हैं ताकि उपभोक्ताओ को राहत मिल सके इस कार्यवाही में विलंब किये जाने के कारण उपभोक्ताओ में गंभीर निराशा एंव असंतोष व्याप्त हैं।

धार एवं झाबुआ के अनेक ग्रामों में स्वच्छ पेयजल का प्रदाय

श्री मुकेश नायक (पवई) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

मध्यप्रदेश के धार और झाबुआ जिलों में लगभग 1018 बस्तियों में पेयजल में फ्लोराईड की मात्रा अत्याधिक होने के कारण वहां पीने योग्य स्वच्छ पेयजल का 2007 से आभाव होने के बावजूद आज तक राज्य सरकार ने इन बस्तियों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिये कोई योजना पूरी नहीं की है. सरकारी आदिवासी प्रधान ग्रामों में पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 2008 में झाबुआ और धार जिलों में जल आपूर्ति योजनाओं के लिये प्रशासनिक अनुमोदन तो दिया गया और 8 योजनाएं बनाकर उनके क्रियान्वयन के लिये लगभग 174 करोड़ रूपया स्वीकृत भी किया गया लेकिन 2010 में जिन पेयजल योजनाओं को पूरा हो जाना था वे 180 करोड़ रूपया खर्च होने के बाद भी पूरी नहीं हुई हैं, इस कारण इन 1000 से ज्यादा बस्तियों में रहने वाले लोग हानिकारक और गंदा दूषित पेयजल पीने के लिये मजबूर हैं. जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. पेयजल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है लेकिन सरकार पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाह है, जिससे जनता में रोष और असंतोष व्याप्त है.

रीवा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग सात फोरलेन हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना (मऊगंज)- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

रीवा जिले में रीवा हनुमना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 फोरलेन सड़क के निर्माण कार्य में बिझौली एवं खटखरी आदि ग्रामों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं. उक्त जमीनों में अधिकांश का मुआवजा नहीं दिया गया है. तत्संबंध में लोगो से प्राप्त आवेदनों पर मेरे द्वारा कलेक्टर जिला रीवा

एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) हनुमना एवं मऊगंज को भी लेख किया गया परंतु इस संबंध में इन अधिकारियों द्वारा जनहित में समुचित कार्यवाही नहीं की गई . अधिकांश जगहों में एक ही स्थान में एक ही प्रकृति की जमीनों का व्यक्ति अनुसार अलग अलग मापदण्डों के तहत मुआवजा भुगतान किया गया है. शासन एवं प्रशासन की इस मनमानीपूर्ण कार्यवाही से लोगों में सरकार के प्रति भय एवं भयंकर आक्रोश व्याप्त है. जनता इस संबंध में कई बार आंदोलन भी कर चुकी है. स्थिति पूरी तरह से विस्फोटक एवं नियंत्रण से बाहर है. कभी भी कोई अप्रिय स्थिति हो सकती है.

दमोह जिले के तेंदूखेड़ा व्याहा झालोनी रहली सड़क मार्ग की जर्जर हालत

श्री प्रताप सिंह (जबेरा) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा व्हारा झलौन रहली मार्ग विगत वर्ष मध्यप्रदेश सड़क विका प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ है. पूर्व निर्मित मार्ग की स्थिति अत्यंत जर्जर एवं दयनीय हो चुकी है. मार्ग में जगह-जगह गड्ढे हो जाने से यातायात में यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. इस मार्ग पर आये दि दुर्घटनायें भी होती रहती हैं, फलस्वरूप कई लोगों की जान भी जा चुकी है तथा अेक लोग अपंग भी हो चुके हैं. मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु मैंने शासन का ध्यान भी अपने पत्रों के माध्यम से आकृष्ठ कराया है. पत्रों का प्रत्युत्तर प्राप्त न होना शासन की कोताही को स्पष्टत: इंगित करता है. मार्ग निर्माण न होने से मार्ग से जुड़े हुये ग्राम के ग्रामवासियों में काफी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है. कब तक स्वीकृत कार्य को मौके पर क्रियान्वित किया जावेगा. समयावधि से अवगत करायें.

सागर जिले में बिजली की अघोषित कटौती

श्री हर्ष यादव (देवरी) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी शून्यकाल की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

सागर जिले में बिजली विभाग द्वारा बिजली की अघोषित कटौती लगातार की जा रही है जबकि सभी किसानों ने बिजली के बिलों का भुगतान समय पर किया हुआ है और कर रहे हैं फिर भी बिजली की अघोषित कटौती से रबी की फसल सिंचाई से वंचित होकर खराब हो रही है इससे किसान भाई काफी परेशान हैं जिन किसानों के तीन हार्स पावर के कनेक्शन हैं उन्हें पांच हार्स पावर के कनेक्शन के बिल दिये जा रहे हैं. किसान शासन एवं प्रशासन की लापरवाही से प्रताड़ित भी हो रहे हैं. शासन एवं प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है.

पत्रों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले (कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619 – क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये पटल पर रखती हूं.

श्री लालसिंह आर्य (राज्यमंत्री समान्य प्रशासन) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मैं,

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अंतर्गत 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013,तथा

(ख) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उप धारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा 2012-2013 पटल पर रखता हूँ.

11.41 बजे

ध्यान आकर्षण

(1) प्रदेश में प्री-फेब्रिकेटेड पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितता होना

डॉ. गोविन्द सिंह (लहार) –

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

प्रदेश में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने पफ तकनीक से 2331 ई-पंचायत कक्ष बनाने के लिए नोडल ऐजेन्सी लघु उद्योग निगम को बनाया गया। इस ऐजेन्सी के जरिये मेसर्स सी-टेक इन्वायर इंजीनियरिंग मुम्बई को कार्य सौंपा गया तथा इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा जुलाई, 2014 निर्धारित की गई थी। उक्त कंपनी द्वारा जुलाई 2014 तक मात्र 692 कक्षों का ही निर्माण किया जा सका है। कंपनी द्वारा घटिया व अमानक स्तर का निर्माण कार्य किये जाने को लेकर जिला कलेक्टर को शिकायतें की गई। बैतूल में 83 प्री फेब्रीकेटेड ई-पंचायत कक्ष के निर्माण में हुई आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें स्थानीय सांसद व विधायकों द्वारा किये जाने पर कलेक्टर द्वारा जांच कमेटी बनाई गई। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन ई-पंचायत कक्षों को गुणवत्ताहीन बताया साथ ही फायरप्रूफ नहीं होने तथा जांच समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान खिड़कियां, दरवाजे टूटे पाये गये जो आर.सी.सी भवन 3.25 लाख में बन सकता है वह 6 लाख के आर.सी.सी. भवन के मुकाबले कमजोर एवं घटिया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर बैतूल ने राज्य शासन को पत्र लिखकर इस कार्य में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताओं की संभावना व्यक्त की। इसके बावजूद कंपनी को 1.37 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। ई-पंचायत भवन निर्माण में प्रति पंचायत 3.50 लाख रूपये की बंदरबाट विभाग एवं लघु उद्योग निगम और सी.ई.ओं. के द्वारा की गई है। इस आर्थिक अनियमितता के मामले की जांच नहीं कराये जाने व संबंधित आरोपी अधिकारियों एवं कंपनी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) – अध्यक्ष महोदय,

जी हॉ। प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पफ तकनीक से 2826 ई–पंचायत कक्ष लघु उद्योग निगम के माध्यम से निर्माण एजेंसी के रूप में, निर्माण कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। उक्त कार्य मेसर्स सीटेक एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रा. लि. मुबंई को सौपा गया है। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिये लघु उद्योग निगम द्वारा रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर समय–सीमा 31.03.2014 नियत थी। लघु उद्योग निगम द्वारा किये गये अनुरोध एवं एक्शन प्लान के आधार पर समय–सीमा जूलाई, 2014 की गई परन्तु उनके द्वारा उक्त समय–सीमा में मात्र 692 ई–पंचायत कक्षों का निर्माण कुल 18 जिलों में किया गया। समय–सीमा में कार्य न करने पर शेष ई–पंचायत कक्षों 2134 निर्माण कार्यों (कक्ष) को, विभाग द्वारा जिलों को निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

मेसर्स सीटेक एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रा. लि., मुबंई द्वारा "पफ तकनीक" से निर्मित किये जा रहे ई–पंचायत कक्ष में घटिया व अमानक स्तर की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नही हुई है। सिर्फ समय–सीमा में कार्य न करने की शिकायत् प्राप्त हुई थी, जिसके कारण विभाग द्वारा अप्रारंभ कार्यों को निरस्त किया गया।

जिला बैतूल में पफ तकनीक से ई–पंचायत कक्ष निर्मित नही करवाये गये है। जिला बैतूल में "सीमेंट मॉर्टर तकनीक" से कुल 83 प्री–फैब्रिकेटेड ई–पंचायत कक्ष निर्मित किये जाने हेतु जिलो द्वारा क्रयादेश दिये गये थे, जिसमे उनके द्वारा मात्र 50 ई–पंचायत कक्ष ही निर्मित किये गये। शेष 33 ई–पंचायत कक्ष अप्रारंभ होने के कारण निरस्त किये गये। जिला बैतूल में वर्ष 2012–13 में, 83 प्री–फैब्रिकेटेड ई–पंचायत कक्षों के निर्माण हेतु प्रति ई–पंचायत कक्ष की लागत राशि रूपये 4.86 लाख पीली मिट्टी हेतु एवं काली मिट्टी हेतु 5.11 लाख के मान से राशि रूपये 498.00 लाख स्वीकृत कर म.प्र.लघु उद्योग निगम को जिलों द्वारा निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था। ११८.२

निगम द्वारा नियुक्त मेसर्स टाईम टेक्नॉप्लास्ट लि. मुबंई द्वारा जुलाई, 2014 तक कुल 50 ई–पंचायत कक्षों का ही निर्माण हुआ। ई–पंचायत कक्षों के घटिया निर्माण की शिकायत तात्कालीन कलेक्टर, बैतूल द्वारा की गई थी। शिकायत के आधार पर लघु उद्योग निगम द्वारा 3 सदस्सीय समिति गठित की गई, समिति के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर कुछ टूट–फूट एवं गुणवत्ता में आंशिक कमी पाई गई। उक्त के निराकरण हेतु पुनः एक उच्च स्तरीय जॉच समिति "संपदा एवं निर्माण विभाग" लघु उद्योग निगम जिनके पास इस कार्य हेतु पर्याप्त अनुभव है, को उक्त आंशिक कमियों के कारण शैल्टर की मजबूती एवं उपयोगिता पर विपरीत प्रभाव न पड़ने की स्थिति में निराकरण का सुझाव दिया जाने हेतु निर्देशित किया गया। समिति द्वारा पाई गई भिन्नताओं के दृष्टिगत रखते हुये, LUN की समिति के निर्णय अनुसार प्रति शैल्टर राशि रूपये 10,000/– काटी गई एवं 10 प्रतिशत परफारमेंस गारंटी प्रति शैल्टर के मान से 5 वर्ष के लिये जमा करवाई गई।

डॉ गोविन्द सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 2100 करोड़ रूपये का घोटाला करने की योजना थी. जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन बनाना थे. भारत सरकार ने राशि दी थी सीधे ग्राम पंचायत को भवन बनाना था लेकिन शासन स्तर पर यहीं से नक्शे और उसकी राशि उसके सभी नियम बनाकर सीधे भेजा गया और यह भी तय किया कि राशि का 25 प्रतिशत एडवांस दें इतनी राशि 65 प्रतिशत की दो माह के बाद दें. इस प्रकार से पूरा घोटाला करने की योजना थी लेकिन जब यह जानकारी प्रकाश में आयी तो जैसा कि मंत्री जी ने जवाब में बताया कि 692 ई कक्ष और अन्य पंचायत भवन बन चुके हैं. इनमें 2100 करोड़ का अभी भी घोटाला हो चुका है. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह नियम विरूद्ध सीधा आदेश भेजने का, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पंचायतें काम कर रही हैं, लेकिन पंचायतें काम नहीं कर रही हैं यह पत्र मेरे पास है मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग का है यह सीधे पंचायतों को पत्र लिखा गया है इसमें सारे निर्देश हैं. शासन के स्तर से क्या अपर मुख्य सचिव को यह अधिकार था कि पंचायतों को सीधे निर्देश देते यह किस नियम के तहत किया है फिर 2011-12 में पंचायतों को बीआरजीएफ योजना के तहत जो राशि दी गई थी उस राशि में पंचायत भवन की योजना को जिलों में शामिल किया गया था. यदि नहीं था तो फिर ऐसा क्यों किया गया क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, विभाग ने लघु उद्योग निगम के लिए, जो कि शासकीय कार्यों के लिए जो खरीद-फरोख्त होती है लगभग सभी कामों के लिए वह एजेंसी होती है, यह सभी जानते हैं. लघु उद्योग निगम के लिए राशि दे दी, उसके लिए ग्लोबल टेंडर हुए. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों ने उसमें भाग लिया. जो कंपनी उसमें प्रथम पाई गई, उसके लिए टेंडर दिये गये. जैसा कि मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है यह देखने में आया कि जितनी संख्या में बनना थे, वह नहीं बन पाये. एक बार उसकी अवधि बढ़ाई गई, लेकिन तब भी नहीं बन पाये तो उसका ठेका निरस्त कर

दिया है. अब इसमें कुछ भी भ्रष्टाचार होने का, अनियमितता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है क्योंकि इसमें विभाग का सीधा कोई संबंध नहीं है. अनेक विभाग आदेश देते हैं और लघु उद्योग निगम इसको क्रियान्वित करता है. स्पष्ट नियम हैं. चूंकि यह भी आवश्यक था कि बहुत जल्दी ई-पंचायत का निर्माण करते क्योंकि हमारे लिये नरेगा के भुगतान से लेकर तमाम भुगतानों के लिए कम्प्यूटराईजेशन की आवश्यकता थी और जल्दी से जल्दी कम्प्यूटराईजेशन हो, इसके लिए जो नयी टेक्नालॉजी आई है, उस टेक्नालॉजी के माध्यम से हम वहां पर कक्ष बनाने का प्रयास करवा रहे थे. वह प्रयास सफल नहीं हो सका. अब इनकी बैंक गारंटी भी जमा है और जितना इनको पेमेंट हो चुका है, इससे ज्यादा इनकी बैंक गारंटी जमा है. इसमें गड़बड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और यदि कहीं कोई गुणवत्ता कमजोर रही है तो राशि का डिडक्शन भी किया गया है. इस कारण से मैं कहता हूं कि इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका तो जवाब दिया नहीं. मैंने पूछा है कि शासन स्तर पर पत्र जारी करके सीधा नक्शा सहित यह इतनी दिवाल बनेगी, इतनी राशि देंगे, क्या यह राशि भारत सरकार ने जिला पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को दी थी? इसका जवाब नहीं दिया. दूसरा, लघु उद्योग निगम अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि लूट और दोगला काम होता है. आपने सब लघु उद्योग निगम से ही जांच करा ली, जो कि इसमें दोषी है, इसका जवाब दे दें? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि अभी भी 21 करोड़ रुपए का घोटाला कर चुके हैं. 91 करोड़ रुपए की खरीद-फरोख्त की है और यह सच्चाई है.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर साहब, आपको किसने आंकड़े दिये. 21 करोड़ रुपए का काम ही हुआ है. आपको किसी ने असत्य कहा है. आपको सही जानकारी नहीं दी है.

डॉ. गोविन्द सिंह - 91 करोड़ रुपए के बन चुके हैं.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, हम आपको जानकारी दे देंगे.

डॉ. गोविन्द सिंह - हां, जानकारी दे देना. लेकिन क्या यह अधिकार था, अपर मुख्य सचिव को यह अधिकार था कि वह सीधा दे दें, यह जो राशि है वह भारत सरकार ने नियमों के तहत ग्राम पंचायतों को जाना थी. उनको वह काम करवाना थे. पत्र भी है कि ग्राम पंचायतें स्व-विवेक से निर्णय लेंगी. फिर इनको यह करने का क्या अधिकार था? और एजेंसी का नाम भी बता दें, उसका कौन मालिक है और उसका क्या पता है?

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, जैसा मैने निवेदन किया है, माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि यह कम्प्यूटराईजेशन जो है वह बहुत आवश्यक था.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, यह और बता दूं कि ग्लोबल टेंडर हुए ही नहीं हैं. सीधा उसको दे दिया है. यह आदेश में है. मैं आपके पास आदेश प्रस्तुत कर देता हूं. इसमें ग्लोबल टेंडर हुए ही नहीं हैं. चुपचाप बाला-बाला सब काम हुआ है.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, 8 लोग इसमें प्रतिभागी थे. मैं नाम पढ़कर बता देता हूं. सीटेक, बम्बई..

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, कौन-से पेपर में निकले, आप बताइए? लघु उद्योग निगम को चिट्ठी दे दी और उन्होंने बुला लिये अपने घर में.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30.9.10, 29.9.12..

अध्यक्ष महोदय -आप उत्तर तो ले लीजिए.

डॉ. गोविन्द सिंह - माननीय भार्गव जी आप इसमें इनवॉल्व नहीं हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है, इसकी जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.

अध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाएं.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, कोई विषय ही नहीं है तो जांच किस बात की कराएं?

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार हुआ है, यह आदेश क्यों दिये?

अध्यक्ष महोदय - आप प्रश्न तो क्लियर करिए, आप प्रश्न भी करते हैं और उत्तर भी देते हैं.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के जल्दी से जल्दी कम्प्यूटराईजेशन के लिए आवश्यक था, इसलिए निर्णय लिया गया. लेकिन वह एजेंसी जो क्रियान्वयन की थी, जिसको यह ठेका दिया गया था, उसने एक चौथाई काम भी नहीं कराया, उसका ठेका निरस्त कर दिया गया. अब यह क्या सवाल है?

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, आप जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दे ही नहीं रहे. मैं 4 बार रिपीट किया है.

अध्यक्ष महोदय - इसी पर 2 सदस्य और हैं, वह बैतूल जिले के बैठे हैं. आप बैठ जाएं.

डॉ. गोविन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाऊंगा. लेकिन हमारे ध्यान आकर्षण लगाने का मतलब ही क्या है? मैं कुछ पूछ रहा हूं और वे जवाब कुछ दे रहे हैं. क्या मेरे ध्यान आकर्षण लगाने का कोई औचित्य नहीं है?

अध्यक्ष महोदय - औचित्य है, आपका उत्तर आ गया है, आपके 2-3 प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं.

डॉ.गोविन्द सिंह – अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा जो राशि पंचायतों को दी गई थी उस राशि को लघु उद्योग निगम को देने का अधिकार क्या यहां के अधिकारियों को था? इसका उत्तर मंत्री जी दे दें.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा उत्तर है कि काम जल्दी करवाने के लिए इनको दिया गया. इन्होंने नहीं किया ..

डॉ.गोविन्द सिंह—तो आप दूसरों को दे दों और करोड़ों रूपये का घोटाला हो गया. (व्यवधान)

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, यह जो एजेन्सी है, जो ठेकेदार हैं इन्होंने काम नहीं करवाया तो काम वापिस पंचायतों के लिये दे दिया गया है. अब इसमें क्या सवाल उठ सकता है. काम पूरा का पूरा पंचायतों के लिये दे दिया गया है, इसमें यदि गड़बड़ी नहीं होती तो ठेका निरस्त क्यों करते ? कार्य आदेश निरस्त क्यों करते ?

डॉ.गोविन्द सिंह- घोटाला सरेआम पकड़ा गया.

अध्यक्ष महोदय—डॉक्टर साहब आप बैठ जायें,

श्री उमंग सिंघार (गंधवानी)- अध्यक्ष जी, मैं इस घोटाले के बारे में मैं एक बात दो लाईन के अंदर बताना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी जहां सासंदों के माध्यम से आदर्श ग्राम योजना बना रहे हैं और उसी पंचायत के अंदर, प्रदेश के अंदर कुछ कुछ अधिकारियों की मदद से घोटाले चल रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय- आप सीधे प्रश्न कर लें.

श्री उमंग सिंघार---मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि कॉमन वेल्थ घोटाले के अंदर जो आरोपी है ,हॉई लेवल कमेटी, जो डायरेक्टर जनरल पोस्ट पर थे वे इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी हैं. ..

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है, इस तरह से किसी व्यक्ति के बारे में इंगित किया जाना उचित नहीं है.

डॉ.गोविन्द सिंह—आप यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि इसका मालिक कौन है.? हमने पूछा था.(व्यवधान)

श्री गोपाल भार्गव- ना तो मैं ठेकेदारी करता हूं और न जिन्दगी में मैने की है और न मुझे करना है. मैं तो फकीर आदमी हूं. मुझे नहीं करना ठेकेदारी. हमें सब करने की जरूरत नहीं है. हम घंटुरिया बजा लेंगे.

श्री उमंग सिंघार—माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा है कि क्योंकि काम जल्दी करवाना था इसलिए हमने ऐसा किया. लेकिन 2011 के बाद 2014 आ गया. तीन साल हो गए और इनको कम्प्युटर रखने के लिए व्यवस्था चाहिए. अब बीस हजार के कम्प्युटर रखने के लिए 6 लाख का 300 स्क्वेयर फिट का भवन. आज बाजार के अंदर 1000 रूपये स्क्वेयर फिट के अंदर 300 स्क्वेयर फिट के अंदर तीन लाख का कमरा बनता है, छः लाख के अंदर

बना. ये सरासर पूरा घोटाला है. इसलिए बैतूल के बारे में कहना चाहूंगा ,चूंकि यह पूरे प्रदेश का मामला था,चूंकि अब यह सरकार के द्वारा निरस्त किया गया. देखिये इस घोटाले के अंदर जो आरोपी थी, मैने भी इस संबंध में मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा था ,उसके बारे में क्या जांच की गई मंत्री जी बतायें. उसमें अभी तक क्या हुआ. क्या कमेटी बिठाई गई? इन्होंने LUN की बात की. ...

अध्यक्ष महोदय— बस अब आपका प्रश्न हो गया.

श्री उमंग सिंघार- दूसरी बात, ये जो BRGF योजना के अँदर इस कार्य योजना में इसको जोड़ा नहीं गया था इसके बावजूद भी यहां से पत्र पर पत्र लिख कर इसको जुड़वाने के प्रयास किये गये. एक बार कार्य योजना बनने का बाद क्या दुबारा क्या कार्य जुड़ सकते हैं?

श्री गोपाल भार्गव- अध्यक्ष महोदय, कमेटी के द्वारा जांच की गई. टेकनिकल एक्सपर्टस के द्वारा जांच की गई. इसमें जो कमियां सामने आयी थी कि सामने के दरवाजे पर पाऊडर कोटिंग के स्थान पर ऑईल पेन्ट किया गया है, एल-ड्राप ISI मार्क के नहीं पाये गये. वेन्टीलेटर्स के फिश मूविंग के स्थान पर फिक्स पाये गये. खिड़की तथा वेन्टीलेटर्स के फायबर ग्लास की मोटाई कम पायी गई. इन कमियों हेतु प्रत्येक शेल्टर हेतु दस हजार की राशि की कटौती की गई, अध्यक्ष महोदय, अब इसमें दस हजार रूपये काट लिये गये. अब इसमें क्या और जांच होना है.

अध्यक्ष महोदय—श्री खण्डेलवाल प्रश्न करें.

श्री उमंग सिंघार- अध्यक्ष जी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला.

अध्यक्ष महोदय—आपकी सब बातों के उत्तर आ गये.

डॉ.गोविन्द सिंह- मंत्री जी गोलमाल जवाब दे रहे हैं.

श्री उमंग सिंघार—पत्र लिखा उसके बारे में भी मंत्री जी जवाब ही नहीं दे रहे हैं. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय –आपने जांच का पूछा उन्होंने बता दिया, अब और क्या बताएं ?

श्री उमंग सिंघार – अध्यक्ष जी, मैं अपने पत्र की बात कर रहा हूँ, जो 2011 की योजना है. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय – ध्यानाकर्षण डॉ. गोविंद सिंह जी का था, उन्होंने पूरा समय लिया, आपको एक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, वह दे दी. अब एक प्रश्न श्री हेमंत खण्डेलवाल पूछेंगे. वे स्थानीय विधायक हैं. (व्यवधान...)

श्री उमंग सिंघार – अध्यक्ष महोदय, बड़ा घोटाला हुआ है... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – आप उनको प्रश्न तो पूछ लेने दें. (व्यवधान)..

डॉ. गोविंद सिंह – 2011-12 की योजना के बारे बताएं. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – माननीय सदस्य गण, वे स्थानीय विधायक हैं, आप उनको अपना प्रश्न तो पूछने दें. (व्यवधान).. एक प्रश्न से ज्यादा एलाऊ नहीं किया जाता, कॉल अटेंशन में.

श्री कमलेश्वर पटेल – माननीय सदस्यों को जो जवाब चाहिए वह जवाब तो मिल ही नहीं रहा है. (व्यवधान)..

श्री उमंग सिंघार – अध्यक्ष महोदय, हमें जवाब मिल ही नहीं रहा है.(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – आप लोग बैठ जाएं. (व्यवधान)..

डॉ. गोविंद सिंह – अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण लग गया, सदन के अंदर चर्चा हो गई, खतम. (व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल – माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आना चाहिए.

अध्यक्ष महोदय – आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद में एक-एक प्रश्न पूछा जा सकता है. (व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल – हमारे सवाल का जवाब दे दें, सब संतुष्ट हो जाएंगे.

अध्यक्ष महोदय – डॉ. गोविंद सिंह जी ने अपने प्रश्न पूछे, उन्हें अनुमति दी, श्री उमंग सिंघार जी ने 2-3 प्रश्न पूछे, उन्हें अनुमति दी, अब श्री हेमंत खण्डेलवाल जी को पूछने दीजिए. (व्यवधान)..

श्री कमलेश्वर पटेल – हम लोग जवाब से संतुष्ट नहीं हैं. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – जवाब दिया, आप लोग संतुष्ट नहीं हुए, वह अलग बात है.

श्री उमंग सिंघार – अध्यक्ष महोदय, मैंने जांच के लिए लिखा था और कोई जवाब नहीं दिया. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – जांच का जवाब दे दिया उन्होंने, आप बैठ जाइये. (व्यवधान).. आप कंपलीट तो होने दीजिए, हेमंत खण्डेलवाल जी आप पूछिये. (व्यवधान).. आपसे अनुरोध माननीय सदस्य को एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए, तभी मैं आगे का ध्यानाकर्षण लूंगा. कृपा करके बैठ जाएं और उनको प्रश्न पूछ लेने दें, उनका भी इसमें नाम है. (व्यवधान).. कृपा करके बैठ जाएं नहीं तो ये ध्यानाकर्षण यहीं समाप्त करके दूसरा लूंगा, इसलिए आप कृपया बैठ जाएं. मैं समय दे रहा हूँ और बहुत समय ध्यानाकर्षण में हो गया है. (व्यवधान).. कृपा करके उनको पूछ लेने दें आप.

डॉ. गोविंद सिंह – अध्यक्ष जी, फिर तो ध्यानाकर्षण का कोई औचित्य ही नहीं है. हम पूछ रहे हैं भोपाल का और वे जवाब दे रहे हैं सागर का. (व्यवधान)..

श्री उमंग सिंघार – अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार दो सवाल पूछे, उसके उत्तर नहीं आए. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – एक ही प्रश्न पूछा जाता है, आपने दो पूछ लिए, आप बैठ जाएं. (व्यवधान).. 5-6 प्रश्न हो गए इस पर. आपसे अनुरोध है आप कृपया बैठ जाएं. उनको पूछने दें. (व्यवधान)..ध्यानाकर्षण महत्वपूर्ण है कि नहीं. क्या आप मानते हैं ?

श्री उमंग सिंघार – अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण है लेकिन जवाब तो आए. आप थोड़ी देर में ध्यानाकर्षण खत्म कर देंगे.

अध्यक्ष महोदय – आप प्रिडिक्शन मत कीजिए कि आगे क्या होगा ?

श्री सोहनलाल वाल्मीक – जो एक काम 3 लाख में बनाया जा सकता है उसको 6 लाख रुपये में बनाने की क्या आवश्यकता थी ? पक्का निर्माण 3 लाख का बनता है, 6 लाख रुपये में आप बना रहे हैं ? (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय – श्री उमंग सिंघार की बात नहीं लिखी जाएगी. (व्यवधान)..

श्री हेमंत खण्डेलवाल – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे मामले के तथ्य दे रहा हूँ जरा मुझे तो बोलने दीजिए.

श्री उमंग सिंघार – आपके बोलने के बाद आप भी चुप बैठ जाएंगे, कुछ कार्यवाही नहीं होना है. (व्यवधान)..

श्री हेमंत खण्डेलवाल – मैं पूरे तथ्य रहा हूँ, पूरे पत्रों की कॉपी दे रहा हूँ.

श्री उमंग सिंघार – हमारे पास भी तथ्य हैं, लेकिन अभी क्या हुआ.

अध्यक्ष महोदय – चलिए आप प्रश्न पूछिए. (व्यवधान).. श्री शंकरलाल तिवारी अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें.

श्री हेमंत विजय खण्डेलवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इतना जरुरी था तो एसीएस ने 25-9 को एक पत्र लिख के इसकी लागत साढ़े 3 लाख से 4 लाख क्यों बनायी थी. दूसरा आपके आरईएस विभाग द्वारा इतने बड़े भवन की पक्के की लागत 3 लाख 33 हजार बतायी गई. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैतूल कलेक्टर ने इसकी जांच लघु उद्योग निगम के साथ में करवायी और कलेक्टर ने इसको पूरा गुणवत्ताविहीन और फायर प्रूफ का न होना पाया और 01 करोड़ 24 लाख मय ब्याज सहित लौटाने का सरकार को पत्र लिखा, उन पत्रों की कापी भी मैं आपको दूंगा. इसके बाद में कलेक्टर ने एक दूसरा पत्र..

अध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न करें.

श्री हेमंत विजय खण्डेलवाल—मैं आपकी जानकारी में ला दूं,मुझे तो बोलने ही नहीं दिया, पूरा मेटर ही मेरा था. 22-3 को कलेक्टर ने दूसरा पत्र लिखा लेकिन उसके बावजूद 01 करोड़ 24 लाख की रिकव्हरी छोड़ 01 करोड़ 37 लाख रुपये का पेमेंट आनन-फानन में कर दिया गया. मेरा आपसे आग्रह यह है कि आखिर जो बीआरजीएफ योजना है वह केन्द्र सरकार चाहती है कि यह गांव में बनें, ग्राम सभा इसको तय करे. गांव में बन के इसे जिला योजना के माध्यम से भोपाल के माध्यम से दिल्ली भेजा जाए न कि वल्लभ भवन में बैठ के 2500 कक्षों का...

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके प्रश्न कर दें.

श्री हेमंत विजय खण्डेलवाल—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही तो कर रहा हूँ कि न इसकी गुणवत्ता है, न इसकी लागत सही है.

अध्यक्ष महोदय—आप भाषण मत दीजिए.आप उत्तर सुन लीजिए अब.

श्री हेमंत विजय खण्डेलवाल—बीआरजीएफ योजना का उल्लंघन किया गया है तो इन तीनों चीजों में मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जिस अधिकारी ने इसका उल्लंघन किया उस पर क्या कार्यवाही होगी. जिसने कलेक्टर के पत्र के बाद पेमेंट किया, उस पर क्या कार्यवाही होगी और

घोटाला जो बड़ा हो रहा था उसे मंत्री जी ने बीच में रोक लिया लेकिन यह पूरी 150 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की योजना थी, इन सब बातों की पूरी जानकारी पटल पर पत्र दे रहा हूँ.

श्री सोहनलाल बाल्मीक-- माननीय सदस्य ने कहा कि घोटाला हो रहा है.जो तीन लाख का काम है वह 6 लाख में कराया जा रहा है, सीधा दिख रहा है.

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ तो जाइये, उत्तर तो आने दीजिए.न प्रश्न सुनते हैं, न उत्तर सुनते हैं.

श्री गोपाल भार्गव—माननीय अध्यक्ष महोदय, बिन्दुवार एक एक बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ. यदि इस तरह के कोई घोटाले की बात होती और ज्यादा राशि के भुगतान की बात होती तो निर्माण एजेन्सी और जो ठेकेदार हैं, 3339 का आदेश हुआ था उसके विरुद्ध में कुल 881 बने. यदि इस तरह का कोई मुनाफा या ज्यादा मुनाफा पहुँचाने की कोई बात हुई होती, एक कामनसेंस का विषय है कि एक चौथाई भी नहीं वे नहीं बना पाये.एक बात तो यह और यह जो चर्चा कर रहे हैं वह सिर्फ इसलिए कि हमें ई-पंचायत का काम जल्दी से जल्दी करना था, भारत सरकार के निर्देश थे. जहां तक मद का सवाल है बीआरजीएफ से भी हुआ, परफार्मेंस ग्रांट से हुआ और भारत सरकार के बारहवें और तेरहवें वित्त आयोग की जो राशि है उससे भी, सब का कन्वर्जेंस हुआ इस कारण से यह जो आज सदस्य कह रहे हैं क्या यह आवश्यक था, यह आवश्यक नहीं था, शासन इस बारे में निर्णय ले सकता था.

अध्यक्ष महोदय—हो गया, श्री शंकरलाल तिवारी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—इसका उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ.इसमें एडवांस भुगतान के ऊपर काम किया गया.(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप बैठ जाइये, उनका विषय भी महत्वपूर्ण है.वह विषय समाप्त हो गया. अब दूसरा ध्यानाकर्षण हमने ले लिया.(व्यवधान)

श्री गोपाल भार्गव—जितने पैसे का भुगतान हुआ है उससे ज्यादा की इनकी बैंक गांरटी जप्त है, उससे ज्यादा उन पर फाइन लगाया गया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—सिर्फ शंकरलाल तिवारी का लिखा जाएगा.

12.10 बजे **बहिर्गमन**

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार हो रहा है और हम मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, हम बहिर्गमन करते हैं.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर से सदन से बहिर्गमन किया गया.)

2. सतना के न्यू अर्जुन नगर निवासी एक व्यक्ति की हत्या होना

श्री शंकरलाल तिवारी **(सदस्य)**

अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

दिनांक 13 सितम्बर, 2014 की रात्रि में सतना शहर के न्यू अर्जुन नगर पतेरी में रहने वाले युवा कारोबारी अरविन्द गुप्ता की गला घोटकर हत्या कर दी गई तथा लाश एक कार के अंदर मैहर अमरपाटन रोड पर नरौरा गांव के पास मिली। उसी दिन लाश बरामद करने के बावजूद आज दिनांक तक पुलिस हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है। युवा व्यवसायी की निर्मम पूर्वक हत्या कर उनकी लाश को फेंक कर अपराधी आजाद घूम रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं तथा पुलिस लाचार बनी हुई है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत से व्यापारी वर्ग चिन्तित है तथा उनमें इस घटना से काफी आक्रोश व्याप्त है।

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर)--- माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक–14.09.2014 को फरियादी जितेन्द्र कुमार पिता जनार्दन प्रसाद गुप्ता उम्र–37 वर्ष निवासी–पतेरी पावर हाऊस के पीछे थाना सिविल लाईन, सतना ने थाना–मैहर जिला–सतना में रिपोर्ट किया कि उसका छोटा भाई अरविन्द गुप्ता उम्र 32 वर्ष दिनांक–13.09.2014 को दोपहर करीब 03:00 बजे अपनी डिजायर कार से सतना शहर आया था जो शाम को घर वापिस नही आया । जिसकी तलाश किया तो उसका कोई पता नही चला तब उसने देर रात थाना–सिविल लाईन, सतना में गुमने की रिपोर्ट किया। जिस पर गुम इंसान क्रमांक 47/2014 दिनांक 14.9.2014 के प्रातः 03 बजे कायम किया गया । दिनांक– 14.09.2014 को अरविन्द को तलाश करते हुये ग्राम–नरोरा मेन रोड आया तो उसके भाई की गाड़ी खड़ी थी तथा भाई अरविन्द की लाश कार की सीट के नीचे पड़ी थी, जिसके गले में फांसी जैसे निशान तथा कंधे में चोट के निशान एवं कान, मुंह, नाक से खून निकला था । किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके भाई अरविन्द गुप्ता की हत्या की गई तथा लाश उसी की गाड़ी में पीछे सीट के पास छोड़कर वह हत्यारा भाग गया। सूचना पर थाना–मैहर में अप0क्र0–710/14 धारा–302, 201 भादवि पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया । प्रकरण में पतासाजी के प्रयास जारी है । अभी तक अज्ञात आरोपीगणों का पता नहीं चला है ।

प्रकरण का अनुसंधान कर अज्ञात आरोपीगणों का पता लगाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन, रीवा के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीधी के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल का दिनांक–11.11.2014 को गठन किया गया है । तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतना के द्वारा अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 5000/– रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया है । वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

जनजीवन सामान्य है ।

श्री शंकरलाल तिवारी---- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हम सब के संरक्षक हैं. यह सच है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हमारे माननीय गृहमंत्री जी संवेदनशील हैं .इस प्रकरण में 13 सितम्बर को हत्या हुई है, तीन महीने हो रहे हैं फिर भी ध्यानाकर्षण जैसे गंभीर विषय पर जो जवाब आया है उस पर मेरा इतना ही कहना है कि एक 32 वर्ष के नौजवान को जिसे मार दिया गया है, जो लाखों का लेन-देन और कारोबार करता था, कोई अपराधी नहीं थी . तो क्या तीन महीने बाद भी सरकार यह बताने की स्थिति में है कि हम इन अपराधियों को कब पकड़ लेंगे. मैं आपसे विनतीपूर्वक कहना चाहता हूं कि समाचारपत्र अपराधी के बारे में छाप रहे हैं, परिवार के लोग नामजद तरीके से अपराधी के बारे में कह रहे हैं. लेकिन पुलिस उसे बार-बार पकड़ रही है और फिर छोड़ रही है.मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सतना गये थे, वहाँ के लोगों ने

उसके परिवार के महिलाओं और बच्चों ने इस संबंध मुख्यमंत्री जी को आवेदन किया. उस पर उनके निर्देश हुए . उसके बाद मुख्यमंत्री जी दुबारा महीने भर के अंदर फिर सतना गये उस समय भी शहर के व्यापारियों ने , सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया पर आज तक अभी तक मंत्री जी उत्तर में यह नहीं आया कि इस घटना के हत्यारों को आखिर इतना बड़ा पुलिस महकमा कब गिरफ्तार करेगा और इसमें अभी एसआईटी बनाने की बात भी हुई है, मेरा साफ कहना है कि यह हत्यारे कब तक गिरफ्तार किये जायेंगे .समाचार पत्र छाप रहे हैं. जब मुख्यमंत्री गए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया.

अध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न कर दें.

श्री शंकरलाल तिवारी-- जिस व्यक्ति का नाम था उसको पकड़ लिया गया और जब मुख्यमंत्री जी उड़कर के चले गए, आखिर स्थानीय पुलिस के ऊपर क्या दबाव है.

अध्यक्ष महोदय-- तिवारी जी, आप प्रश्न करें.

श्री शंकरलाल तिवारी-- मेरा पहला प्रश्न यह है कि इसके हत्यारे कब तक गिरफ्तार होंगे, कब तक सरकार इस मामले को हल कर पाएगी. यह बता दें. हमें कुछ नहीं चाहिए. हमें हत्यारा चाहिए. दूसरा प्रश्न यह है कि इसके बाद यह परिवार सड़क पर आ गया. इस लड़के का लाखों रुपये का कारोबार था. आखरी समय वह किससे मिला, उस दिन यह किसको पैसे और कागजात देने गया था, इसको पैसे, जब शुरू शुरू की घटना हुई तो जो कह रहा था कि मैं 25 लाख चाहता हूँ वह अब कह रहा है मैं 5 लाख भी नहीं चाहता हूँ. यह एक दूसरी मार उस परिवार पर पड़ी. दो छोटे-छोटे अबोध बच्चे हैं इसलिए मेरा इसमें निवेदन है कि क्या वह लेनदेन जो है अब वह नंबर एक, नंबर दो का जमीन का है क्या है पर आज वह परिवार भूखों मरने की कगार में है और उसके पैसे हड़पने के लिए यह हत्या हुई है. क्या उस दिशा में भी कोई कार्यवाही, कोई जाँच, उनकी राशि, उनको मिले और उस बिन्दु पर भी जाँच हो, ऐसा होगा और तीसरा माननीय मुख्यमंत्री जी दो बार यहाँ से गए और उसके बावजूद भी यह प्रश्न हल न होना, इस हत्या के हत्यारे अरविन्द गुप्ता के, न पकड़े जाना,

मैं कहता हूँ कि गृहमंत्री जी का यह कमेंट बहुत उचित नहीं है कि वहाँ रोष नहीं है, वहाँ आक्रोश नहीं है, दो दो बार वह मुख्यमंत्री जी से सीधे मिल कर बात कर रहे हैं सतना की धरती में और फिर एक हत्यारा न पकड़ा जाए. यह पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को चुनौती है. स्थानीय पुलिस कहीं न कहीं दबाव में है. क्या दबाव है, क्या स्वार्थ है, यह राम जी जानें.

श्री कमलेश्वर पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी इसी तरह सब जगह बोलते हैं और कुछ नहीं होता.

श्री अजय सिंह-- माननीय अध्यक्ष महोदय, (XX)

अध्यक्ष महोदय-- इसको कार्यवाही से विलोपित कर दें. यह कोई विषय से संबंधित नहीं है...(व्यवधान)..

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री को जवाब देना है.

अध्यक्ष महोदय-- माननीय गृहमंत्री जी, आप बोलें.

श्री अजय सिंह-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- यह बात नहीं है इसको कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा. आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं. इस तरह से बोलना उचित नहीं है..(व्यवधान)..मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको इस तरह से टोकूँ पर यह उचित नहीं है. यह कुछ भी कार्यवाही में नहीं आएगा.

श्री बाबूलाल गौर-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ब्लाइंड मर्डर है और उसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसी के लिए 11.11.14 को और हमने अनुसंधान करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल गठित किया है जिसको एसआईटी है और उसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीधी, श्री प्रदीप शेंडे, नगर पुलिस अधीक्षक, सतना, श्री सीताराम यादव, निरीक्षक थाना प्रभारी, कोलगाँव सतना, श्री अनिल वाजपेयी, निरीक्षक, जिला सीधी, श्री संतोष तिवारी, उप निरीक्षक, जिला रीवा, श्री महेन्द्र पांडे. इनका गठित किया है. पाँच हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है और शीघ्र ही हम अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे.

श्री शंकरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विनती की थी कि वह परिवार सड़क पर आ गया है. जब शुरू शुरू में इन्हीं नाम, जिनकी बात कर रहे थे घर

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

के लोग कि इसका हाथ हो सकता है मेरे पति के मर्डर में उस समय वह जो पार्टी कह रही थी मैं 25 लाख लिया हूँ, 50 लोगों के सामने कह रही थी, वह आज 5 लाख कह रही है इसलिए कि दो बार पुलिस...

अध्यक्ष महोदय-- आप सीधे प्रश्न करें.

श्री शंकरलाल तिवारी-- मेरा प्रश्न यही था कि आप से विनती की थी दूसरे में. पहला तो यह कि यह कब तक गिरफ्तार हो जाएँगे.

अध्यक्ष महोदय-- वह तो बता दिया.

श्री शंकरलाल तिवारी-- यह अभी भी माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया है.

अध्यक्ष महोदय-- वह तो उत्तर दे दिया.

श्री शंकरलाल तिवारी-- दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कोई समय सीमा दी जाए. तीन महीने.....

अध्यक्ष महोदय-- समय सीमा नहीं दे सकते.

श्री शंकरलाल तिवारी-- एसआईटी और एसआईटी की सूची को...

अध्यक्ष महोदय-- आप तो प्रश्न कर दीजिए नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा.

श्री शंकरलाल तिवारी-- मेरा प्रश्न है कि जो लेनदेन के मामले में और उसकी हत्या के साथ साथ उसका लाखों लाख रुपये कहीं न कहीं हड़पा जा रहा है. उसकी भी अलग से कोई कायमी और उसकी भी अलग से कोई जाँच और उनको वह राशि दिलाने का मौका ए वारदात और आगे पीछे जो चर्चा है उस आधार पर क्या उनकी कोई मदद होगी.

श्री बाबूलाल गौर-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि अनुसंधान किया जा रहा है. अनुसंधान करने पर जो अपराधी होंगे उनको पकड़ा जाएगा और जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा.

12.20 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौंतीसवां से सैंतालीसवां प्रतिवेदन

श्री केदारनाथ शुक्ल, (सभापति)—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के चौंदीसवां से सैंतालीसवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ.

याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) **श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार (सदस्य): अध्यक्ष महोदय,मैं,**

मुरैना जिले के-

(क) ग्राम अर्जुन कापुरा में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,
(ख) ग्राम नाहरदौकी के गंदे पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण किये जाने,
(ग) ग्राम छुलावद, भगतपुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(घ) ग्राम सिघौरा से ग्राम धमकन तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ड.) ग्राम लोकमन कापुरा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(च) ग्राम खेरे बाले के बैहड़ कटाव को शीघ्र रोके जाने,
(छ) ग्राम टीकैत पुरा से सीताराम बाबा के स्थान तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ज) ग्राम जखौना मार्ग मजरा बागकापुरा से रायपुर तक सड़क निर्माण किये जाने,
(झ) ग्राम नहरावली के कटाव को रोके जाने,
(ञ) ग्राम परा से मुंदावली तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
(ट) ग्राम निटहरा से कीतरपुर तक सड़क निर्माण किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करता हूँ।

(2) **श्री संजय शर्मा (सदस्य): अध्यक्ष महोदय,मैं,**

नरसिंहपुर जिले के-

(क) ग्राम देवरी में शासकीय भवन निर्माण किये जाने,
(ख) ग्राम सूकवारा में खाद्यान वितरण हेतु उप केन्द्र खोले जाने,
(ग) ग्राम तेंदूखेड़ा में सिविल न्यायालय प्रारंभ किये जाने,
(घ) ग्राम हर्रई से बरांश तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(ड.) ग्राम लिंगा से खुलरी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(च) ग्राम छवारा में नवीन माध्यमिक शाला का भवन निर्माण किये जाने,
(छ) ग्राम मर्रावन में माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने, तथा
(ज) ग्राम पंचायत तेंदूखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करता हूँ।

12.22 बजे

{सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए}

12.22 बजे

वर्ष 2014-2015 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

सभापति **महोदय** :- अब, अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी. सदन की परम्परा के अनुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है. अत: वित्त मंत्री सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें. मैं, समझता हूं कि सदन इससे सहमत हैं.

श्री जयंत मलैया (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि –

"दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले त्रितीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 72, 73, 74, 76, 77 एवं 78 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार नौ करोड़, सड़सठ हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)--- माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. सरकार में आप लोग बैठे हैं.

श्री कैलाश वियवर्गीय—सभापति जी जब से स्क्रीन लग गई है तब से लोग रंग बिरंगी जेकेट पहनकर आने लगे हैं, अच्छे दिखते हैं.

सभापति महोदय—अच्छी लग रही है.

श्री रामनिवास रावत—आपको धन्यवाद कम से कम आपको जेकेट तो अच्छी लगी हम लगें या न लगें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—इस मामले में कैलाश जी का कोई सानी नहीं है अच्छा है तो अच्छा कहेंगे. जेकेट अच्छी दिखी तो कह दिया. विचार के बारे में नहीं कहेंगे कि विचार अच्छा है.

श्री रामनिवास रावत—कैलाश जी तो पूरे ही रंग-बिरंगे हैं.

श्री लाल सिंह आर्य—कैलाश जी ने जेकेट की इसलिये प्रशंसा की है क्योंकि उनकी जेकेट भी रंगीन है.

श्री रामनिवास रावत—कैलाश जी तीन रंगों की पहने हुए हैं.(XX).

श्री कैलाश विजयवर्गीय—वैसे इसमें 9 रंग हैं आपको सिर्फ तीन नजर आ रहे हैं किसी-किसी को चार नजर आ रहे होंगे. नारंगी है.

श्री रामनिवास रावत—रंग तो सात ही होते हैं सात से ज्यादा रंग नहीं होते हैं. मिलाकर भले ही कितने बना लो. अब दो रंग कौन से होते हैं वह आप ही बता सकते हो, इंदौर वाले ही जानते होंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय :- सात रंग होते हैं कि नौ रंग होते हैं, आप चंबल के विद्धान हैं।

श्री रामनिवास रावत :- चलिये मैं आपकी बात मान लेता हूं।

श्री रणजीत सिंह गुणवान :- सभापति महोदय, रंग तो अनेक होते हैं।

श्री रामनिवास रावत :- उसमें भी कोई आपत्ति है क्या। यहां जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं सब विद्धान हैं।

डॉ गौरीशंकर शेजवार :- मगर हमें आप पर आपत्ति है आप विद्धान कैसे हो सकते हैं। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आपके इतने लंबे हाथ हैं कि आप अपने आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

श्री रामनिवास रावत :- मैंने तो नहीं थपथपाई, मैं तो आपकी थपथपा रहा हूं।

डॉ गौरीशंकर शेजवार:- बात रंगों की चल रही थी तो आज आप सरकार के समर्थन में हैं। आप अपनी बात शुरू करिये धन्यवाद्।

श्री रामनिवास रावत :- यह अपेक्षा आप कभी मत करना ।

श्री कमलेश्वर पटेल :- असली बात की तो अभी तिवारी जी व्यथा बता कर गये हैं। दो-दो बार मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी पालन नहीं हो रहा है।

श्री रामनिवास रावत :- माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 8651 करोड़,68 लाख 32 हलार रूपये का जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं । विरोध इसलिये नहीं करता हूं कि आपको राशि नहीं चाहिये , विरोध इसलिये करता हूं कि जिस तरह राशि आप प्रदेश के खजाने से ले रहो हो और जिस तरह सेआप व्यय कर रहे हो और जिस तरह से आप राशि का दुरूपयोग कर रहे हो,जो राशि जनता के विकास के लिये लिया जाना चाहिये था वह आपके प्रचार प्रसार के लिये जा रही है, आपके भ्रष्टाचार में जा रही है इसलिये मैं विरोध कर रहा हूं शेजवार साहब । माननीय सभापति महोदय , अगर हम देखें आज प्रदेश की स्थिति दयनीय गंभीर अवस्था में पहुंच गयी है। शायद वित्त मंत्री इस बात को स्वीकारेगें तो हमें भी अच्छा लगेगा कि प्रदेश पर प्रदेश की इस जनता पर एक लाख करोड़ रूपये से अधिक कर्ज हो गया है औरआपके जो वेतन पेंशन और ब्याज अदायगी है , इन्हीं पर अकेले 51 प्रतिशत से अधिक खर्च हो रहा है, कुल राजस्व प्रतिशत का 51 प्रतिशत खर्च हो रहा है आप लोक लेखा कीरिपोर्ट में देख लें और आपका जो आयोजनेत्तर व्यय उसका 72 प्रतिशत खर्च केवल पेंशन, वेतन और ऋण ब्याज आज की किश्तों में व्यय हो रहा है। यह स्थिति पूरे प्रदेश के लिये दुरूभाग्य जनक है। अभी आपने हाल ही में बाजार साढ़े सात सौ करोड़ रूपये का कर्ज उठाया है, फिर आप ऋण लेने की तैयारी कर रहे हैं। पुन: आप ऋण लेकर के प्रदेश की जनता को आप कहां पहुंचाना चाहते हैं, यह तो आप ही जाने। हम चाहते हैं कि आप ऋण लें लेकिन उसका सदुपयोग हो । अभी आपने जो अनुपूरक अनुमान पेश किया है उसमें आप देखेंगे मद क्रमांक 1,2,3,4 इसमें आपने 126 करोड़ रूपये , 26

करोड़, 39 लाख 25 हजार रूपये के ऋण लेने की व्यवस्थाएं संधारित की है। एक तरफ आपकी प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ आप व्यय में कमी नहीं कर रहे हैं। व्यय आपका बढ़ता जा रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। आपके व्यय में कटौती किस तरह से करना चाहिये यह आपको केन्द्र सरकार से भी सबक लेना चाहिये , जब आर्थिक स्थिति खराब है तो किस तरह से कटौती करें। आपको तुरन्त कदम उठाना चाहिये मैं अपव्यय का उदाहरण अनुपूरक अनुमान की पुस्तक में ही देता हूं ।मद क्रमांक 3,4 , मद क्रमांक 11,12 पृष्ठ 122 मध्यप्रदेश भवन अंतर्गत आवासीय आयुक्त के स्थानांतरण के यात्रा देयक के भुगतान के लिये और विद्युत जल प्रभार मद के लिये. इसमें विद्युत प्रभार भी है जल प्रभार भी है पर 41 लाख रुपये, आपने मूल बजट में भी प्रावधान किया होगा. क्या इतनी राशि कम पड़ गई या व्यय कम हुआ ? माननीय सभापति महोदय, आपने जो व्यवस्था की है कई जगह से आप राशि लेते हो कई योजनाओं के लिये राशि लेते हो. आपकी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है. मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है. आपने बैंकों में कभी स्थिति देखी है कि क्या हो रहा है ? जितना अनुदान आप देते हो उससे ज्यादा पैसा उसको रिश्वत में देना पड़ता है. चार-पांच हजार रुपये तो राजस्व विभाग में ही पट्टे लेने के, प्रमाणपत्र बनाने के और अनुशंसा करने के लग जाते हैं. पांच हजार बैंक में ले लेते हैं. 10-12 हजार खर्च करने के बाद एक किश्त मिलती है पता लगा दूसरी किश्त के लिये पहुंचा और वह राशि जमा नहीं कर पाता और उसे दूसरी किश्त नहीं मिल पाती और भारी भ्रष्टाचार इन योजनाओं में हो रहा है. आप पिछड़े हुए जिलों को देख लो. जितनी भी आपकी स्वरोजगार की योजनाएं हैं उनका लाभ शिक्षित बेरोजगारों को,प्रदेश के युवाओं को नहीं मिल रहा है. मैं अपने ब्लाक और श्योपुर की बात कर रहा हूं. वहां मुश्किल से 5 या 7 प्रतिशत आपके टारगेट के विरुद्ध एचीवमेंट होता है. बैंकें फाईनेंस नहीं करतीं. बैंकें आपकी सुनती नहीं तो फिर आप यह व्यवस्था किसलिये कर रहे हो ? इस मामले में आप जरूर आगे हो जनसंपर्क में आपका प्रचार-प्रसार तंत्र आप फोटो छपवाने में आगे हो, आप होर्डिंग लगाने में आगे हो. आप टी.वी. पर प्रचार प्रसार बढ़ाने में आगे हो. आपका यह काम

जरूर लगातार चल रहा है लेकिन इस काम से प्रदेश के भला नहीं होना वाला. आपकी पूरी सरकार ने 1 नवम्बर,2009 को कहा था कि "आओ बनाएं मध्यप्रदेश" लेकिन आपने विजन कौन सा दिया किस तरह से मध्यप्रदेश बनाना चाहते हो ? क्या भ्रष्टाचार मिटाकर मध्यप्रदेश बनाना चाहते हो ? आप मध्यप्रदेश बनाने की बात कर रहे हो. आपने काफी बड़े प्रावधान जनसंपर्क में केवल प्रचार-प्रसार के लिये किये हैं. विशेष नये कामों के लिये तो आपने राशि नहीं ली है लेकिन प्रचार-प्रसार के लिये जरूर राशि ली है. मैं कहना चाहूंगा कि आपने कृषि रथ निकाला. मुझे कोई आपत्ति नहीं है कृषि रथ पर लेकिन आपने बीस-पच्चीस दिन पूरे प्रशासन को कृषि रथ में लगाए रखा. सिर्फ आपने अपना प्रचार-प्रसार किया. उसके माध्यम से प्रदेश के किसानों को या प्रदेश की जनता को क्या फायदा हुआ ? क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे ? आपका जितना व्यय हुआ उतना लाभ नहीं हुआ. जितना व्यय आपने कृषि रथ निकालने में किया अगर उतने व्यय का अनुदान आप बिजली उपभोक्ताओं को पहुंचा देते, बिजली के ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं को पहुंचा देते तो किसानों को ज्यादा लाभ होता या आप खाद खरीद में लगा देते तो किसानों को ज्यादा लाभ होता. माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के हम आंकड़े देखें तो बड़ी भयावह स्थिति प्रदेश की है. प्रदेश में 22 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं. यह मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा है. अब उसमें स्पष्ट तो नहीं बताया लेकिन प्रदेश के 6 प्रतिशत किसान, प्रदेश के जो अन्नदाता हैं जो प्रदेश की जनता का पेट भरते हैं और देश के अन्य प्रदेशों में भी अनाज सप्लाई करते हैं. 6 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं. उनकी स्थिति क्या हो गई है ? इस पर आपको हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये यह मैं इसलिये नहीं कह रहा कि मैं विपक्षी दल का हूं. इस पर सत्ता पक्ष को भी चिंता करना चाहिये और विपक्ष को भी चिंता करना चाहिये. इस पर कभी सर्वदलीय बैठक बुलाकर चिंतन करना चाहिये कि किसानों को कैसे आत्महत्या करने से रोका जा सके. उनकी क्या व्यवस्था कर सकें. हम अनावश्यक व्यय, स्थापना व्यय, पंचायत बुलाने में व्यय, अपना प्रचार-प्रसार करने में सरकार कोताही नहीं करती लेकिन अगर कोई किसान ऋण के कारण फसल नुकसानी के कारण आत्महत्या कर लेता है

तो उसके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है. अगर किसानों के स्वावलंबन के लिये ऐसे किसान जो आत्महत्या कर लेते हैं उनके बच्चे फिरते रहते हैं उनके स्वावलंबन के लिये आपने अनुपूरक अनुमान में प्रावधान किया होता तो शेजवार जी, हम निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करते पीछे नहीं रहते लेकिन यह आपने नहीं किया क्योंकि आपको किसानों की चिंता नहीं है. आपको जनसंपर्क विभाग की, अपने फोटो दिखाने की चिंता है आपने बीड़ी मजदूरों की पंचायत बुलाने के लिये 59 लाख रुपये का प्रावधान किया है. केवल पंचायत बुलाने में, खाना खिलाने में, उसका बिल 200-200 रुपये प्रति थाली के हिसाब से बनता है. पंचायत बुलाने में हमें आपत्ति नहीं है लेकिन आपने आज तक कितनी पंचायतें बुलाईं उन पंचायतों में आपने क्या-क्या निर्णय लिये और निर्णय लेने के बाद किन-किन बातों का क्रियान्वयन किया ? यह आपको हाऊस में बताना चाहिये.यह आपको सदन तथा प्रदेश की जनता को बताना चाहिये आप पंचायतें बुलाने में तो आगे हैं, लेकिन आपने आज तक कभी यह नहीं बताया कि पंचायत में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की क्या स्थिति है. प्रदेश की महिला बलात्कार की घटनाएं बढ़ना दुर्भाग्यजनक बात है. मुख्यमंत्रीजी ने सबसे पहले बेटी बचाओ आंदोलन चलाया योजना के नाम के लिये उनको धन्यवाद, लेकिन बेटियों की सुरक्षा के लिये कभी चिन्तन किया, कभी मॉनिटरिंग की, कि क्या हो रहा है प्रदेश की महिलाओं, बेटियों के बारे में कभी सोचने की कोशिश की, चिन्तन करने की कोशिश आपने नहीं की. आज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि जब हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मध्यप्रदेश बलात्कार के मामले में देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है तो इससे हमारा सिर भी शर्म से झुक जाता है. यह आपके ही आंकड़े हैं शेजवार जी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट मंगवा लें उनका सर्वे है कि प्रतिदिन 13 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रतिदिन एक मासूम लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है. मैंने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के जवाब में 50 प्रतिशत से अधिक यह घटनाएं और यह अपराध अव्यस्क लड़कियों के साथ हो रहे हैं तो क्या आप इसी के लिये पैसा ले

रहे हैं, जब आप पैसा ले रहे हैं तो इसकी भी व्यवस्था करें कि इस पैसे का सद्पयोग हो. आप इन अपराधों पर रोक लगाएं.

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मानव तस्करी की स्थिति है मानव तस्करी के मामले में मध्यप्रदेश का कोई सानी नहीं है, रोज़ प्रदेश की 77 महिलाएं उसमें कुछ अव्यस्क भी हैं, रोज़ गायब हो रही हैं, लेकिन इन अपराधों पर चिन्तन करने की किसी को चिन्ता नहीं है, इसकी तो सभी को चिन्ता होनी चाहिये, क्योंकि आप और हम मानव हैं. किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं इन्हें रोकने का हम किस तरह से प्रयास करें इस बारे में सरकार को चिन्तन करना चाहिये. मध्यप्रदेश तभी बनेगा जब महिलाएं सुरक्षित होंगी, किसान सुरक्षित होगा, युवा सुरक्षित होंगे, प्रदेश का आमजन सुरक्षित होगा तभी मध्यप्रदेश बन पायेगा और केवल आप फोटो दिखाते रहेंगे योजनाएं में तथा हार्डिंग लगाते रहेंगे, उससे मध्यप्रदेश का भला होने वाला नहीं है. आप स्वशासन सप्ताह मना रहे हैं, आपने कृषि महोत्सव मनाया, यह कैसा स्वशासन है, महिलाओं पर अपराध रूक नहीं रहे हैं, मानव तस्करी रूक नहीं रही, किसान आत्म-हत्याएं रूक नहीं रही, अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार रूक नहीं रहा, विधायकों के साथ दुर्व्यवहार रूक नहीं रहा. अभी तिवारी जी चले गये हैं वह आपकी वकालत करते हैं वह बड़े दुःखी नज़र आ रहे थे, यह स्थिति आपकी सरकार और पूरे प्रशासन की है, तब क्या होगा. मैं जानन चाहूंगा मध्यप्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर टर्न ओव्हर के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है तो यह मध्यप्रदेश में हुआ है इससे बड़ा भ्रष्टाचार दूसरा नहीं है. मैंने अभी प्रश्न किया था व्यापम के मामले में, पिछली बार भी प्रश्न था, पिछली बार 11 वें नंबर पर था उसको नहीं आने दिया इस बार कल ही 8.12.2014 को चौथे नंबर पर प्रश्न था. मैंने जो जानकारी पूछी उसमें कई तथ्य ऐसे सामने आए कि सरकार पूरी तरह से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है. मैंने एक व्यापम के संबंध में प्रश्न किया था उसमें जो मुझे जानकारी दी गई थी एक एफ.आई.आर.है 285/2014 दिनांक 16 जुलाई, 2014 को यह एफ.आई.आर. दर्ज हुई है इसमें

सात आरोपियों के नाम हैं यह आरोपी हैं डॉ.विशाल यादव, सुधीर भदोरिया, पंकज त्रिवेदी, डॉ.रश्मि परिहार, वीरसिंह भदोरिया, डॉ.शक्ति प्रताप सिंह किरार, डॉ.गुलाब सिंह किरार, डॉ.बी.आर.श्रीवास्तव यह मूल एफ.आई.आर है जो सदन में माननीय मंत्री जी जानकारी दे रहे हैं उसमें डॉ.गुलाब सिंह किरार का नाम हटा दिया तो क्या ऐसे स्वशासन चलेगा, यह कौन है गुलाब सिंह किरार, क्या आप लोग नहीं जानते आप ही की माननीय मुख्यमंत्री उमा भारती जी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को छोड़ दिया, यह गुजरात का प्रकरण था इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज है 420/67-68 का आप ही की सरकार के राज्यमंत्री हैं. आप ही सरकार के राज्यमंत्री हैं, आप ही की सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा दिया है पिछड़े वर्ग आयोग के सदस्य हैं और उनका नाम कैसे हटा दिया न फरार की सूची में, न गिरफ्तार लोगों की सूची में, न हटाने वालों की सूची में और मूल एफ आई आर में नाम है. क्या आपने हाई कोर्ट से परमिशन ली इसको कौन बतायेगा ? पूरी तरह से आप व्यापम के भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं इसतरह के भ्रष्टाचार में पूरी सरकार इन्वाल्व है यह किसी से छुपी नहीं है. किस तरह से आप सुशासन लाना चाहते हैं, किस तरह से आप प्रदेश के युवाओं को दिशा देना चाहते हैं, प्रदेश के युवाओं के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं.

सभापति महोदय--कृपया समाप्त करें 15 मिनट हो गये हैं.

श्री रामनिवास रावत--माननीय सभापति महोदय, मैं पहला वक्ता हूं बोल रहा हूं.

सभापति महोदय--1 मिनट में समाप्त करें. आपकी पार्टी के 11 वक्ता हैं 35 मिनट का समय अभी..

श्री रामनिवास रावत--बोलने दें, सब्जैक्ट भी ज्यादा कुछ नहीं है, बिजनेस भी नहीं है. आज बिजली की क्या स्थिति है, ऊर्जा मंत्री नहीं हैं. आप बजट ले रहे हैं आपके 2-3 मंत्री ही बैठे हैं, क्या आपको ही राशि चाहिये ? माननीय सभापति महोदय, हमने यह बारबार कहा है और आपसे भी अपील करेंगे कि कम से कम यह व्यवस्था तो हो कि जब अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत हों या यहां से

जब बजट पारित हो, बजट केवल एक विभाग के लिये नहीं जाता सभी सरकार के मंत्रियों के लिये जाता है तो मंत्री उपस्थित रहें. आज हम कोई बात उठायेंगे तो उसका जवाब कौन देगा ? आप ऊर्जा विभाग के लिये काफी बड़ा अनुदान की राशि इसमें अनुपूरक अनुमान में आपने व्यवस्था की है. आज यह बात प्रश्न में भी आई कि आपने बिजली विभाग ने यह कर दिया है कि 50 परसेंट राशि जहां जमा नहीं होगी, वहां के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जायेंगे. मंत्री जी ने बड़ी सावधानीपूर्वक कल कहा था कि 100 में से 50 जमा होंगे, तब बदले जायेंगे. मेरा निवेदन है कि किसी के ऊपर 1 ट्रांसफार्मर के ऊपर 1 लाख रूपये, 4 कनेक्शनधारी हैं 1 पर 25 हजार है, 1 पर 20 हजार है 45 हजार जमा कर दिये और 1 ऐसा व्यक्ति है जिस पर 55 हजार बकाया है लेकिन उसके पास पानी नहीं है और उसका कनेक्शन उखड़ गया, उसके खंभे उखड़ गये और वह सप्लाई नहीं लेना चाहता, अगर वह जमा नहीं करता तो वह 45 हजार जमा करने वाले किसान भी तब तक रोते रहेंगे, तब तक रोते रहेंगे तब तक उनके भी वह 55 हजार वाले के भी जमा नहीं कर दे, या तो उन्हें करना पड़ेगा या आत्महत्या के लिये मजबूर होना पड़ेगा, जिसके लिये सरकार जिम्मेवार है बड़े दुर्भाग्य की बात है बी पी एल आपने मध्यप्रदेश में स्वयं के ट्रांसफार्मर की योजना चल रही थी आप कनेक्शन दे नहीं सकते, आप ट्रांसफार्मर लगा नहीं सकते, आप खंबे गाड़ नहीं सकते किसानों के लिये. एक योजना कांग्रेस शासनकाल से चल रही थी, आपने बीच में बंद किया, फिर आपने चलाया तो अभी हाल ही में बंद हुई है कि नहीं, लेकिन स्पष्ट निर्देश श्रा गये हैं कि स्वयं के ट्रांसफार्मर रखने की योजना के अंतर्गत किसान अपने ट्रांसफार्मर स्वीकृत नहीं करा सकेंगे और न ही रखने देंगे. किसान परेशान हैं, किसानों को आत्महत्या करने के लिये आप लोग मजबूर कर रहे हैं, यह सरकार मजबूर कर रही है, कहां है किसान के बेटे की आत्मा ? आप अपनी आत्मा जगाओ. आज हैं नहीं किसान के बेटे, बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बुरा नहीं होने दूंगा, किसानों की भलाई के लिये काम करूंगा आज माननीय संसदीय मंत्री जी बैठे हैं, सही सही बताना ईमान से तुम्हारे डबरा में धान उत्पादकों की क्या हालत है ? जो धान 25 सौ रूपये में बिकता था, जो धान

35 सौ रूपये में बिकता था आज हजार और ग्यारह सौ रूपये में बेचने के लिये मजबूर है किसान आत्महत्या कर रहा है. आप ही बतायें आपके यहां चक्का जाम हुआ मन्डी में आंदोलन हुआ, लेकिन आपका जमीर आपकी आत्मा नहीं जाग रही है, आपकी आत्मा तो केवल फोटो खिंचवाने में, होर्डिंग लगवाने में ही आप मस्त हो और शकल दिखाने में आप मस्त हो. माननीय सभापति महोदय, यही हालत लगभग सभी योजनाओं की है. मैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करूं, योजना बुरी नहीं है, लेकिन योजना का क्रियान्वयन माननीय मंत्री जी, उठवा कर देख लें मेरे श्योपुर जिले में पिछ्ड़े वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह संपन्न हुए परंतु आज तक राशि नहीं पहुंची है, हमारे आप ही के क्षेत्र के विधायक जी बैठे हैं आज तक उन सम्मेलनों की राशि नहीं पहुंची है फिर जब पिछले वर्ष के सम्मेलनों की राशि नहीं पहुंचा पा रहे, तो आप किस बात के लिये राशि मांग रहे हैं कम से कम यह तो बता दो, यह स्पष्ट तो करो. आप कैसा सुशासन इस प्रदेश में लाना चाहते हैं ? आप देखें निर्माण कार्यों के लिये आप राशि आपके विकास कार्य पूरे ठप्प हो गये और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के मामले में माननीय सभापति महोदय, आप राशि ले रहे हो आप ठेकेदारी में इन्वाल्व हो, बड़े बड़े ठेकेदार बना दिये सुधीर कन्स्ट्रक्शन कंपनी बना दी बिल्ड कोन बना दिया, आपके जो निर्माण कार्य हो रहे हैं दिनांक 3.12.14 को होशंगाबाद जिले के आमला घाटी में नर्मदा पर बना 30 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल पूरा का पूरी गिर गया और ऐसे कम से कम 10 पुल प्रदेश में गिरे हैं.10 पुल गिरे हैं. आप क्या कर रहे हैं, इस प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं. आप कह रहे हैं कि हम निर्माण कार्य करायेंगे, गुणवत्ता ठीक रखेंगे, सुशासन लायेंगे. जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मिटायेंगे. लेकिन आप करना क्या चाहते हैं. मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है.

सभापति महोदय, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदेश के गरीबों के लिये हैं. प्रदेश के गरीबों को आपकी इस वितरण प्रणाली को सहकारिता के माध्यम से चलाया जाना चाहिये था, लेकिन सभी जिलों में 70 प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लोग

प्रायवेट सोसायटियां बनाकर प्रायवेट ठेकेदारों से बंटवाने का काम कर रहे हैं और सभी जगह इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है. बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने ट्रांसफार्मर उठवा लिये, गांव के गांव की लाइन काट दी. बीपीएल में सभी लोगों के नाम नहीं हैं. यह पहला मौका है जब एपीएल के लोग परेशान होते रहते हैं, वे अंधेरे में रह रहे हैं. आपने उनको अंधेरे में रहने के लिये मजबूर कर दिया है. पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली से एपीएल के कार्डधारियों को मिट्टी का तेल मिलता था, वह भी पूरे प्रदेश में आपने बंद कर दिया है. यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है. मैं तो अपील करुंगा, उसके लिये अगर आप अनुपूरक अनुमान में व्यवस्था करें, तो हमारा पूरा दल समर्थन करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा. एपीएल के लोगों को मिट्टी का तेल दिलवाने का काम करेंगे, ऐसा हम भरोसा करते हैं. अगर ऐसा काम आप करेंगे, तो निश्चित रुप से हम सहयोग देंगे. कई चीजें ऐसी हैं. प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों में आपने एक काम जरुर किया. आप पूरे प्रदेश को शराबी जरुर बनाने का काम कर रहे हैं. आप शराबों की दुकानें खूब खुलवा रहे हैं. आप शराब के ठेकेदारों से गांव गांव में शराब बिकवा रहे हैं और आप कार्यवाही भी नहीं करना चाहते. एक हमारी परम् सम्मानीय सदस्य दो तीन बार विधान सभा में प्रश्न कर चुकी हैं, पहले भी ट्रक पकड़े गये थे और आज भी ट्रक पकड़े गये हैं. मुझे नहीं पता कि किसका संरक्षण है. यही स्थिति पूरे प्रदेश में कमोवेश है. कम से कम अपनी ऐसी बातें जो पूरे प्रदेश के समाज को बिगाड़ रही हैं, उनके विरुद्ध अगर आप कार्यवाही करने का अगर काम करेंगे, तो निश्चित रुप से अच्छी बात होगी.

सभापति महोदय, आपने आओ बनाओ मध्यप्रदेश का नारा दिया. सुशासन लाने का नारा आपने दिया. आज प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है. प्रदेश के किसानों के बीमा की स्थिति क्या है. मैं अभी जवाब देख रहा था कि 100 हेक्टेयर आपने निश्चित कर दिया है कि 100 हेक्टेयर से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उन गांवों में हम बीमा नहीं देंगे. मेरा यह मानना है कि आप इसकी इकाई खेत करो. कभी कभी गांव के एक हिस्से में ओला-पाला पड़ता है. एक हिस्से में किसानों की फसलों को नुकसान होता है और एक हिस्से में नुकसान होने के बाद वह 100 हेक्टेयर से कम होने के कारण उनके प्रीमियम की राशि किसानों से छीन ली जाती है. यह अधिकार होना चाहिये. खेत तो इकाई बनेगा, आप यह व्यवस्था करें कि

जो व्यक्ति प्रीमियम की राशि जमा करेगा और उसको अगर नुकसान होगा, तो उसे बीमा प्राप्त करने का हकदार होगा. मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से इस प्रेदश को बनाने का काम करें, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें. दुर्भाग्य है कि आज तक आपने कभी प्रदेश के विकास के कार्यों के लिये या प्रदेश की समस्याओं को निपटाने के लिये कभी पूरे विपक्षी दलों की मीटिंग नहीं बुलाई. विपक्षी दलों से विचार विमर्श, मंथन कभी नहीं किया. अकेले चल रहे हैं और भ्रष्टाचार से धन बहुत बढ़ गया है. भ्रष्टाचार के मामले में अब आप कहोगे कि मैं कहां से कह रहा हूं. शेजवार साहब, आप निकलवा लीजिये ट्रांसपरेंसी ऑफ इन्टरनेशन इंडिया की रिपोर्ट. भ्रष्टाचार के मामले में आप नंबर एक पर पहुंच गये हैं. नंबर एक पर. उसकी सर्वे रिपोर्ट निकलवा लीजिये. हर वर्ष प्रकाशित होती है. आप नंबर एक पर पहुंच गये हैं. यही स्थिति कमोवेश स्वास्थ्य एवं शिक्षा की हो रही है. सभापति महोदय, आश्चर्य होगा, आप पिछड़े हुए क्षेत्रों में चलें. मैं अपने क्षेत्रों की बात कर रहा हूं. शिक्षक नहीं पहुंचते. 10 वीं क्लास की छात्रायें 11 वीं में अंगूठा लगाकर एडमिशन ले रही हैं. 9 वीं में अंगूठा लगा रही हैं. यह हकीकत है. शेजवार साहब, आप मेरे साथ चलो. 9 वीं क्लास में अंगूठा लगाकर एडमिशन ले रही हैं. इस तरह से आप शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा रहे हैं. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करें. आपके शिक्षक हैं नहीं. अतिथि शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया है. यही कमोवेश स्थिति स्वास्थ्य में है. स्वास्थ्य में अगर आप सर्वे करवायेंगे, तो डेंगू से मरने वालों की संख्या इस समय जबरदस्त होगी. पूरे देश में सबसे ज्यादा हालत खराब इस प्रदेश की होगी. लोगों को भुखार आता है. आपके डेंगू के परीक्षण की व्यवस्था प्रदेश के हर जिला हेड क्वार्टर पर होना चाहिये. हर उस क्षेत्र के 50 किलोमीटर के एप्रोच के अंदर होना चाहिये जिससे कि लोग जांच करा सकें और इलाज करा सकें. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. सभापति महोदय, कुपोषण के बारे में कहना चाहता हूं कि कुपोषण में मैं समझता हूं कि मध्यप्रदेश देश में पहले नंबर का राज्य है , कुपोषण के लिये आप खूब राशि ले रहे हो, खूब खर्च कर रहे हो लेकिन कुपोषण में आप बहुत ज्यादा सुधार नहीं कर पाये . यही स्थिति मातृ-मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की है उसमें भी आप बहुत ज्यादा सुधार नहीं कर पाये हैं.

माननीय सभापति महोदय, यह सभी चिंता की बातें हैं और हम चाहते हैं कि इन सभी के लिये बजट का उपयोग हो. बजट लेने से पहले जो पिछला मुख्य बजट लिया उसमें से अभी तक क्या क्या कार्य किये, कितनी कितनी राशि कहां कहां व्यय की और आपकी जो राशि पीडी खाते में पड़ी रहती है , वह राशि अनावश्यक व्यय होती है उसका भी हिसाब किताब बिल्कुल क्लीयर करें . सभापति जी मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया गया है इसका इसलिये विरोध कर रहा हूं कि प्रदेश में युवा असुरक्षित हैं, शिक्षित बेरोजगारों की तरफ व्यापम के भ्रष्टाचार के कारण हमारे प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, वहीं प्रदेश की महिलायें असुरक्षित हैं, प्रदेश की कन्यायें, असुरक्षित हैं, प्रदेश का किसान असुरक्षित है, प्रदेश का हर नागरिक असुरक्षित है इसलिये मैं अनुपूरक अनुमानों का विरोध करता हूं. आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया उसके लिये धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया(मंदसौर) -- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है जो कि आठ हजार नौ करोड़, सड़सठ हजार रूपये का है, इसका मैं समर्थन करता हूं.

सभापति महोदय, माननीय रावत जी वरिष्ठ विधायक हैं पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने अपना लंबा वक्तव्य दिया और अपने वक्तव्य में उन्होंने दो बातों पर विशेष जौर दिया. सत्ता पक्ष - प्रतिपक्ष से मदद नहीं लेना चाहता है. या सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है. हम अच्छे कामों में सत्ता पक्ष का साथ लेने के लिये तैयार हैं. मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं. सभापति जी मैं 13 वीं विधानसभा का सदस्य था. 13 वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक विशेष सत्र आहूत किया था उसमें मध्यप्रदेश की संरचना अधोसंरचना विकास इन सबको लेकर के हमने चिंता की थी, और तब प्रतिपक्ष ने उस विशेष सत्र का विरोध किया था. और विरोध करते तब तक भी

ठीक था, लेकिन सदन से वाकआउट किया और 3-4 दिन चलने वाले उस विशेष सत्र में कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के द्वारा विचारों का आदान प्रदान लेकर के . हम इस पवित्र मंदिर में बैठकर के जनहितैषी निर्णय लें इसको लेकर के उस विशेष सत्र का आयोजन किया गया था तब कांग्रेस की क्या भूमिका थी. चिड़िया चुग गई खेत - अब पछताने से क्या होता है.

सभापति महोदय, अब वह समय निकल गया है और उसी का परिणाम है कि तब मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रि मंडल के सहयोगी सदस्यों ने जो कार्य योजना पूरे मध्यप्रदेश को लेकर के तय की गई थी , वह जमीनी हकीकत में बदलती दिखलाई पड़ रही है. इस प्रथम अनुपूरक बजट में उस हितग्राहीमूलक योजनाओं को शामिल किया गया था , जो लगातार बजट में वृद्धि की मांग कर रही हैं. परिस्थितियां अनुकूल बनती जा रही हैं कि जो मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह 10 हजार रूपये में होता था या एक बिटिया को सरकार की तरफ से 10 हजार रूपये के उपकरण दिये जाते थे आज वह बढ़कर के 25 हजार रूपये हो गये हैं, यह आवश्यकता बढ़ गई है. माननीय रावत जी ने पंचायत और महा पंचायत के बारे में विरोध किया. उन्होंने यह भी कहा है कि मैं इसका विरोध तो करता हूं क्योंकि इसका अपव्यय हो रहा है. प्रचार प्रसार में खर्च किया जा रहा है . सभापति महोदय, पंचायतों और महापंचायतों को लाभ मिला है . अगर संवेदनशील मुख्यमंत्री झाड़ू पोछा लगाने वाली महिलाओं को , या घरों में काम करने वाली महिलाओं को अब बाई नहीं अब हम उनको बहन कहेंगे.अब उनको हम बहन कहेंगे. जब यह परिपत्र जारी होता है तो माननीय मुख्यमंत्रीजी की इसमें संवेदनशीलता झलकती है.

सभापति महोदय, अनुपूरक बजट में जिम्मेदारियां बढ़ी हैं. योजनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. फिर चाहे अधिकारियों का मामला हो, कर्मचारियों का मामला हो या नई नियुक्तियों का मामला हो. उनको सुविधा देने का मामला हो. अधोसरंचना विकास के क्षेत्र में हम जिस प्रकार से बढ़त लिये हुए हैं. औद्योगिक निवेश को जाग्रत करने के लिए उनका MOU करना.इन्वेस्टर्स मीट बुलाना इन सारी चीजों को यदि समावेश होता है तो यह गलत नहीं है.

सभापति महोदय, कृषि जगत को बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया है. कांग्रेस के समय किसी कृषक की खेत-खलिहान जहरीले जानवर के काटने और उसमें भी सिर्फ सांप के काटने से मृत्यु होने पर मात्र 10 हजार रुपये दिये जाते थे. यही संवेदनशील सरकार है. माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दिया. इसमें भी जहरीले जानवरों में केवल सांप ही नहीं बिच्छू काटे, चित्ती काटे, गोहरमार काटे, मधुमक्खी काटे और कृषक जब खुले मैदान में काम करता है और प्राकृतिक घटना से मृत्यु हो जाये या विद्युत के करंट से मृत्यु हो जाये और यहां तक की कृषि जीन्स लेकर अपने घर से या खेत से मंडी की तरफ जा रहा है और अचानक ट्रेक्टर या ट्राली पलट जावे तब उससे कृषक की मृत्यु हो जाये तब भी एक लाख रुपये राशि उसको बढ़ाकर दी जायेगी.

सभापति महोदय, मैंने अनुपूरक बजट को देखा है. अंडरब्रिज या ओव्हर ब्रिज का मामला हो. तकनीकी शिक्षा में कौशल उन्नयन का मामला हो. पूरे 51 जिलों में ट्रामा सेन्टर की आवश्यकताओं को बल देते हुए इस प्रथम अनुपूरक बजट में पूरे 51 जिलों को समाविष्ट किया है.

सभापति महोदय, प्रचार प्रसार जाग्रति पैदा करता है. किसानों को पहली बार उनके मोबाईल पर हिन्दी में संदेश प्राप्त हुआ. चाहे गेहूं उपार्जन के संबंध में या मतदान के संबंध में संदेश हो. निर्वाचन आयोग कहता है कि मतदान अधिक होना चाहिए. यह जो 80-85 प्रतिशत मतदान हो रहा है यह प्रचार-प्रसार के कारण हो रहा है. **सारे काम छोड़ दो, पहले वोट दो.** हमें निर्वाचन आयोग के बैनर हमारे बैनर से ज्यादा देखने को मिले. उसका परिणाम यह आया कि लोकतंत्र और मजबूत हुआ है. जहां तक यह कहना कि होर्डिंग लगाये जा रहे हैं, बोर्ड लगाये जा रहे हैं. जनसम्पर्क विभाग का अपना एक महत्व है. यदि यह विभाग प्रचार प्रसार करता है. बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर लोगों को जाग्रत करने की कोशिश करता है कि अमुक अमुक योजना का आप लाभ उठाईये मैं समझता हूं यह कोई अपराध नहीं है.

सभापति महोदय, कांग्रेस ने सत्तापक्ष के इन काम काजों को लेकर मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर अनेक बार प्रहार किये और न केवल प्रहार किये बल्कि एक शेडो केबिनेट भी बनाया. मैं जानना चाहता हूं कि छाया मंत्रिमंडल का आखिर हुआ क्या? वह पता नहीं कहां विलुप्त हो गया.

सभापति महोदय, इस प्रथम अनुपूरक बजट में मैं माननीय वित्तमंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्रीलंका में सीता मैया के मंदिर के लिए 100 लाख रुपये का प्रावधान अनुपूरक में किया गया.

सभापति महोदय, खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार नित-नये नवाचार भी कर रही है. उसी कारण से पूरे प्रदेश में एक वातावरण भी बना है. प्रदेश में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी है. स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक यह सब मिले हैं. म.प्र. में खिलाड़ियों की मांग और बजट की आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उपकरण देने के लिए , स्टेडियम के निर्माण के लिए 100 लाख रुपये का प्रावधान खेल और युवा कल्याण विभाग के लिए रखा है. यह सराहनीय काम है. छोटी छोटी तहसीलों पर खेल मैदान और उस पर स्टेडियम के लिए हमको इसी साल परफार्मेंस गारंटी के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में 50-50- लाख रुपये की राशि माननीय गोपाल भार्गव जी ने देने के संबंध में परिपत्र जारी किया है. यह प्रशंसनीय कार्य है. खेल के प्रति सरकार कितनी सजग. हमको युवाओं को इसमें जोड़ना पड़ेगा.

श्री बहादुर सिंह चौहान-- बहुत अच्छा काम हुआ है.

सभापति महोदय-- अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी रहेगी. विधानसभा की कार्यवाही अपराह्न ढ़ाई बजे तक के लिए के स्थगित.

(अपराह्न 1.00 बजे 2.30 बजे तक अन्तराल)

2.35 बजे विधानसभा पुनः समवेत हुई.

{उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.}

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया - उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक बजट, यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का सौभाग्य है. प्रत्येक बारह वर्षों में उज्जैन का जो महाकुंभ होता है, उस महाकुंभ में संतों, ऋषियों, मुनियों, आचार्यों की सेवा करने का सौभाग्य और आम तीर्थ यात्री जो आते हैं, उनको सुविधा देने का पुण्य लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों को मिलता है. इस प्रथम अनुपूरक बजट में सिंहस्थ मेले की व्यवस्था को लेकर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मैं माननीय मंत्री श्री मलैया जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है, वर्ष 1968 की संविद सरकार, वर्ष 1980 की जनता पार्टी की सरकार, वर्ष 2004 भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अब वर्ष 2016 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह निरंतर-निरंतर बारह वर्षों के अंतराल में उज्जैन की चाक-चौबंद व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को मिलता चला आ रहा है. ईश्वर भी शायद यही चाहता है. सिंहस्थ की संपूर्ण व्यवस्थाएं शुचिता रखने वाली इस राजनीतिक पार्टी के हाथों में रहे. इसीलिए सिंहस्थ में इस बात और अधिक महत्व है. जब नर्मदा का पानी क्षिप्रा में आ गया है. अब पूरे देश भर के साधू संतों को एक नहीं दो पवित्र नदियों का कुंभ में स्नान लाभ लेने का अवसर मिलेगा. हजारों लाखों यात्री नर्मदा के पानी का भी आलिंगन करेंगे और क्षिप्रा का तो पहले से ही अपने आप में महत्व है.

इस प्रथम अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण अंचल में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जो उनका सपना है कि छात्र-छात्राएं, बालक-बालिकाएं पढ़ तो ली हैं, लेकिन वे रोजगार से कैसे जुड़े, उनको कैसे आर्थिक स्वावलंबी बनाया जाय. युवा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनें. माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता युवा पंचायत से जाग्रत हुई है

और आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए 100 लाख रुपए का प्रावधान इस प्रथम अनुपूरक बजट में अनुमानित किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, सेमीनार कार्यशाला सम्मेलन राज्य सहायता हेतु 7950 लाख रुपए का प्रावधान भी इस प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है. नवीन मद खोला जाकर परिक्षाएं देना, प्रशिक्षित करना, सेमीनार का आयोजन करना, इन सब के लिए भी 1400 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. यह नया मद भी खोला गया है. अब जो नवीन मद होता है उसमें भविष्य की कल्पनाएं जुड़ी रहती हैं. भविष्य की व्यवस्थाएं जुड़ी रहती हैं. युवाओं को निश्चित रूप से इससे संबल मिलेगा और सरकार की जो मंशा है वह सार्थक रूप से इसमें जुड़ेगी. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत भी मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अनुपूरक बजट में 3500 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल यूनिटों का कामकाज धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है. कपास की फसल भी धीरे-धीरे कम होती जा रही है. लेकिन टेक्सटाइल यूनिटों को बढ़ावा देने के लिए विशेष ब्याज अनुदान को लेकर भी इस प्रथम अनुपूरक बजट में 1500 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. बहुत पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लाईट का शायद इसीलिए एक ही तरह का महत्व माना जाता था कि घर की लाईट जल जाय. एक बल्ब जल जाय, एक पंखा चल जाय और गांव का घर रोशन हो जाय. लेकिन वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने के बाद कि 24x7 जो व्यवस्था दी गई है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की स्थापना करना और जो स्थानीय रोजगार है...

श्री यादवेन्द्र सिंह - इतना ज्यादा नहीं बताओ. आपका गुणगान बहुत हो गया.

श्री सोहनलाल बाल्मीक - बिजली के बारे में तो सरकार बोले ही मत. बिजली के बारे में कुछ बोलने का तो सरकार को अधिकार ही नहीं है.

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्य को बोलने दें, आपको अवसर मिलेगा तब आप बोल लें.

(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व मिला है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने तो हमारी पार्टी को पसन्द कर लिया कांग्रेस को तो पसन्द नहीं आएगी. उपाध्यक्ष महोदय, निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है. इसी प्रकार टैरीफ सब्सिडी को लेकर के 700 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. दीन बन्धु योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.

श्री बाला बच्चन- सिसोदियाजी कांग्रेस में हम भी हैं लेकिन हम भी तो सुन रहे है. (व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया- बच्चन जी आपको धन्यवाद. लेकिन आप अपने सम्मानित सदस्यों को कहें कि 35-40 मिनट तक रावत जी ने बोला तब हमारे एक भी सदस्य ने इन्टरप्ट नहीं किया. उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले जम्मू के चुनाव के अन्तर्गत मैने सुना और मैं अत्यधिक प्रसन्न हो रहा हूं जब देश के प्रधान मंत्री माननीय नरन्द्र मोदी जी ने अभी दो दिन पहले जम्मू की महती आमसभा में पूरे भारतवर्ष में अगर किसी एक मुख्यमंत्री की मुक्तकंठ से प्रशंसा ,विशेष करके हमारे मुख्यमंत्रीजी की, की है. उन्होंने कृषि की विशेष करके जो ग्रोथ है 24.99 के बारे में नरेन्द्र मोदी जी ने चुनाव की महती सभा में, जहां जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कोई सुनने को तैयार नहीं होता था ,अगर उस बड़ी महती आमसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अगर दो विषयों पर प्रशंसा होती है तो इस सदन को गर्व करना चाहिए. (मेजों की थपथपाहट)उसमें एक विषय तो मैने आपको बताया,दूसरा विषय जो उन्होंने लिया था बीमारू राज्य. उपाध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण कृषि विकास के क्षेत्र में , ये मेरे जो दोनों बिन्दु थे ये इसी

से रिलेटेड थे कि कृषी के क्षेत्र में जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है शायद उसी लिए इस प्रथम अनुपूरक बजट में छः हजार लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. उसके लिये मैं जयन्त मलैयाजी को बधाई देना चाहता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सहकारिता के क्षेत्र में राज्य शासन के अंशदान की जो राशि अपेक्षित थी उसको लेकर के चार हजार नौ सो सात लाख रूपये का प्रावधान इसी अनुपूरक बजट में इसलिए किया गया है कि अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने को लेकर के और विशेष करके जो व्यवस्था है, मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में..

उपाध्यक्ष महोदय—बस अब आप एक मिनट में समाप्त करें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया- उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जीरो प्रतिशत पर कर्ज की बात की गई है . उपाध्यक्ष महोदय, परिवार कल्याण के क्षेत्र में , अस्पतालों और भवन निर्माण को लेकर के एक हजार आठ सौ पचपन लाख रूपये प्रावधानित किये गये हैं . प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण को लेकर के 920 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि में अतिरिक्त रूपये एक हजार चार सौर इकहत्तर लाख रुपये का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के मामले में अभी माननीय गोपाल भार्गवजी ने बताया था , पंचायतों का सशक्तिकरण करने के लिए जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, 4631.15 लाख रूपये का प्रावधान इसमें किया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में सड़क के मामले में फोर लेन क्षेत्र में, टू लेन क्षेत्र में ,मुख्यमंत्री सड़क निर्माण क्षेत्र में, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण क्षेत्र में , मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्षेत्र में और यहां तक कि गांव के किसानों को खेत खलिहान तक जाने के लिए मुख्यमंत्री खेत-सड़क-खलिहान योजना तक का जो प्रावधान किया है वे सारे के साले मामले लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तावित किये गये. वे सारे के सारे इस अनुपूरक बजट में सुनिश्चित किये गये हैं.लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तावित किए गए इस अनुपूरक बजट में सुनिश्चित किए गए हैं. वृहद पुलों का निर्माण इसमें

सुनिश्चित है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए, संधारण के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह स्वागत योग्य है. सिंचाई के क्षेत्र में जल संसाधन विभाग, जो माननीय वित्त मंत्री जी के पास है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, तत्कालीन कांग्रेस के जमाने में और आज के इस अवसर में 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई का प्रबंधन सरकार ने किया है, कहां 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, कहां 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की योजना हो रही है और आने वाले समय में अगर 40-50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पहुंच जाएगी तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. यह निरंतरता कृषि के क्षेत्र में बढ़ती चली जा रही है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रथम अनुपूरक बजट में विमुक्त जाति के लिए, घुम्मकड़ जाति के लिए, अर्द्धघुम्मकड़ जाति के लिए रुपये 50 लाख का प्रावधान उन बच्चों के लिए किया है जो छात्रवृत्ति के लिए मोहताज़ हुआ करते थे या घुम्मकड़, अर्द्धघुम्मकड़ जाति के बच्चों को कभी छात्रवृत्ति नसीब नहीं होती थी, ऐसे लोगों को लेकर भी जो प्रावधान किया गया है. इसी जाति वर्ग के लिए 6 वीं एवं 9 वीं कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों को नवीन दरों के आधार पर, जो अभी सरकार ने लागू की है, उसी के आधार पर 60 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है. मैं समझता हूँ कि अनुपूरक बजट में यह प्रशंसनीय है.

उपाध्यक्ष महोदय – अब आप समाप्त करें.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया – मैं माननीय वित्त मंत्री जी को पुन: बधाई देना चाहता हूँ. माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी को भी मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय – धन्यवाद, यशपाल सिंह जी । श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा. थोड़ा समय का ध्यान जरूर रखेंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक अनुमान मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक का मैं विरोध करता हूँ. आपने अनुदान क्रमांक संख्या-1 में आपने 3 अरब 79 करोड़ रुपये ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा के लिए रखे हैं. वर्ष 2003 में 26 हजार करोड़ का

कर्ज था, जो गत वर्ष 92 हजार करोड़ हो गया और अब 1 लाख करोड़ के करीब ये आपका कर्ज हो जाएगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति तो तब मानी जाए जब आप कर्ज में कमी करें लेकिन आपका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रशासकीय व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है. सामान्य प्रशासन व लोक सेवा प्रबंधन में आपने धनराशि की मांग की है, लेकिन सवाल यह है कि भ्रष्टाचार पर प्रदेश आकंठ डूबा हुआ है, जिस किसी कर्मचारी के यहां छापा मारो, भले ही वह चौकीदार हो, उसके यहां 1 करोड़ रुपया मिलता है. इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार इस प्रदेश में होगा, कोई भी फाइल पैसे के बिना कहीं आगे नहीं बढ़ती, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा छापे मारने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की पकड़ करना चाहिए. यह काम आपको करना चाहिए. सामान्य प्रशासन विभाग की जो मांगे हैं उसमें मैं यह कहना चाहूंगा, अभी यहां पर उमाशंकर गुप्ता जी नहीं हैं, जब वे पिछली बार मंत्रिमंडल में नहीं आए थे और विधायक थे, तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि कलेक्टर हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, मैंने कितने पत्र लिखे हैं कलेक्टर को और कितने उन्होंने जवाब दिए हैं. यही हालत अभी तक है कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि की चिट्ठियों का उत्तर नहीं देता, न एक्नॉलेजमेंट देता है, न उत्तर देता है और जब वे खुद गृहमंत्री बन गए तब उन्होंने मेरी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, तो मैंने उनको पत्र लिखना ही छोड़ दिया. जब आप ही विधायकों के पत्रों का उत्तर नहीं देंगे तो अधिकारी क्यों देंगे. आप देखें जब गृहमंत्री थे कितनों का जवाब आपने दिया है, ज्यादा नहीं है 5-7 है, लेकिन एक का भी आपने जवाब नहीं दिया. प्रशासन की हालत ये है. प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था के बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि पुलिस की मांगों पर आपने पैसा मांगा है, रावत जी काफी कुछ कह दिया है मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक काम तो आप करें कि जो पुलिस की संख्या आपको बढ़ाना चाहिए. प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर यहां पर 112 पुलिसकर्मी हैं, राजस्थान में 115 है, उड़ीसा में 124 है और ऑल इंडिया लेवल 140 है. तो जो जबरदस्त हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए

आपको पुलिस की संख्या बढ़ानी चाहिए जो आप नहीं बढ़ा रहे हैं और 2013 में अभी विधानसभा में उत्तर भी आया कि 4335 महिलाओं पर बलात्कार हुआ है और प्रतिदिन महिलाओं के विरुद्ध 11 दुष्कर्म, दिल्ली में सिर्फ 4 हैं तो यह सब जो क्राइम बढ़ रहा है, इसको भी आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और यह तभी होगा जब एक तो पुलिस की संख्या बढ़ाये और एक दूसरी उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए. राज्य का वित्त विभाग और आपका वित्तीय अनुशासन बिलकुल नहीं है. कंट्रोलर ऑडीटर जनरल ने पिछली बार चिट्ठी लिखी थी कि 9013 प्रतिवेदन, जो ऑडिट आब्जेक्शंस हैं उनमें 22437 कंडिकाएँ पेंडिंग हैं जिनके उत्तर अधिकारी समय पर नहीं देते. इसका नतीजा यह होता है कि दोषी अधिकारी पदोन्नति पा जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती तो प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक करने के लिए आपको ऑडिट आब्जेक्शंस का जवाब जल्दी देना चाहिए. आपका जिलों में भी वित्तीय अनुशासन नहीं है. जिलों में राज्य शासन के वित्त विभाग के परिपत्रों एमपी फायनेंशियल कोड के नियमों के विरुद्ध कार्यालय प्रमुख पदनाम से खाता नहीं खोल सकता, लेकिन यह खाते खोल रहे हैं. जो कोषालय से आहरित धनराशि है उसको और किसी खाते में रखना उचित नहीं है.इसमें एमपीटीसी और नियम 284 वित्त संहिता के नियम(6) का घोर उल्लंघन है, इसको आपको रोकना चाहिए ताकि प्रदेश के साथ साथ जिलों में भी वित्तीय अनुशासन आए.

उपाध्यक्ष महोदय,अभी प्रदेश की हालत खराब है क्योंकि त्रैमासिक बजट में 29 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक वेतन को छोड़कर सभी भुगतानों पर आपने रोक लगायी थी और इसके पूर्व 25 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर भी आपने रोक लगायी और दशहरा-दिवाली के 10 दिनों में ट्रेजरी से भुगतान नहीं हुए जिसके कारण बहुत सारे काम रुके. वित्तीय संकट है. कटौती के लिखित में आदेश नहीं कर रहे हैं, मौखिक आदेश से कर रहे हैं. आपको पांच माह में 4400 करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा है तो यह क्र कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है और प्रश्न यह है कि प्रदेश का विकास रुका हुआ है. एक तो मनरेगा में पैसा नहीं मिल रहा है. मनरेगा के कारण मजदूरी का पेमेंट नहीं हो रहा है

और जो कंवर्शन है सांसद फण्ड और विधायक फण्ड का, हमारे सारे काम भी रुके हुआ है. 10 हजार किलोमीटर सड़कें खराब हैं उनके लिए आपने 11500 करोड़ सुधार के लिए मांगे लेकिन केन्द्र से 500 करोड़ रुपये मिले. केन्द्र से न आपको मनरेगा का पैसा मिल रहा है, न सड़कों का पैसा मिल रहा है, सारे पैसे रुके हुए हैं. अब आप भूख हड़ताल क्यों नहीं करते, पहले तो भूख हड़ताल करने बैठ जाते थे, आंदोलन करने बैठ जाते थे. अब आपको दिल्ली से पैसा नहीं मिल रहा है. इस कारण से स्थिति खराब हो रही है.

श्री जितू पटवारी-- (आसन से बैठे बैठे) टेन्ट वाला रास्ता देख रहा है कि कब आएंगे मुख्यमंत्री जी.

उपाध्यक्ष महोदय—पटवारी जी बैठकर नहीं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—पेट्रोल और डीजल के भाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हुए हैं लेकिन आप वेट कम नहीं कर रहे हैं.

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री(श्री कैलाश विजयवर्गीय)—उपाध्यक्ष महोदय,पटवारी जी को आपको संसदीय ज्ञान देना पड़ेगा, एक तो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोलें, फिर खड़े होकर बोलें. बहुत बड़े वह विद्वान हैं.

श्री जितू पटवारी-- मैं माफी चाहता हूँ पर बात अगर नियम से ही कर दूं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहले बैठते थे कैलाश जी, वह टेन्ट वाला सही में मिला था एक दिन मुझे, कहा कि मैं नये ले आया हूँ पर मुख्यमंत्री जी बैठते ही नहीं, ऐसा कोई संयोग ही नहीं बन रहा है. मैंने कहा भैय्या हमारे में से ही कोई बैठेंगे, कहीं कम हुआ तो तो हमारे इन्दौर के ही मंत्री है , उनको बैठा लेंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—पेट्रोल और डीजल के भाव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हुए हैं लेकिन उसका फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे हैं. आप वेट कम नहीं कर रहे हैं, आप राज्य का टैक्स कम नहीं कर रहे हैं. मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स आप ले रहे हैं. एलपीजी गैस पर 2 प्रतिशत एन्ट्री टैक्स है और 5 प्रतिशत वेट कुल 7 प्रतिशत से अधिक टैक्स है. मध्यप्रदेश में गैस की

टंकी सबसे ज्यादा महंगी है. यूरिया खाद आप किसानों को नहीं दे पा रहे हैं. रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि किसान घेराव कर रहे हैं, यूरिया है लेकिन यूरिया का ब्लैक हो रहा है, आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं. केन्द्र ने भी आपको खाद में कटौती कर दी है. मनरेगा में कटौती की, सड़कों में कटौती की और खाद में भी कटौती कर दी, आपको नहीं दे रहे हैं और इसके कारण किसान त्राहि त्राहि कर रहा है, खाद नहीं है और आप बिजली भी नहीं दे रहे हैं तो किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है. अगर आपकी कृषि विकास दर बढ़ी है तो वह रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता है. किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है,खाद क्यों नहीं मिल रही है, नकली बीज, नकली दवाइयां, यह सब चीजें हैं तो किसान परेशान क्यों हैं. मेरे क्षेत्र में क्या हर क्षेत्र में किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रही है और वह सिंचाई नहीं कर पा रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय, जीएसटी, कई बार में इसकी वकालत कर चुका हूँ कि जीएसटी लागू करिये लेकिन आप जीएसटी के लिए तैयार नहीं थे.(XX)

उच्च शिक्षा मंत्री(श्री उमाशंकर गुप्ता)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,(XX).

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—मोदी जी के कारण.पेट्रोल, डीजल, गैस को आप दायरे में नहीं ला रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत—पहले तो आप विरोध करते थे अब लगा रहे हो,(XX).

श्री उमाशंकर गुप्ता—आप तो कहते हो हम लोग तो वैसे ही डंडे वाले लोग हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--- उपाध्यक्ष महोदय, आप पेट्रोल डीजल और शराब पर आपका अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाकर आप लोगों का खून चूस सकें. आपकी युवा रोजगार की सभी योजनाएं असफल हैं. जिला उद्योग और व्यापार केंद्र जितने प्रकरण बैंक में भेजते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है. दीनदयाल स्वरोजगार, रानी दुर्गावती स्वरोजगार, माटी कला, केश कल्प ,पिछड़ा वर्ग, एसटीएससी यह सारे कार्यक्रम आपके फेल हो रहे हैं. आप पता कर लीजिये . आपके क्षेत्र में भी आपके पास शिकायतें आती होंगी. लाड़ली

लक्ष्मी योजना भ्रष्टाचार में डूब रही है . कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें 7075 बच्चियाँ को एनएससी मृत्यु के बाद रिलीज हो गई और 67 लाख हितग्राहियों को दे दिये गये और 8 हजार आंगनवाड़ी केंन्द्रों में अधिकांश 2 लाख 60 हजार 547 एनएससी रिलीज किये गये, हितग्राहियों की एलिजिबिलीटी चैक किये बिना. तो यह सब अव्यवस्थायें हो रही है.

श्री रामनिवास रावत-- यह ऐसे ही प्रदेश की बेटियाँ बचा रहे हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- उपाध्यक्ष महोदय, 1 करोड़ बच्चों की 440 करोड़ की ड्रेस खरीदने में कमीशन लिया गया है. पहले आपने मुफ्त गणवेश योजना 2003 में शुरु की थी और भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हुआ है जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है. उसके बाद 2009 में आपने भ्रष्टाचार को केंद्रीकृत कर दिया और कुछ व्यापारियों को यह काम दे दिया तो भ्रष्टाचार का आपने केंद्रीकरण कर दिया. मिड डे मील में कभी छिपकली निकलती है, कभी चूहा निकलता है,कभी कॉकरोच निकलता है ,दलिया की क्वालिटी अच्छी नहीं है यहाँ भी कमीशनबाजी चल रही है. दलित अधिकार अभियान संस्था ने जो 10 जिलों में सर्वे किया है उसमें यह आया है कि दलित लोगों को न तो किचन में जाने दिया जाता है, न उनको खाना मिलता है, इस चीज को आपको रोकने की कोशिश करना चाहिए. उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश शासन ने मेडीकल कॉलेज शिवपुरी और छिन्दवाड़ा में पिछली सरकार ने खोला था केंद्रीय मंत्री ने शिवपुरी आकर उसका शिलान्यास किया था लेकिन चूंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इन दोनों स्थानों पर जीती है तो आप वह मेडीकल कॉलेज शिफ्ट करके कहीं और ले जा रहे हैं क्या शिवपुरी और छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश में नहीं है. इस प्रकार बदले की भावना से काम न करके इस निर्णय पर आप पुनर्विचार करें. आप मुख्यमंत्रीजी और संबंधित मंत्री जी से इस बात को कहिये . यदि 41 में से 23 स्थानों पर नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस ग्वालियर संभाग में जीती है तो क्या विजयवर्गीय जी वहाँ नगरपालिकाओं को पैसा देना बंद कर देंगे. वैसे यह धमकी देकर आए हैं कई जगह पर कि अगर आपने भाजपा को नहीं जिताया तो आपका विकास रुक जाएगा आपको विकास के लिए पैसे नहीं मिलेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- वह तो चुनावी सभा की बात है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है , वह मंत्री भी तो हैं.

श्री रामनिवास रावत-- लेकिन मंत्रीजी उदार हैं, वह विकास के लिए पैसे देंगे.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- उपाध्यक्ष महोदय, यह जिस प्रकार से मेडीकल कॉलेज ले गये हैं तो मेरे ख्याल से जो 23 नगरपालिकायें कांग्रेस ने जीती है वहाँ पैसा देना बंद कर देंगे. तो यह बदले की भावना से काम करने अच्छा नहीं है. यह समय हमारे पास भी आएगा , कोई आपका ही समय नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदय-- अब आप समाप्त करें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा--- उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में नकली दवाईयाँ मिल रही हैं, एक्सपायरी डेट की दवा मिल रही है. पानी का बहुत जबर्दस्त संकट आने वाला है जो हैंडपंप खोद रहे हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है. जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया है इसलिए आपको इसकी व्यवस्था करना चाहिए कि हैंडपंप गहराई तक खोदे जायें. इस बार जल का संकट बहुत होने वाला है. मेरा आपसे अनुरोध है कि जो पीडीएस(पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) है, उसमें गुना और मुंगावली में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है. वहाँ पर ओला , पाला पीड़ित किसानों पर पटवारियों ने बड़ी मनमानी की है. हमारे प्रभारी मंत्री भार्गव जी ने एक इनक्वायरी कमेटी भी बिठाई थी कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसको दूर किया जाए. लेकिन उसमें भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई है और जो मुआवजा गरीबों को मिलना था उसकी जगह बड़े बड़े लोगों को 2-2- लाख रुपये का मुआवजा मिल गया लेकिन एसटीएससी और बीपीएल के लोगों को मुआवजा नहीं मिला, इसकी जांच का भी आपको आदेश देना चाहिए. आप पब्लिसिटी पर बहुत खर्च कर रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—कालूखेड़ा जी समाप्त करें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- उपाध्यक्ष महोदय महोदय, आपने पब्लिसिटी पर वर्ष 2010-11 में 37 करोड़ रुपये, वर्ष 2011-12 में 45 करोड़ रुपये, वर्ष 2012-13 में 61 करोड़ रुपये और इस 2013-14 में 95 करोड़ रुपये पब्लिसिटी में, फोटो खिंचाने में खर्च किया. हम दिल्ली गये तो वहाँ हर बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ था. इन्वेस्टर्स मीट में आपने 12 करोड़ रुपया खर्च किया है और अब आप सिंहस्थ के लिए भी पैसा दे रहे हैं, यह अच्छी बात है पर सिंहस्थ में जब पिछली बार पैसा दिया था उसमें कितना जबर्दस्त भ्रष्टाचार हुआ था उसमें आपने लोगों को दंडित नहीं किया है. आप सिंहस्थ के लिए पैसा दे रहे हैं यह अच्छी बात है लेकिन यह व्यवस्था करें कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए.मध्यप्रदेश में और सिंहस्थ में जो सड़कें बने उसकी गुणवत्ता अच्छी हो धन्यवाद.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय(जावरा)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पहले माननीय महेन्द्र सिंह जी कालूखेड़ा साहब बोल रहे थे. राम जाने क्या संयोग है कभी वे आगे रहते हैं कभी मैं पीछे रहता हूँ. कभी मैं पीछे रहता हूँ कभी वे आगे रहते हैं और इस बार हम दोनों साथ साथ हैं.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ मैं मुंगावली चुनाव लड़ने चला गया नहीं तो हम दोनों आपस में लड़ते तो विधान सभा में हम में से एक ही आता. कम से कम मैं चला गया तो हम दोनों तो आ गए.

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमाशंकर गुप्ता)-- लेकिन कालूखेड़ा जी, इस बार नंबर राजेन्द्र जी का था.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- यह समझदारी हो गई है साथ साथ आ गए.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय-- माननीय, आप मुझसे बड़े हैं हमेशा आप ऐसे ही समझदारी पूर्ण निर्णय किया करें.

उपाध्यक्ष महोदय-- दोनों में यह जुगलबंदी बड़ी अच्छी है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा-- उपाध्यक्ष महोदय, हम तीन बार चुनाव लड़े दो बार मैं जीता एक बार ये जीते. अब यह कह रहे हैं मेरा नंबर था, मैं कहता हूँ मेरा नंबर था. लेकिन अच्छा हुआ कि मैं वहाँ चला गया तो हम दोनों आ गए.

श्री राजेन्द्र पाण्डेय-- मैंने इसीलिए निवेदन किया आप बड़े हैं अच्छे निर्णय किया करें, समझदारी के निर्णय किया करें.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक बजट की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ. यह सर्वविदित है, चाहे इसे कितना भी नकारा जाए, चाहे इसके विरोध में कितना ही तर्क वितर्क किया जाए. लेकिन अब तो मध्यप्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता यह मानने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कुशल नेतृत्व में और हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीगणों के अथक प्रयास से विकास के कार्य प्रारंभ हुए हैं. (मेजों की थपथपाहट) जनता देख रही है, जनता स्वीकार कर रही है और स्वीकारोक्ति मात्र शब्दों में नहीं है. पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो इससे यह महसूस होता है कि जनता में विकास कार्यों को स्वीकार्यता मिली है. मैं मध्यप्रदेश की उन पिछले दिनों की स्थिति में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वह तो जनता के साथ साथ में हमारे काँग्रेसी मित्रों ने भी भुगता भी है. अभी मैं अगर अपने रतलाम जिले की बात करूँ तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी तब लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे और हमने तब लेबड़ से लेकर नयागाँव तक की फोर लेन सड़क की मांग की थी. लेकिन उससे पूर्व की जो स्थिति थी, जावरा से रतलाम मात्र 35 किलोमीटर का रास्ता गड्ढे में सड़क है या गड्ढों में सड़क है वह तो दूर की बात अगर वहाँ मोटरसाइकिल, स्कूटर, से जाते तो ढाई-तीन घंटे में हम लोग पहुँचा करते थे और पहुँचने के बाद में हालत यह हो जाती थी कि कहीं न कहीं कोई ड्रायक्लिनर मिल जाए तो कपड़े भी धुलवा लें और कहीं न कहीं अच्छी जगह पर जाकर थोड़ा स्नान ध्यान कर लें ताकि हमारा एक दूसरे का चेहरा पहचानने में आ जाए. आज हम मात्र 25 मिनिट में पहुँच जाया करते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की स्थिति हमसे छुपी हुई नहीं है. आज बिजली पर यहाँ पर चर्चा हो रही है. मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मेरी भी 90 ग्राम पंचायतें हैं, एक नगर पंचायत है, एक नगर पालिका, ऐसा मेरा विधान सभा का क्षेत्र है. मैं जो यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक ही व्यक्त करना चाहता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, घंटा दो घंटा बिजली चली जाए तो कोहराम मच रहा है. घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, हो जाए तो कोहराम मच रहा है, हाहाकार मच रहा है. उस समय तो 24 घंटे में से अगर 2-3 घंटे बिजली मिल जाती तो हम तो एक दूसरे को बधाइयाँ और शुभकामनाएँ प्रेषित करने लग जाते थे कि आज तो तीन घंटे बिजली मिल गई है और यही एक बड़ा कारण रहा, सड़कें बनने लगीं, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ. न केवल बिजली और सड़क वरन् शिक्षा कैसे गुणवत्तापूर्ण हो, शिक्षकों का मानदेय कैसे ठीक हो, स्कूल भवन किस तरह से अच्छे हों इस हेतु भी शासन ने प्रयास किये इसी के साथ ही सिंचाई के संसाधन कैसे बढ़ाये जायें. नहरों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, बड़े-छोटे बांध बनना प्रारंभ हुए. वृहद और लघु सिंचाई योजनाएं बनना प्रारंभ हुईं. यही एक बड़ा कारण रहा कि एक नहीं दो-दो बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार से माननीय राष्ट्रपति महोदय ने मध्यप्रदेश शासन को पुरस्कृत किया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार इजाफा करते हुए उन दूर-दराज के क्षेत्रों में जो आदिवासी बाहुल्य हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर भी शासन ने इस अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 1771 लाख रुपये का प्रावधान किया है तथा अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र में 918 लाख रुपये का प्रावधान किया है. लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए 70 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है. साथ ही अस्पताल एवं औषधालय के भवन निर्माण हेतु 1855 लाख का प्रावधान करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक, दुरस्त करते हुए चुस्त करने का प्रयास इस अनुपूरक के माध्यम से किया गया है. यही स्थितियां उन अनुसूचित जाति

बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रही है उसके लिये भी 614 लाख रुपये का प्रावधान करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है.

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बिना हम जीवन की जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं. मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल बजट के माध्यम से वरन् इस अनुपूरक बजट में भी वह सारे प्रावधान करते हुए वह चाहे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हो या वह सामान्य वर्ग का क्षेत्र हो सभी में छात्रवृत्ति की राशि को इस अनुपूरक बजट में सम्मिलित किया है. एक बात देखने को मिलती थी कि भवन तो बना हुआ है लेकिन बाउन्ड्रीवॉल नहीं होने के कारण कई बार स्कूल परिसर में भी अतिक्रमण हो जाया करते थे. वहां पर बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण किए जाने के लिए 325 लाख रुपये का प्रावधान किया गया.

उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में शौचालय व मूत्रालय नहीं हुआ करते थे. मैं भी सौभाग्य से पहली कक्षा से लेकर महाविद्यालय तक शासकीय स्कूल व महाविद्यालय में ही पढ़ा हूं. उन स्कूलों में तब भी शौचालय और मूत्रालय की आवश्यकता महसूस हुआ करती थी और तब हम शासन को कोसा करते थे. माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश से आह्वान किया और मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शौचालय के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 5000 लाख का प्रावधान करते हुए इस अनुपूरक में एक बड़ी सौगात मध्यप्रदेश को दी है जिससे छात्र-छात्राओं को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है.

उपाध्यक्ष महोदय, योजनाएं बनीं और उनके माध्यम से कई बार उल्लेख किया गया कि शासन बहुत कुछ कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उन विगत वर्षों के शासनकाल में उतने कार्य नहीं हो पाये. यही एक कारण रहा कि इतना सब करने के बावजूद आज भी यह आरोप लगाया जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जायेगा. यह अनुपूरक

बजट इस बात को प्रमाणित करता है कल से आज अच्छा है और आने वाला कल और अधिक अच्छा होगा. जय हिन्द, जय भारत, जय मध्यप्रदेश.

श्री मुकेश नायक(पवई) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए बहुत संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करने का प्रयत्न करूंगा. मध्यप्रदेश में आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति है और मध्यप्रदेश की आर्थिक हालत कुप्रबंध, आर्थिक अराजकता और मनमाने ढंग से काम करने के कारण इतनी खराब हालत है कि सरकार को हर महिने कर्ज लेना पड़ रहा है. 2008-09 में 60432 करोड़ रुपये कर्ज था जो बढ़कर 2012-13 में 90168 करोड़ रुपये हो गया. इसमें 66577 करोड़ रुपये का ऋण लोक ऋण है और 31407 करोड़ का बाजार का ऋण है जो सकल घरेलू उत्पादन है. अगर हम टोटल ऋण की पोजीशन को देखें तो जो ऋण की देयता है वह जीडीपी का 24.92 परसेंट हो गया है. इतनी बुरी हालत है. मध्यप्रदेश में जो केंद्र शासित योजनाएं हैं. केंद्र शासन की अनुदान राशि है राज्य का जो सकल घरेलू उत्पादन है और रेवेन्यू है. अगर इसका टोटल रेश्यो हम देखें तो भारत सरकार का अंशदान 47 प्रतिशत है और मध्यप्रदेश का जो अंशदान है वह 53 प्रतिशत है. मैं अगर गलत जानकारी दे रहा हूं तो वित्त मंत्री जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मेरी जानकारी को वह दुरुस्त करें. क्या यह सही है कि 27 मई,2014 को एक हजार करोड़ का ऋण लिया. 24 जून,2014 को 350 करोड़ रुपये का ऋण लिया. 8 जुलाई,2014 को एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया. 22 जुलाई,2014 को एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया, 23 सितम्बर,2014 को 1050 करोड़ रुपये का ऋण लिया और अब 26 नवम्बर,2014 को 650 करोड़ रुपये का ऋण मध्यप्रदेश की सरकार ने लिया. मैं नब्बे हजार करोड़ से ज्यादा के ऋण के बाद राज्य सरकार ने जो ऋण लिया है उसकी चर्चा मैं वित्त मंत्री जी से कर रहा हूं. मुझे एक बात बताएं वित्त मंत्री जी कि मनमोहन जी की सरकार जब केंद्र में थी तो राज्य सरकार के समूचे विहंगम द्दृ दृष्टि अगर बजट की डालें जो केंद्र सरकार से पैसा मिला है वह 38 हजार करोड़ रुपये की राशि मिली है और वर्तमान में जब केद्र में

भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अभी तक 28 हजार करोड़ रुपये केंद्र शासन से मिले हैं और उसमें से भी अभी 20 हजार करोड़ रुपये राज्य शासन को दिये गये हैं. 10 हजार करोड़ रुपये अभी नहीं दिये गये और इसका कारण है जो मध्यप्रदेश में जो केंद्र शासन से केंद्र पोषित योजनाओं के लिये जो पैसा मिलता है इनके निरंकुश अधिकारी और वल्लभ भवन में काम करने वाले लोग यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट टाईम पर नहीं भेजते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी उपाध्यक्ष महोदय कि मध्यप्रदेश के 23 विभागों में 28240.91 करोड़ के जो यूटिलाईजेशन स सर्टिफिकेट नहीं दिये गये. यह एक तरह का आर्थिक अपराध है. मध्यप्रदेश के साढ़े सात करोड़ नागरिकों के साथ धोखा है और इसमें नागरिक आपूर्ति विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और ऊर्जा विभाग प्रमुख रूप से शामिल है. मैं चूंकि वित्त मंत्री जी मध्यप्रदेश के सिंचाई मंत्री जी भी हैं मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सी.ए.जी. की रिपोर्ट्स की ओर. मैं जब मूल बजट आएगा तब 2012-13 और 2013-14 में जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो समीक्षा की है और जो आब्जेक्शंस लगाए हैं. इसकी डिटेलिंग मूल बजट में करूंगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जल संसाधन विभाग में मार्च,2013 तक जो 55 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं थीं उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल थी, फाईनेंशियल एप्रूवल थी योजनाओं की उसमें जो 55 परियोजनाओं में जो एस्क्लेशन कास्ट है 2412.53 करोड़ वेस्ट हो जगया. यह एक्सक्लेशन कास्ट नहीं है. माननीय वित्त मंत्री जी मैं जो यह बात कर रहा हूं यह मेरी अपनी बात नहीं है. मेरे पास सी.ए.जी. रिपोर्ट की यह पुस्तक रखी है. कृपा करके आप सीएजी रिपोर्ट की यह पुस्तक और पृष्ठ क्रमांक में देख लें.सीएजी ने अपने आब्जेक्शन में, अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि मार्च,2013 तक जो 55 अपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं थीं उसमें 2412.53 करोड़ रुपये बर्बाद हो गये. ऐसा गरीब राज्य जिसका आम नागरिक आर्थिक,सामाजिक,शैक्षणिक और स्वास्थ्य,चिकित्सा संबंधी समस्याओं से संघर्ष करता है उस राज्य में दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि का नियोजन ऐसी सिंचाई परियोजनाओं पर कर दिया जो बर्बाद हो गया. जिसका उपयोग नहीं हो पाया. मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, पिछले दिनों मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के

दौरे पर गया. बुंदेलखंड पेकेज के तहत सिंचाई परियोजनाएं और बांध बनकर तैयार हैं. उनमें पानी भरा हुआ है. दो साल से किसानों की फसलें नहीं आईं. इसके बावजूद मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहा कि वहां के सिंचाई विभाग के अधिकारी बांध के गेट नहीं खोलते हैं और किसानों को सिंचाई क्षमता का प्रयोग और जो पानी भरा हुआ है उसका लाभ नहीं मिल रहा है. मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा और जब अधिकारी वहां पर गये तो हतप्रभ रह गये कि किसी भी कीमत पर इन परियोजनाओं के गेट नहीं खोले जा सकते और उसका कारण यह है कि नहर बनाने में भारी आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं. इस तरह की नहरें बनाई गईं हैं. प्रापर लाईनिंग नहीं की गई है. कमाण्ड एरिये का ध्यान नहीं दिया गया है इसके कारण अगर सिंचाई बांधों के हम गेट खोलेंगे तो जल का असमान वितरण हो जाएगा नहरें टूट जाएंगी ऊटपटांग तरीके से पानी भर जायेगा फसलें बर्बाद हो जाएंगी. दो साल से पानी भरा हुआ है लेकिन जो विपुल धनराशि सरकार ने खर्च की है उस सिंचाई साधनों से किसान अपने खेतों में पानी नहीं ले जा पा रहा और उपयोग नहीं कर पा रहा. मैंने प्रमुख सचिव को फोन किया और मैंने उनसे प्रार्थना की कि ये गेट नहीं खुल रहे तो उन्होंने मुझसे फोन पर कहा कि आप बताईये कि गेट क्यों नहीं खुल रहे तो मैंने कहा कि विभाग आपका है, आप इस विभाग के प्रमुख सचिव हैं, मैं क्या बताऊं कि गेट क्यों नहीं खुल रहा है जब उन्होंने कहा कि बताएं कि गेट क्यों नहीं खुल रहा है तो मैंने कहा कि नहरों के रखरखाव में नहरों को बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है. इसके कारण जो बांध हैं उनके गेट नहीं खोले जा रहे तो उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना वरिष्ठ अधिकारी मुझसे यह कहता है, मैं मध्यप्रदेश में केबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, मैं एक अनुभवी नेता हूं और मेरा अपना संसदीय जीवन और अनुभव है, अधिकारी ने मुझसे फोन पर यह कहा कि नेताओं का यह स्टैंडर्ड आंसर है जो नेता हर समय लोगों को दिया करते हैं. आप याद रखना आपको जो ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है ना. आप बिल्कुल ईमानदार आदमी नहीं हैं. मेरे पास जो डिटेलिंग है और नेताओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने के पहले जो अपना पाखण्ड है और जो बेईमानी

है और हर नेता को इस मध्यप्रदेश में बेईमान समझने का जो दृष्टिकोण है इसका थोड़ा सा त्याग करें और इसको दुरुस्त करें. मैं उनसे पूछना चाहता हूं. मंत्री जी यहां बैठे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - वे सदन में यहां सदस्य नहीं हैं.

श्री मुकेश नायक – मैं तो केवल जो मेरे संसदीय कर्तव्यों में जो बाधा आ रही है उसके प्रति सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं. किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं.

उपाध्यक्ष महोदय – व्यक्तिगत आक्षेप न करें.

श्री मुकेश नायक – यह मेरा अधिकार है कि मेरे संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अगर कोई बाधा होती है तो मैं सदन में बोल सकता हूं. मैं विशेषाधिकार समिति का सदस्य हूं और मुझे यह ज्ञान है कि मैं किस विषय के ऊपर चर्चा कर रहा हूं. मैं केवल विनम्रतापूर्वक कहना चाह रहा हूं कि जो प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें यह ज्ञान होना चाहिये कि जो विधायक जनता के प्रति जवाबदेह है. जनता ने उन्हें जनादेश दिया है. हमें प्रतिपक्ष की भूमिका के लिये जनता ने आदेशित किया है और एक क्र प्रहरी के रूप में इस विधान सभा में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए तैनात किया है. मुझे उन कर्तव्यों का पालन करना है क्योंकि मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि 1975 के बाद सिंचाई विभाग में कोई मशीनरी परचेज नहीं की गई है और 1975 में जो मशीनरी परचेज की गई थी विभाग के भौतिक लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये वह मशीनरी पूरी बर्बाद हो गई क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया और उसमें से अधिकांश नीलाम भी कर दी गई. मुझे जो जानकारी मिली है कि लगभग 5 करोड़ रुपये महीने मशीनरी के रखरखाव के लिये खर्च हो रहे हैं और माननीय मंत्री जी आप यह बताएं कि जो हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे विभाग के अधिकारियों का क्या संबंध है.उससे विभाग के अधिकारियों का क्या संबंध है उस कम्पनी को आंख बंदकर के क्यों प्रमोट किया जा रहा है, यह बताएं ? जब मूल बजट पर चर्चा होगी तो मैं प्रमाण के साथ इन अधिकारियों के पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचार को जनता के बीच में रखूंगा. पी.एच.ई विभाग के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं

गांवों में वॉटर सोर्स रेडी है, गांवों में पाईप लाईन बिछी हुई है उसको चार चार और पांच-पांच साल हो गये, लेकिन क्या कारण है कि नल-जल योजनाएं चालू नहीं हो रही हैं लोगों का उसका फायदा नहीं मिल रहा है. बुंदेलखंड में पैकेज के तहत कितनी बड़ी धनराशि खर्च की गई है माननीय पी.एच.ई.मंत्री जी यहां पर हैं यह उनके पहले की बनाई गई सारी योजनाएं हैं आप सदन को बताने की कृपा करें कि क्या यह योजनाएं चल रही हैं और नहीं चल रही हैं तो इतनी भारी धनराशि का नियोजन इन सब योजनाओं में क्यों किया गया और अगर इसका लाभ आम-जनता को नहीं मिल पा रहा है तो क्या दोषी लोगों पर कोई कार्यवाही होगी. बिजली विभाग में ऐसी अराजकता है जिसकी कल्पना नहीं हो सकती अगर बिजली विभाग के पूरे घाटे की डिटेलिंग मैं करूं जो मूल बजट में मैं करूंगा मेरी पूरी तैयारी है तो सदन को जानकर यह हैरानी होगी कि मांग और पूर्ति में कितना बड़ा असंतुलन है और बिजली कम्पनियां बड़े घाटे में चल रही हैं. एक दिन में एक बिजली यूनिट बिजली जितने पैसे में खरीदी गई उसी दिन एक यूनिट बिजली उससे ज्यादा कम पैसे में बिजली बेची गई, यह कौन सा तरीका है सरकार का काम करने का, यह कौन सा तरीका है मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाने का कि उसी दिनांक में बिजली खरीदी गई अधिक दामों पर और सेम डेट में बिजली बेची गई कम दामों पर इस तरह के निरंकुश, स्वैच्छाचारी और भ्रष्ट अधिकारी मध्यप्रदेश में काम कर रहे हैं, यह सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. हमारे राजस्व मंत्री जी के जिले का मामला है एक गांव है सबनापुर यह विकासखंड गैरतगंज में आता है. पिछले दिनों हमारे मंत्री शेजवार जी वहां पर गांव में गये थे गांवों के लोगों ने उन्हें घेर लिया आपने पॉलिसी बना दी.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नायक जी बहुत सीनियर नेता हैं सारे मंत्रियों के चेहरे देख-देख कर उनके विभागों के काम याद आ रहे हैं. यह अच्छी बात है प्रेरणा दे रहे हैं तो हम कार्यों में सुधार कर लेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय—मंत्री जी ठीक कह रही हैं.

श्री मुकेश नायक—अगर बात करूं तो मुझे टोक देना.

श्री रामपाल सिंह—नायक जी सुबह से विचलित लग रहे हैं. कभी इतने विचलित मैंने उनको कभी नहीं देखा.(हंसी)

श्री कैलाश विजयवर्गीय—उपाध्यक्ष महोदय, साप्ताहिक पत्रिकाएं आती हैं उसमें लिखा रहता है फंलाना भ्रष्टाचार आगामी अंक में. (हंसी)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—वह कभी खत्म भी नहीं होता, वह चलता रहता है.

श्री कमलेश्वर पटेल--मंत्री जी भ्रष्टाचार है अगले अंक में प्रकाशित हो जाएगा इसकी सील मंत्री जी लगा दी है.

श्री बाला बच्चन—उपाध्यक्ष महोदय, मुकेश भाई यह सत्तापक्ष वालों का हम लोगों को हतोत्साहित करने का तरीका है. आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, सरकार की पोल खोल रहे हैं आप प्रदेश के हित में बोल रहे हैं.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले—उपाध्यक्ष महोदय, मोरलाईज है क्या.

श्री बाला बच्चन—मोरलाईन नहीं डी मोरलाईज बोला है. कोई अच्छा बोलता है तो सत्तापक्ष के लोग ज्यादा से ज्यादा मंत्री जी तथा माननीय सदस्यगण खड़े हो जाते हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—अच्छा बोल रहे हैं तो प्रभार यहां पर डाईवर्ट कर दो.

उपाध्यक्ष महोदय—ऐसा है कि चश्मा अलग अलग लगा हुआ है, उसी से देखें.

श्री मुकेश नायक—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात पूरी कर लूं मैं समनापुर गांव की चर्चा कर रहा था उस जिले के मंत्री शेजवार जी उस जिले के एक गांव में गये उनको लोगों ने घेर लिया लोगों ने कहा कि ट्रांसफार्मर जब आप 50 प्रतिशत जमा करेंगे.उनको लोगों ने घेर लिया लोगों ने कहा कि ट्रांसफार्मर कहते हैं कि 50 परसेंट जब जमा करोगे तब ट्रांसफार्मर बदलेंगे या सुधारेंगे गांव में बिजली आयेगी, लेकिन उस गांव के लोगों ने माननीय राजस्व मंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं आप शेजवार जी से पूछ लीजियेगा, उस गांव के लोगों ने 20 हजार रिश्वत ओ आई सी को दी, उनने सारे लोगों ने वह पैसे बांटे और वह रिपेयर करके बिना 50 परसेंटि ल्टि लये वह ट्रांसफार्मर

वहां पर लगा दिया और यह घटनाएं केवल एक गांव की नहीं है, यह मध्यप्रदेश में अनेक गांवों में यह घटनाएं हो रही हैं कि पैसे अगर दे दो टैक्निकल लोगों को ओ आई सी को सब इंजीनियर को, तो वह ट्रांसफार्मर बदल देते हैं इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण होना चाहिये, कर्मचारियों पर नियंत्रण होना चाहिये, 2-2 महीने से 4-4 महीने से गांव अंधेरे में पड़े हुए हैं और मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि बिजली विभाग, रेवेन्यू विभाग और फुड एन्ड सिविल सप्लाई विभाग अगर यह मध्यप्रदेश में आपकी पोजीशन को अगले छह महीने में बिल्कुल धरातल पर नहीं ला दें, तो आप कहना. मैं इस अनुपूरक बजट का जिसका कोई अर्थ नहीं है, यह अनुपूरक बजट सरकार के कुप्रबन्ध, आर्थिक अराजकता का जीवंत प्रमाण है इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं.

श्री कैलाश विजय वर्गीय--उपाध्यक्ष महोदय, मुकेश भाई बहुत अच्छा बोलते हैं और बोले भी बहुत अच्छा आपने वैसे टोक दिया था मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अधिकारी का नाम भी अगर रिकार्ड से निकाल देंगे, तो ज्यादा उचित होगा. सदन की परंपरा यही रही है कि जो सदन का सदस्य नहीं हो, उसका नाम नहीं लेना चाहिये.

उपाध्यक्ष महोदय--ठीक है, निकाल दें उसे.

श्री मुकेश नायक--कैलाश विजयवर्गीय जी, विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं ज्यादा इस तरह के अधिकारियों पर निर्भर न रहें, लोग अब मध्यप्रदेश में कहने लगे हैं कि तीसरा टर्म आपको दे दिया है और यह मुख्यमंत्री जी तो ऐसे हैं कि जिन लोगों से घिरे हैं, उन्हीं के कानों से सुनते हैं उन्हीं की आंखों से देखते हैं और उन्हीं के मुंह से बोलते हैं, इन्हें तो सत्ता का मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का मद चढ़ गया है, यह विधानसभा तक में नहीं बैठते, क्या विधायिका के प्रति इनके मन में सम्मान है ?

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुपूरक बजट का मैं समर्थन करता हूं, समर्थन इस कारण से करना चाहता हूं कि पिछले 11 वर्षों के दरमियान मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किये और उनके द्वारा किये गये कार्यों के कारण से

जो जनकल्याण हुआ, लोगों की उन्नति तरक्की हुई और विशेषकर खेति किसानी के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों का उत्पादन बढ़ा, यह सब इस कारण से संभव हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नीतियां बनाईं और जो योजनाएं बनाईं उन योजनाओं के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों को, गांव गरीब और किसानों को उन्नत करने के लिये बहुत बेहतर तरीके से कार्य करने का प्रयत्न किया गया. पूरे मध्यप्रदेश में तो सरकार ने बहुत सारे कार्य किये ही, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले समय में जिन कार्यों को मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्रियान्वित किया, उन कार्यों को करने के लिये पिछले 7 वर्षों से हमारे श्योपुर क्षेत्र के नागरिक और वहां के लोग निरंतर मांग करते थे और यह प्रयत्न होता था कि किसी न किसी प्रकार से उनको इन कठिनाइयों से निवारण मिले लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और यह संभव तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र के अंदर विशेषकर चंबल नहर में पानी संचालित करने के लिये एक लंबे अर्से से किसान लोग इस बात की मांग करते थे कि जबसे नहर बनी है, तब से इनकी मरम्मत और सुदृढ़ीकरण और इसके ठीक तरीकेसे रखरखाव का कार्य नहीं हुआ और इसके कारण से श्योपुर क्षेत्र में और मुरैना व भिंड में जितना सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध होना चाहिये था, वह पानी इस कारण से नहीं मिल पाता था क्योंकि नहर संचालन में जब पानी पर्याप्त मात्रा में चलाया जाये, तो नहर टूट जाया करती थी, किसान को जब आवश्यकता होती थी ऐसे समय में किसान पानी नहीं ले पाता था और करोड़ों करोड़ रूपये के नुक्सानी का उस क्षेत्र को भुगतना पड़ता था. मानीय उपाध्यक्ष महोदय, उस नहर को सुदृढ़ीकरण किया जाकर पक्का करने के बाद परिस्थिति इस प्रकार की बनी है कि बहुत वर्षों के बाद अभी 28 तारीख को ही हमारे हिस्से का जो 3900 क्यूसिक पानी था, वह पानी राजस्थान से हमारे श्योपुर, मुरैना और भिंड को प्राप्त हो सका, यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से संभव हुआ.मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के अंदर सड़कों की बहुत बड़ी कठिनाई लोगों को लम्बे समय से

महसूस होती थी. लोग चाहते थे कि ठीक तरीके से सड़क बननी चाहिये. मध्यप्रदेश की सरकार में पिछले समय 2003 से 2008 के समय जब मैं इस विधान सभा में था, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जब लोक निर्माण मंत्री होते थे, उस समय हमारे उस क्षेत्र के अंदर एक लम्बी सड़क जो चम्बल नदी से लेकर शिवपुरी तक लम्बे समय से मांग थी, बहुत अच्छी सड़क का निर्माण किया गया. अभी वर्तमान में भी श्योपुर- बड़ोदा सड़क का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से संभव हुआ है, उससे लोगों को लाभ मिला है. करोड़ों रुपये की लागत से वह बनी है. इसी प्रकार से अन्य सड़कों का भी निर्माण संभव हो सका है. श्योपुर नगर के अंदर बहुत लम्बे समय से सीप नदी के ऊपर 2 बड़े पुलों की मांग हमारी जनता श्योपुर की लगातार करती थी. कई घटनायें घटित हो चुकी थीं. लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद बंजारा डेम का पुल भी बना और सलापुरा में सीप नदी पर पुल का निर्माण हुआ. करोड़ों रुपये की लागत से यह संभव हो सका. हमारे श्योपुर जिले में जिला चिकित्सालय की जो व्यवस्था थी, बहुत जर्जर थी. चार कमरों के अंदर वह अस्पताल चला करता था, एक भव्य अस्पताल बने और ठीक तरीके से लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके. स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो सके, उसमें प्रदेश की सरकार ने ऐसा जिला चिकित्सालय का निर्माण किया, जो हमारे संभाग में सबसे ऊपर और अव्वल है और करोड़ों रुपये की लागत से उसमें बहुत सारी मशीन उपकरण लगाकर व्यवस्थायें ठीक की गयीं. माननीय स्वास्थ्य मंत्री, नरोत्तम मिश्रा जी ने भी उस पर ध्यान दिया, इसके कारण से यह संभव हो सका. मैं आपसे यह निवेदन करना चहता हूं कि मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार के समय ऐसे अनेक लोक कल्याणकारी कार्य केवल श्योपुर जिले के अंदर संभव हुए, पूरे प्रदेश की बात करेंगे, तो लम्बा समय लगेगा. लेकिन धीरे धीरे करके हमारे जिले के विकास की ओर और विकास की ऊचाइयों पर ले जाने के लिये बहुत सारे कार्यों को करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है.

किसानों के क्षेत्र में सरकार ने जो काम किया है, वास्तव में इसकी प्रशंसा सर्वत्र होती है. खेती किसानी के क्षेत्र में पूरे देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान हमारे प्रदेश को प्राप्त हुआ. यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री जी के प्रयत्नों के कारण से और हमारे प्रदेश के किसानों के द्वारा की गई मेहनत के कारण से संभव हुआ है. लेकिन किसान तो पहले से भी थे और खेती किसानी करने के लिये बहुत बड़े मन के अंदर ललक रखते थे, परिश्रम करते थे. लेकिन उनको सुविधाएं न मिलने के कारण किसानों को ठीक तरीके से प्रोत्साहित न किये जाने के कारण उस समय की सरकारों के समय हमारा यह प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आगे नहीं आ सका. प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस प्रदेश ने तरक्की, उन्नति की, किसानों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराईं. किसानों को जो रियायतें, प्रोत्साहन दिया गया, इस प्रोत्साहन के ही कारण से पूरे देश के अंदर कृषि कर्मण पुरस्कार एक बार नहीं, दो बार,तीन-तीन बार मिलने का यह अवसर मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ. यह इस कारण से कि मध्यप्रदेश की यह लोक कल्याणकारी भाजपा की सरकार बहुत अच्छा और बहुत बेहतर तरीके से किसानों के क्षेत्र में कार्य कर रही है. आज हम गेहूं और धान के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत आगे पहुचे हैं और पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर मध्यप्रदेश का नाम है. सिंचाई के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं. अभी जैसा बताया गया कि 25 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की क्षमता बढ़ाने का काम हमारे इस प्रदेश के अंदर हुआ है. चूंकि सिंचाई की क्षमता बढ़ी है और बिजली के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम सरकार ने किया है, इसके कारण से किसानों का कृषि उत्पादन बढ़ा है. सिंचाई के क्षेत्र में काम आगे बढ़ा और बिजली के क्षेत्र में कार्य आगे बढ़ा है, इसके कारण से किसानों को अपना कृषि उत्पादन ठीक करने के लिये, आगे बढ़ने के लिये एक अच्छा और ठीक तरीका का मौका मिल सका. वर्तमान में अनुपूरक बजट के अंदर जो प्रावधान किये गये हैं और इन प्रावधानों के कारण से हमारे प्रदेश के विभिन्न वर्ग के लोगों को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है. प्रदेश की सरकार जिस नीति, योजना से प्रदेश का संचालन कर रही है. उस संचालन में इस अनुपूरक बजट के अंदर किये गये प्रावधानों से ऐसे वर्गों को भी लाभान्वित करने का काम किया गया है.जो सरकार की तरफ वर्षों से निहार रहे थे, देख रहे थे. उपाध्यक्ष जी, जैसा मैने

निवेदन किया कृषि, सिंचाई, चिकित्सा और लोक निर्माण के क्षेत्र में तो सरकार ने बहुत सारे काम किये ही हैं लेकिन गरीबों को सस्ता अनाज देने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया और वह जो निर्णय लिया उसके कारण से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये जो अन्नपूर्णा योजना संचालित की गई , इस अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1 करोड 60 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत सारे कार्य करने के लिये सरकार ने 23 करोड़ 1 लाख 78 हजार रूपये का प्रावधान किया जिसके कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत यह व्यवस्था ठीक हो सके. इसी प्रकार खाद्यान उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने 150 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को बोनस देने का बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है. इसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई हैं.

श्री रामनिवास रावत -- वह केन्द्र की सरकार ने बंद कर दिया है.

श्री दुर्गालाल विजय -- अभी बंद हुआ नहीं है. कोई निर्णय इस प्रकार का हुआ नहीं है.

श्री रामनिवास रावत -- अगर बंद किया है तो आंदोलन करोगे हमारे साथ,विरोध करोगे.

श्री दुर्गालाल विजय- हम और हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ में है. मैं वास्तविकता बता रहा हूं. जितनी बातें मैंने कही है उसमें कहीं भी किसी प्रकार की असत्यता आपको नजर आती हो तो आप बताना.

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किये गये हैं उन ऐतिहासिक कार्यों का वर्णन मैंने आपके सामने उल्लेखित किया है . इसके साथ साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिये ,, विमक्त- घुमक्कड़ और ऐसे लोगों के लिये जिनको बहुत आवश्यकता थी जो स्कूलों में नहीं जाते थे , पढ़ाई नहीं करते थे, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत उनको स्कूलों में ले जाने की व्यवस्था तो की गई इसके साथ साथ उनकी फीस

व्यवस्था, अनुदान देने की व्यवस्था, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था,ऐसे पिछड़े वर्ग और बहुत कमजोर वर्ग के लोगों के लिये जिनके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई विचार होता नहीं था उनको स्कूलों में ले जाकर उनको स्कॉलरशिप देकर और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कराने के लिये इसके अंतर्गत प्रावधान किये गये.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं के क्षेत्र में इस सदन में बहुत सारी बातें कही गई . लेकिन यह बात तो सच है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिये जो जनकल्याणकारी योजनायें प्रारंभ की हैं उनका पूरे देश में, विभिन्न राज्यों की सरकारों ने भी उनकी प्रशंसा की है , केन्द्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी , उस समय की तत्कालीन केन्द्र की सरकार ने मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ और प्रशंसा की है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जननी प्रसव योजना के अंतर्गत किये गये कर्य, जननी एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत महिला को अस्पताल तक ले जाने का काम, उसका प्रसव होने के बाद घर छोड़ने का काम, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत किया गया ऐतिहासिक कार्य लाखों लाख कन्याओं के विवाह इस मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण से संभव हुये हैं, वह भी एक इतिहास है.

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से महिलाओं के शसक्तीकरण की दृष्टि से नौकरी में उनको 50 प्रतिशत तक आरक्षण देने की बात सरकार ने की है और विभिन्न सारे क्षेत्रों में ले जाने के लिये भी हमारी प्रदेश की सरकार ने बहुत बेहतर कार्य किये हैं . माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के खिलाड़ी वर्ग से, सरकार की तरफ निहारते थे, देखते थे और वो कहते थे और विशेषकर गांव में रहने वाले खिलाड़ी जब गांव में हम लोग जाते थे, बात करते थे, लोग कहते थे कि अच्छा मैदान बनना चाहिये, शहरों में तो स्टेडियम हैं लेकिन गांव के अंदर रहने वाले खिलाड़ियों के लिये, गांव के अंदर रहने वाले किसानों के बेटों के लिये खेलने का कोई स्थान

नहीं है. उपाध्यक्ष महोदय, खेल मैदान के लिये स्थान तो आरक्षित किये ही लेकिन इस अनुपूरक बजट के अंदर इनके विकास की दृष्टि से 100 लाख रूपये का प्रावधान इसके लिये किया है. खेल मैदान और स्टेडियम गांव में बनाने के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 1400 लाख रुपये का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है.

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों के क्षेत्र में मध्यप्रदेश पीछे रहता था लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्रीजी ने, प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश उद्योग मंत्रीजी ने हमारे देश समेत बहुत सारे देशों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित किया. उद्योग के क्षेत्र में अधिक से अधिक हमारे प्रदेश को बढ़ावा मिल सके लोग यहां पर उद्योग लगा सके, इसके लिए उद्योग निवेश में 3 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान इसमें किया है.

उपाध्यक्ष महोदय, किसान कल्याण के क्षेत्र में भी 6 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और परिवार कल्याण, आदिवासी क्षेत्र और पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए 4631 लाख रुपये का प्रावधान किया है.

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सरकार विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए निरन्तर अग्रसर हो रही है और उद्देश्य भी यही है प्रदेश का विकास हो, विभिन्न क्षेत्र के लोगों का विकास हो. लोग ठीक तरीके से काम कर सके इसके लिए बराबर कोशिश हो रही है. इस कारण मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं. उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री यहां पर मौजूद हैं. सहकारिता मंत्रीजी नहीं हैं. वैसे तो आपने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है. लेकिन नीचे का जो अमला है उसके क्रियान्वयन में थोड़ी बहुत कमी होने के कारण ढिलाई होने के कारण श्योपुर क्षेत्र के किसानों को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. अभी वर्तमान में वहां जो खाद पहुंचाया जाना चाहिए थे उसके लिए कई बार बात करने के बाद कुछ डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध हुआ है. लेकिन वितरण का प्रबंध ठीक से नहीं हो पाया. मैं मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि श्योपुर क्षेत्र के

किसानों के लिए वितरण की व्यवस्था को ठीक करा दें ताकि किसानों को ठीक समय पर यह खाद उपलब्ध हो जाये और जल्दी से किसान अपनी बोनी कर लें. धन्यवाद.

डॉ रामकिशोर दोगने-- श्री दुर्गालाल जी आपने स्वीकार तो कर लिया कि सरकार समय पर खाद उपलब्ध कराने का काम नहीं कर रही है, उसके लिए धन्यवाद.

श्री सोहन लाल वाल्मिक-- उपाध्यक्षजी, पूरी बात का आखिर में एक लाईन में निचोड़ दे दिया.

उपाध्यक्ष महोदय-- जाकि रही भावना जैसी,प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. मैं आगे सदस्य का नाम पुकारुं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेषकर कांग्रेस पक्ष के सदस्यों से, नाम बहुत सारे हैं. वरिष्ठ सदस्य बोल चुके हैं. 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे. यदि आप ज्यादा समय लेंगे तो मुझे आसंदी से जाना पड़ेगा अध्यक्ष जी आ जायेंगे तो 2-2 मिनट ही मिलेगा.यह सुझाव है.

श्री कमलेश्वर पटेल(सिंहावल)-- उपाध्यक्ष महोदय,अनुपूरक बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं. जैसा कि सरकार कैसी चल रही है सबको पता है चाहे वह सत्ता पक्ष के सदस्यो हों, चाहे विपक्ष के हों. वर्तमान में सरकार से जनता कितने गुस्से में है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से अगर 4 नाम आये हैं यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि आखिर सत्ता पक्ष के साथी लोग बोलेंगे क्या. सबने तय कर लिया हम झूठ नहीं बोलेंगे इसलिए 4 नाम आये हैं. जो 4 बोल रहे हैं उनकी मजबूरी है, मंत्री बनना है, थोड़ा वरिष्ठ हैं. मंत्री की लाईन में है.

श्री राम निवास रावत – उपाध्यक्ष महोदय आप तो स्थायी व्यवस्था कर दें कि जो भी झूठ शब्द का इस्तेमाल करे वहां पर असत्य शब्द पढ़ा जाय.

श्री कमलेश्वर पटेल – माननीय उपाध्यक्ष महोदय बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण विषय हैं केवल पांच दिन का सदन है. ऐसी व्यवस्था की मध्यप्रदेश के मुखिया प्रचार करने के लिए झारखंड में घूम रहे हैं. केवल मंत्रिमण्डल के सदस्य ही नहीं अधिकारी दीर्घा में भी अधिकारी नहीं दिख रहे हैं.

श्री घनश्याम पिरोनिया – यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता का परिणाम है.

श्री कमलेश्वर पटेल – प्रदेश की जनता भूखों मर रही है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही हैं, निराश्रितों का 8 – 8 माह से भुगतान नहीं हो रहा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं. केवल बाउण्ड्रीवाल बना देने से क्या शिक्षा की व्यवस्था सुधर जायेगी. बहुत गंभीर चिंता का विषय है सिंगरौली जिले में

उपाध्यक्ष महोदय – माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि माइक के बहुत करीब मुंह लगाकर न बोलें यंत्र बहुत संवेदनशील लग गया है. आवाज गूंजने लगती है.

श्री कमलेश्वर पटेल – माननीय उपाध्यक्ष महोदय विषय से थोड़ा अलग जा रहे हैं हम सब जो बात कर रहे हैं. सभी लोग गंभीर हैं, सभी लोग चिंतित है सरकार के जो हालात हैं वर्तमान में . गांव के गांव की बिजली काट दी जा रही है. किसानों को बिजली नहीं मिल रही है. सरकार कृषि महोत्सव मना रही है लेकिन दुख तो इस बात का है कि कृषि महोत्सव किसान मनाये किसान को यह महसूस हो कि उसका बहुत अच्छा उपार्जन हुआ है. वह अपना कृषि महोत्सव खुशहाली मनाये तो अच्छा लगता है. सरकारी धन का दुरूपयोग करके जिस तरह से पूरे मध्यप्रेदश में हमने विधान सभा में पूछा था कि प्रदेश में कृषि महोत्सव पर कितना पैसा खर्च हुआ है तो कहा गया कि अभी आंकड़े मंगा रहे हैं.

श्री लाल सिंह आर्य – सरकार के हालात की चिंता के साथ में अपनी कांग्रेस के हालात की चिंता भी करें.

श्री कमलेश्वर पटेल -- देखिये कांग्रेस की चिंता के साथ साथ यह उतार चढ़ाव तो लगा रहता है. आप लोग भी 2 से आज जहां पर पहुंचे हैं तो इसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं है. हमें चुनकर भेजा है, हम जितने लोग हैं जो सही बात है जो मध्यप्रदेश में संकट हैं जो परेशानियां हैं उनको हम उठायेंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहेंगे सत्तापक्ष के मंत्री महोदय से

भी हमारा निवेदन है सत्ता पक्ष के साथियों से भी निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें और सरकार निवारण करने का प्रयास करे. केवल यह कहने से काम नहीं बनेगा. हम यहां पर बिजली की बात कर रहे थे, हम बात करें तो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की बात करें, आज डेंगू और मलेरिया बहुत फैला हुआ है. मलेरिया से हमारे क्षेत्र में 4 मौते हो चुकी हैं. जिला योजना समिति की बैठक में हमने इस बात को उठाया था कि मलेरिया का छिड़काव सड़क पर करके गये हैं उसके बाद में भी प्रशासन नहीं चेता है बाद में स्थिति यह बनी कि 4 लोग मलेरिया से मर गये और फिर बाद में 200 – 300 लोगों का कैम्प लगा रहा है. लेकिन अगर समय रहते स्थितियां सुधर जाती तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती. आज जिस तरह के हालात हैं बिजली की जिस तरह से सबसे बड़ी समस्या है किसान आज आत्महत्या कर रहा है. बिजली के बिल में डबल बिलिंग हो रही है. आज मनरेगा में गरीब लोग मजदूरी करते हैं उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है. दो वर्ष से भुगतान नहीं होरहा है पिछले सत्र में भी हमने मंत्री जी से प्रश्न पूछा था. जंगल विभाग में नर्सरी में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है. उपाध्यक्ष महोदय बड़ी चिंता का विषय है हम बात कर रहे थे शिक्षा विभाग की स्कूलों में 880 बच्चों ने 9 वीं, 10 वीं, 11 वीं 12 वीं के बच्चों ने स्कूल में परीक्षा में बैठने से बहिष्कार कर दिया है प्रशासन उनको मनाने में लगा है.प्रशासन मनाने में लगा है. कारण है शिक्षकों का अभाव. एक भी क्लास नहीं लगी है. अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा में बहिष्कार किया है. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरघा जिला सिंगरौली, इस तरह के हालात है. डॉक्टर आपके पास में है नहीं. सरकार बात करती है कि आओ बनाए अपना मध्यप्रदेश, आपके पास जब अमला नहीं है. पहले आप व्यवस्था बनाइए. माननीय वित्तमंत्री महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है जितना बजट का आवंटन करते हैं, सरप्लस में बिजली बताई थी, आज बिजली लोगों को नहीं मिल रही है.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मुख्यमंत्री जी ने सोन नदी पर नकझर से सिंहावल पहुंच मार्ग पर पुल बनाने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री जी घोषणा का भी कहीं अमल नहीं हो रहा है. बहरी

में सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी. कम से कम मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पर सरकार अमल करे. यह हम निवेदन करना चाहते हैं. इसी तरह से हमारे यहां पर हस्त शिल्प विभाग का एक सिलाई-बुनाई का केन्द्र हटवाखास सिंहावल ब्लाक में था, जिसको बंद कर दिया गया है. उसको भी संचालित किया जाय. यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं.

श्री दिनेश राय (सिवनी) - उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय वित्तमंत्री जी से इस अनुपूरक बजट में निवेदन करूंगा कि हमारे सिवनी विधान सभा क्षेत्र में जो वर्तमान में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि का मुआवजा आज तक नहीं बांटा गया है. लगभग 11 करोड़ रुपए 140 गांवों के बाकी है. मैं निवेदन करूंगा कि उस राशि को इस बजट में लेते हुए वह वितरित की जाय क्योंकि जब भी वहां पर अधिकारियों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि हमें राशि आवंटित नहीं हुई है. मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट में उसे अवश्य जोड़ें क्योंकि भारी आक्रोश हमारे क्षेत्र में है. हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिवनी में जब उनकी सभा हुई है तो छपारा ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने का वायदा किया गया था. वर्तमान में पूरे जिले में भारी आक्रोश है. अभी भी हमारे क्षेत्र के लोग जल समाधि ले रहे हैं. मैं चाहूंगा कि सरकार तत्काल ही नगर परिषद की घोषणा करके उसको इस बार चुनाव में रखे. अभी वहां का चुनाव रोका जाय. अगर चुनाव नहीं रोका जाएगा तो वहां का माहौल बहुत खराब होने जा रहा है. मैं निवेदन करूंगा कि छपारा को हर हालत में नगर परिषद बनाया जाय क्योंकि वायदे के अनुसार वहां की जनसंख्या 20500 है और भी पूरे प्रदेश में कई नगर परिषदें हैं, जो 10000 से लेकर 15000-16000 की जनसंख्या पर बना दी गई. लेकिन वह 20000 से ऊपर की जनसंख्या होने के बाद भी उस ग्राम को आज तक नगर परिषद का दर्जा नहीं दिया गया है. इससे भारी आक्रोश है. जहां तक बिजली विभाग मामला है तो मैं कहना चाहता हूं कि यह देखने में आ रहा है कि जब भी किसानों को वोल्टेज नहीं मिलता तो अधिकारियों का एक ही सीधा जवाब है कि आप किराए से ट्रांसफार्मर लगवा लीजिए. यह सत्यता में बताना चाहता हूं. आपके कर्मचारी चोरी नहीं पकड़ते. वे

चोरी पकड़े. वे वसूली करें. जबकि उसकी सजा तमाम ग्रामवासियों को, किसानों को क्यों दी जाती है? मैं चाहूंगा कि मध्यप्रदेश में चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जो भी विभाग हैं सबमें कर्मचारियों की कमी है. उन कर्मचारियों की आप भर्ती करें. तब जाकर मध्यप्रदेश में हर विभाग की स्थिति सुधर पाएगी, ऐसा मैं निवेदन करता हूं. वर्तमान में जो धान खरीदी हो रही है. बोनस बंद हुआ है उसे सरकार प्रदान करे. उसको इस बजट में रखे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर ग्रामों में 6-6, 7-7 माह से पेंशन नहीं मिल रही है. एक ही बात आती है कि आपके खाते में राशि नहीं आई है. कहीं न कहीं हम यह मान सकते हैं कि सरकार द्वारा उनके खातों में राशि ट्रांसफर न करना ही एक सबसे बड़ा कारण है. उनको राशि मिले. हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज की पूर्व में भी घोषणा हुई है, जिसको प्राथमिकता दी जाय. मिट्टी के तेल की जो बात है. एक तो ग्रामों में लाईट नहीं मिल रही है, ऊपर से कटौती हो रही है और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है. मैं निवेदन करूंगा कि मिट्टी के तेल की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाय. स्कूलों का उन्नयन किया जाय. खनिज विभाग द्वारा हमारे यहां पर अवैध वसूली की जा रही है. उस पर अंकुश लगाया जाय. नलजल योजनाएं हमारे क्षेत्र में बंद पड़ी हैं. गांवों में पानी की समस्या है. मैंने बघेल बागरी समाज के संबंध में विधान सभा में प्रश्न लगाया था, उसमें जवाब मिला था कि हमारे क्षेत्र में जो भी व्यक्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आ रहा है उसको प्रदान कर रहे हैं. महोदय, एक भी व्यक्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है. वहां पर सिर्फ 15 परिवार हैं, उनके ही लोग आते हैं, उनको ही यह प्रमाण पत्र दिया जाता है. उन्हें के वहां पर रिश्तेदार हैं लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है. कहीं न कहीं मेरे विधान सभा के प्रश्न में जो सरकारी तौर से अधिकारियों के द्वारा उत्तर दिया जाता है वह कूटनीतिक, राजनीतिक घुमावदार जवाब मिलता है. इससे कहीं भी संतुष्ट नहीं होते हैं. इस पर अंकुश लगाना चाहिए. जो असत्य जवाब प्रस्तुत किये जाते हैं उसमें कठोर कार्यवाही हो, उनमें जांच हो, मैं निवेदन करता हूं

कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो. हमारे नगरपालिका क्षेत्र सिवनी में जहां पर अतिक्रमण हटाया गया, वहां मुंह देखा हुआ काम हुआ है. जो गरीब टपरे वाले थे, उनको हटा दिया गया और जो बड़ी बड़ी दुकान लिये हुए बैठे हैं ,ट्रेवल्स चला रहे हैं उनका आज तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है. उनके बारे में विधानसभा में प्रश्न पूछा जाता है तो बेदखली का आदेश बता दिया जाता है और कहा जाता है कि हटा दिया गया है. उनका आज तक अतिक्रमण नहीं हटा है. मैं चाहूंगा कि हमारे सिवनी जिला और सिवनी विधानसभा क्षेत्र में कुटीर उद्योग की व्यवस्था चाहता हूं. वहां कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है. इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं. आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद.

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया(दिमनी)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के बारे में यह बताना चाहता हूं , पहले भी मैने बताया था कि योजना तो बहुत अच्छी अच्छी यहां बैठ कर के कागजों पर बनाई जा रही हैं. पर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप विधानसभा क्षेत्रों में जाकर देखें कि योजना कैसी चल रही है. मैने बिजली विभाग के मंत्री जी को एक आवेदन दिया था और उनसे कहा भी था कि मुरैना जिले में, ये कह रहे हैं कि प्रदेश को महान बनाना है. आप गांवों में किसानों की समस्याओं को देखें , किसानों को पानी,बिजली और खाद की जरूरत है. खाद की किल्लत इतनी है कि मुरैना जिले में खाद पुलिस थानों में बंट रही है. पुलिस बटवा रही है, वहां पर भ्रष्टाचार का यह माहौल है कि जो यूरिया की बोरी 300 रूपये में मिलती है उसको 400-450 रूपये में दिया जा रहा है. इसके अलावा गांव में पहले हैण्डपम्प लगते थे तब उनका बजट था एक लाख दो हजार रूपये का अब वही एस्टीमेट साठ हजार रूपये का हो रहा है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई पहले से बढ़ी है कि कम हुई है. अब जैसे ठेकेदार को एक हैण्डपंप का ठेका दे दिया, वे गांवों में गये,बोरिंग की, पहले एक लाख दो हजार का था अब साठ हजार रुपये में. उसका सामान PHE से लिया. उसको बाजार में अच्छे दामों में बेचा और नकली सस्ता सामान खरीद कर डाल रहे हैं. कहां एक लाख दो हजार और कहां साठ हजार. पहले कमिशन पांच

हजार लगता था अब छः हजार लग रहा है. तो क्या ऐसे प्रदेश महान बनेगा? मेरा तो सभी मंत्रियों से निवेदन है कि आप गांव में जाकर जनता से पूछें. किसान को कहते हैं कि वह हमारा अन्नदाता है. तो आप उन किसानों की हालत गांवों में जाकर देखें. मेरा यही कहना है कि खाद , पानी और बिजली की व्यवस्था सुधारी जाय. बिजली के बिल की व्यवस्था यह है कि पहले जो हजार रूपये था उसको अब दो हजार रूपये कर दिया है. यदि कहीं एक DP है और उससे चार कनेक्शन हैं और तीन कनेक्शन वालों का पूरा पैसा भरा हुआ है और एक का बकाया है वो भी भर जाता था, लेकिन दो साल से उसकी फसल नहीं हुई है. सिवनी और अम्बाह में ओलावृष्टि हुई थी वहां पर एक रूपया नहीं बांटा गया है. आप पता कर लेना. वहां पर दस रूपये भी किसी को नहीं दिये गये हैं क्योंकि वहां से दोनों सदस्य बहुजन समाज पार्टी के चुने गये थे. अगर बी.जे.पी. के जीतते तो जरूर पैसा बंटता. मेरा तो यही कहना है कि भेदभाव को छोड़ कर आप जांच करायें. (व्यवधान) वहां से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी ही जीतेगी. उपाध्यक्ष महोदय,मेरा यही निवेदन है कि पानी और खाद की समस्या का निदान करें तो किसान का भला होगा. उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं.

श्री शैलेन्द्र जैन – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूँ और भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा की जो हमारी मूल भावना है, उससे अपनी बात की शुरूआत करना चाहता हूँ. हमारे यहां कहा गया है असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम् गमय. तो हमने अनुपूरक बजट में मुख्य रूप से देखा है कि लगभग 8700 करोड़ रुपये की हमारी ये अनुपूरक मांगें हैं. उनमें लगभग आधी राशि हमने विद्युत व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में खर्च करने का इसमें प्रावधान किया है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंडल का जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, वह 31.03.2014 को समाप्त हो गया लेकिन हमारी प्रोसेस समाप्त नहीं हुई है, हमारी कार्यवाही समाप्त नहीं हुई है. हमने जो सुधारवादी कदम उठाए हैं, उन कदमों के लिए अभी उस योजना को और भी आगे ले जाने की

आवश्यकता थी. इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय वित्तमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को 31.03.2017 तक बढ़ा दिया है. इसमें इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी और सेस की राशि को हमारी इन विद्युत कंपनियों को परपेच्युअल लोन के रूप में देने का प्रावधान है. इससे निश्चित रूप से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1550 करोड़ रुपये की राशि जो है, अनुपूरक मांग में अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान किया गया है. इसी तरह सरदार सरोवर बांध से जो हमारी बिजली का उत्पादन हो रहा था, उस उत्पादन से जो भी राशि, जो भी खर्च आता था, उस खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में लगभग 550 करोड़ रुपये की राशि विद्युत कंपनियों को मिलेगी और परपेच्युअल लोन के रूप में मिलेगी, इससे निश्चित रूप से जो हमारे विद्युत के क्षेत्र में सुधारवादी कदम हैं, उन कदमों को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे. इसके साथ वर्किंग केपिटल, इसके बगैर हमारी विद्युत कंपनियां उतनी सक्षमता के साथ, उतनी दक्षता के साथ काम करने में सक्षम नहीं थी. उसके लिए भी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें यह कंडीशन लगाई गई है, यह सारा परपेच्युअल लोन इस कंडीशन के साथ दिया जा रहा है कि हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस कम होने चाहिए. हमारी रिकवरी अधिक होनी चाहिए और राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो सप्लीमेंटरी बजट है, इस बजट के माध्यम से जो सरकार की दिशा है, सरकार का जो दृष्टिकोण है, उसको प्राप्त करने में हम निश्चित रुप से सफल होंगे. अभी विगत दो दिनों में हमें सुनने में आया कि किसान भाइयों के जो कृषि के पम्प है उनसे अधिक राशि ली जा रही है, हमारी एक धारणा है, हमने कृषि को लाभ का धण्धा बनाने की दिशा में जो क्रांतिकारी कदम उठाये हैं उसकी को हमने आगे बढ़ाते हुए हमने अपने मुख्य बजट में लगभग 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान टैरिफ सब्सिडी के रुप में रखा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सप्लीमेंट्री बजट में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को निश्चित रुप से बधाई देना चाहता हूँ.उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विद्युत के क्षेत्र में कार्य बहुत अच्छा हो रहा

है. विद्युत के क्षेत्र में लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, अच्छे दिन आ गये हैं लेकिन यह जो फ्रेन्चाइजी कम्पनीज हैं, जो प्रायवेट कम्पनीज को यह काम दिया जा रहा है उसके परिणाम बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिन जिन स्थानों पर इस तरह की फ्रेन्चाइजी कम्पनियां काम कर रही हैं उन कम्पनियों ने किस तरह का काम किया, ये कम्पनियां मूलत: लोगों को और अधिक सुविधाएँ देने की दृष्टि से लायी गयी हैं. हम चाहते थे कि कंज्यूमर को और अधिक अच्छी सुविधाएँ, श्रेष्ठ सुविधाएँ प्राप्त हों लेकिन अगर इन कम्पनियों की कार्य पद्धति ठीक नहीं हैं और इन कम्पनियों के माध्यम से अगर जनता में असंतोष हो रहा है तो इनकी सारी कार्यप्रणाली की हमें समीक्षा करनी चाहिए और आगे उनका विस्तार करना चाहिए या नहीं, इस दिशा में भी हमें निश्चित रुप से सोचने की आवश्यकता है. हम देखते हैं कि जो Public grievance के लिए जो सेल बनता है उस सेल में उसी कम्पनियों के 4-6 अधिकारी होते हैं और वे उन समस्याओं का निराकरण तो नहीं कर पाते हैं, एक सा छपाछपाया जवाब दे दिया जाता है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि कहते हैं कि मेरा कातिल ही मेरा मुन्सिब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा. वही फ्रेन्जाइजी कम्पनी है, उन्हीं के अधिकारी हैं, उन्हीं को निर्णय करना है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे में निश्चित रुप से यह अपेक्षा करता हूँ कि आप इस तरह की आसंदी से व्यवस्था करें कि इस तरह का grievance redressal cell बनाया जाए जिसमें जनप्रतिनिधि भी हों,हमारी जो विद्युत कम्पनी है उसके भी प्रतिनिधि हों ताकि जनता की अगर कोई समस्या हो तो उन समस्याओं का निश्चित रुप से सार्थक रुप से समाधान किया जा सके.

उपाध्यक्ष महोदय—माननीय वित्त मंत्री जी, यह माननीय शैलन्द्र जी बहुत अच्छा सुझाव है, इस पर ध्यान देंगे.

श्री शैलेन्द्र जैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद.आपसे यही अपेक्षा है. मध्यप्रदेश की सड़क के मामले में बात करना चाहता हूँ, इस बजट में उन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान सड़कों के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, नयी सड़कों के निर्माण के लिए किया. सागर के चूंकि हमारा बुन्देलखण्ड है, सागर-रेहली मार्ग पर लगभग दो पुलों के निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी है, सप्लीमेंट्री बजट में उन्होंने प्रावधान किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ लेकिन साथ में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले बजट में भी मैंने अपनी यह बात की थी लेकिन इस सप्लीमेंट्री बजट में भी वह बात शायद अछूती रह गयी, सिलवानी-सुल्तानपुर वाली सड़क जो है वह हमारी मुख्य मार्ग से 3 किलोमीटर पहले खत्म हो गयी. अब वह 3 किलोमीटर पहले सड़क खत्म हो जाने से उस सड़क का जो मुख्य उद्देश्य था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है . मैने पिछली बार भी आग्रह किया था कि वह सड़क या तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-86 और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-26 दोनों से अगर जुड़ जाएगी तो हमारी वह सड़क वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए बनायी गयी है उस उद्देश्य की बिलकुल पूर्ति होगी. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन विभाग के जो हमारे अभ्यारण्य हैं उन अभ्यारण्य से लगे हुए जो हमारे गांव हैं उन गांव के पुनर्स्थापन के लिए जो विस्थापित होने वाले परिवार हैं उनके पुर्नस्थापन के लिए भी माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इसमें प्रावधान किया है. इससे हमारे सागर जिले का जो एकमात्र नौरादेही अभ्यारण्य है उसको भी उससे निश्चित रुप से लाभ होगा.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जीपीएफ की राशि के लिए जो 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है वह भी बहुत आवश्यक था. मैं जल संसाधन पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं. हमारे बहुत से बंधुओं इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है. उपाध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र और जिला था लेकिन विगत 9 वर्षों में जिस तरह की सिंचाई योजनाएं आई हैं और उनका जिस द्रुतगति से क्रियान्वयन हुआ है, माननीय मंत्री जी बुंदेलखंड से आते हैं, मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्यासे

जो खेत थे उन खेतों तक आपने पानी पहुंचाने का काम किया है चाहे वह पंचमनगर योजना हो, चाहे अनेक जो योजनाएं हमारे बुंदेलखंड में संचालित हैं निश्चित रूप से उसके लिए भी उन्होंने 265 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक कंसर्न आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सागर की एक बहुत पुरानी परियोजना है, बीना नदी परियोजना, विगत कई वर्षों से उसके क्लीयरेंस वगैरह में कहीं न कहीं ,कोई न कोई व्यवधान है , मैं जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बीना नदी परियोजना अगर शुरु हो जाती है तो पूरे बुंदेलखंड में एक ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा, उस दिशा में निश्चित रूप से मंत्री जी ध्यान देंगे. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक काम माननीय वित्तमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं और मिनी आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं उनका मानदेय बहुत कम था और शासन की अनेक तरह की योजनाएं हैं जिनकी पूर्ति आंगनवाड़ी के माध्यम से की जा रही थी ,ऐसी हमारी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं के मानदेय में हमारे पिछले मुख्य बजट में 2 हजार और 1 हजार रुपये अतिरिक्त मानदेय दिया था उसके लिए इस अनुपूरक बजट में 63 करोड़ का प्रावधान किया है यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है. पर्यटन की बात मैं करना चाहता हूं वर्ष 2003-04 की हम बात करें तो 2 से 5 करोड़ रुपये कुल बजट होता था और मैं माननीय वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट उनका 52 करोड़ रुपये का है, जहाँ पर मुख्य बजट 4 से 5 करोड़ पर्यटन का हुआ था करता था अब अनुपूरक बजट 52 करोड़ का हो रहा है यह प्रशंसनीय है. मैं इस बात के लिए भी मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो एक अल्पसंख्यक समुदाय जैन समाज का है, उसके जैन परिपथ का विकास करने के लिए इस अनुपूरक बजट में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुकेश नायक जी कह रहे थे कि 30 हजार करोड़ से लेकर 90 हजार करोड़ तक लोन हो गया है, कैसे कितना इसका ब्याज हो जाएगा. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टोटल रेवेन्यू पर हमारा जो ब्याज का भार था वह 2003-04 में जहाँ 22.44 प्रतिशत

था, वह आज वर्तमान में घटकर 2014-15 में 6.7 प्रतिशत रह गया है, यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का नतीजा है. आप देखेंगे कि 2003-04 में हमारा बजट का आकार 21 हजार और 22 हजार करोड़ हुआ करता था आज हम 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गये हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जिस तरह से लोन ले रहे हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है. प्रदेश बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और यह कागजों पर नहीं है. उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कृषि कर्मण एवार्ड हो, चाहे जीडीपी का मामला हो, जीडीपी के मामले में भी देश में सबसे तेजी से बढ़त हुई कोई अर्थव्यवस्था है तो वह मध्यप्रदेश की है. मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें यह लाइनें समर्पित करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कभी विकास नहीं किया, जिन लोगों ने कभी योजनाएं नहीं बनाई वह किस चीज का विज्ञापन करेंगे, आज अगर हमारी योजनायें बन रही हैं , आज अगर हम विकास कर रहे हैं , उन योजनाओं को अगर हम विज्ञापित कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ***"मंजिल मिल ही जाएगी मुश्किल ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं."***आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत- बहुत धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय-- धन्यवाद शैलेन्द्र जी. अब इसके बाद जितने माननीय सदस्य बोलेंगे मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि दो मिनिट से ज्यादा कोई समय नहीं लेगा. अपने सुझाव आप दे दें.

श्री बाला बच्चन-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो हम भी बोलेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय-- बाला जी, हमारी भी मजबूरी देखिए.

श्री बाला बच्चन-- लेकिन इधर आपने भरपूर टाइम दिया. आपने बीच में टोका तक भी नहीं. अब 5 से भी आप 2 मिनिट पर आ गए तो इस पर तो आपको विचार करना पड़ेगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- बाला जी, आप बहीखाता देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, रामनिवास रावत जी ने 26 मिनिट लिए, महेन्द्र सिंह जी कालूखेड़ा ने 14 मिनिट लिए, मुकेश

नायक जी ने 16 मिनिट लिए, कमलेश्वर जी ने 7 मिनिट लिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यशपाल सिंह जी ने 25, राजेन्द्र पाण्डेय जी ने 9, शैलेन्द्र जी ने 13, अब यह है बहीखाता... (व्यवधान)..बैठ जाइये, न्याय यही कहता है..(व्यवधान)..

श्री बाला बच्चन-- मेटर ही उनके पास इतने टाइमिंग का होगा...(व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय-- विधेयक भी आने हैं, अनुपूरक बजट पास करना है. बैठ जाइये. अब जो भी माननीय सदस्य बोलेंगे सिर्फ दो मिनिट और अपने सुझाव रखेंगे. श्री जितू पटवारी जी, बोलिए.

श्री जितू पटवारी(राऊ)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने कम से कम 2 तो बोला 1 बोल देते तो शायद धन्यवाद देकर बैठना पड़ता.

वन मंत्री (डॉ.गौरीशंकर शेजवार)-- आपको पटवारी नहीं समझा इसलिए....

उपाध्यक्ष महोदय-- मैं तो इनको कमिश्नर मानता हूँ.

श्री जितू पटवारी-- उपाध्यक्ष महोदय, जो टोकाटाकी हो उसका समय आप काटते जाना. बाकी मैं 2 मिनिट में बोल दूंगा.

उपाध्यक्ष महोदय-- जी हाँ काटेंगे. आपको 2 मिनिट मुकम्मिल मिलेगा.

श्री जितू पटवारी-- आदरणीय शैलेन्द्र जैन जी ने जितने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी, शेरो-शायरी के साथ अनुपूरक बजट के पक्ष में बात रखी. हम विपक्ष के सदस्य हैं इसलिए स्वतः कहा जाता है या बोलना पड़ता है पर जब बात आती है कि हम प्रदेश को कैसे अच्छा करें, किस तरीके से और बजट में प्रोविजन हो कि हम लोगों को और प्रदेश को फायदा हो जाए और कैसे हमारी विधानसभाओं में और मध्यप्रदेश के हर वर्ग को फायदा हो इसके लिए अगर अपनी बात रखनी हो तो मैं समझता हूँ कि 2 मिनिट काफी नहीं है उपाध्यक्ष जी....

उपाध्यक्ष महोदय-- आप मुख्य बजट पर बोलिएगा.

श्री जितू पटवारी-- इसके लिए 5 मिनिट मुझे चाहिए. मैं आप से अनुरोध यह करना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से बिजली को लेकर जितने बजट का....

उपाध्यक्ष महोदय-- जितू जी, आप आसंदी की व्यवस्था का सम्मान करें. आप यह नहीं कह सकते कि हमें इतना चाहिए.

श्री जितू पटवारी-- देंगे तो कृपा होगी.

उपाध्यक्ष महोदय-- जो कुल समय है चर्चा के लिए उसको बाँटने में काँग्रेस पक्ष को सिर्फ 35 मिनिट मिलते हैं. भारतीय जनता पार्टी को 1 घंटा 47 मिनिट मिलता है. देख लीजिए मेरी मजबूरी.

श्री जितू पटवारी-- उपाध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि मैंने कहा है कि अगर देंगे तो कृपा होगी.

उपाध्यक्ष महोदय-- नहीं, क्षमा करें. मुझे सहयोग करें, आसंदी का सहयोग करें.

श्री जितू पटवारी-- आदरणीय, मेरा आप से अनुरोध यह है कि जिस प्रकार से बिजली को लेकर या ऊर्जा को लेकर जो प्रोविजन इस अनुपूरक बजट में रखा गया है वह लगभग पूरे बजट का आधा है और जिस तरीके से बिजली कंपनियों को सरकार जो सब्सीडी देती है और जितना किसानों से पैसा टेंप्ररी कनेक्शन में और परमेनेंट कनेक्शन में लिया जाता है, मैं समझता हूँ उसकी भागीदारी इस सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में 700 गुना बढ़ा दी गई है. जिस तरीके से मध्यप्रदेश में टेंप्ररी कनेक्शन कंपलसरी 4 महीने कर दिए, कंपलसरी रहने पड़ेंगे जिसको 11000 से 15000 रुपये तक एक किसान को देना पड़ता है. मैं समझता हूँ इस सरकार द्वारा यह अनुचित कृत्य किया गया है. इसमें भी ये सोच-विचार करें और फिर से किसान को जब भगवान मानते हैं, किसान की सेवा करना चाहते हैं, किसान के हक में रहना चाहते हैं और उसके विपरीत अपने काम करते हैं, मैं समझता हूँ यह ठीक नहीं होगा.

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से विधायक निधि का वित्त मंत्री जी ने इसमें प्रोविजन 70 लाख रुपये किया है वह बहुत कम है. मैं समझता हूँ अन्य राज्यों में सारे बीजेपी के भी विधायक इससे सहमत होंगे कि अन्य राज्यों में एक करोड़, डेढ़ करोड़, दो करोड़, तक भी है तो मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि विधायक निधि अगर बढ़ाएँगे तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधियों का

सम्मान होगा, उसके क्षेत्र की जनता का भी सम्मान होगा (मेजों की थपथपाहट) मैं इसके साथ वित्त मंत्री जी से एक और बात का अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं सारी बातें ऐसी कहूँगा जिसमें आपको और सरकार को सहायता मिले. कोई आलोचना नहीं या किसी प्रकार की ऐसी बात जिससे आपको बुरा लगे वह शायद मैं न कहूँ. पर इतना जरूर कहूँगा कि हम उन्नत कृषि कल्याण के लिए, कृषि विकास के लिए, जो आपने धन आवंटित किया है, खाद की कमी है, यूरिया की कमी है, बिजली की कमी है, महँगी बिजली है, सब तरह से महामारी और हम कृषि महाउत्सव मनाएँ हैं उसमें कितना पैसा खर्च किया और उसका कितना इनपुट-आउटपुट, कितना लाभ किसान को, सरकार को और प्रदेश को हुआ है इस पर अगर एक बार समीक्षा होगी और फिर से इस बात को कहा जायेगा तो ज्यादा बेहतर होगा. जेल के लिये जो राशि आवंटित हुई है, खंडवा में सिमी के 6 आतंकवादी भाग गये थे जेल के कुप्रबंधन के कारण आज पूरे देश में रेड अलर्ट हुआ है कि उन आतंकवादियों के कारण देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है. मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि जेल की व्यवस्था ठीक करें इंदौर में, महू में जेल के अन्दर हत्या हो चुकी है. यह कोशिश करें कि आतंकवादी कम से कम न भागें ऐसी व्यवस्था करें इसमें धनराशि यदि आप बढ़ा भी देंगे तो हम लोग आपके साथ खड़े हुए दिखेंगे.

उपाध्यक्ष महोदय, जनसम्पर्क विभाग की जो राशि आवंटित हुई है इसमें मुख्यमंत्रीजी और इनकी सरकार विज्ञापन के माध्यम से आमजन तक ले जाने के लिए पूरा प्रॉवीजन किया गया है. किसानों की फसल खराब हो गई तो मुख्यमंत्री के विज्ञापन, किसानों को मुआवजा देना है तो मुख्यमंत्रीजी के विज्ञापन, फसल खराब हुई तब तो विज्ञापन दिए ही फसल का मुआवजा देना था तब भी विज्ञापन दिए. पर दुख तब हुआ जब गेहूं का बोनस देना था तब बड़े-बड़े विज्ञापन दिए और जब बोनस खत्म कर दिया उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है. व्यापम का भी विज्ञापन दे देते उसका भी प्रॉवीजन कर दो तो ज्यादा बेहतर होगा.

उपाध्यक्ष महोदय, एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विवेकानंद जी तो हूं नहीं कि 2 मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त कर दूं. जैसा कि मुकेश नायक जी ने कहा था और शैलेन्द्र जैन जी ने उस बात को फिर से रिपीट किया था. यूपीए की सरकार थी 38 हजार करोड़ पिछले वर्ष मिला था अभी मोदीजी की सरकार के रहते हुए 28 हजार करोड़ प्रॉवीजन हुआ जिसमें से 20 हजार करोड़ रुपये आए. मुख्यमंत्रीजी से मेरा अनुरोध है मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ विपक्ष के जो हमारे अभी नेता हैं उनसे अनुमति लेकर मुकेश नायक जी ने जो बोला है उसका साथ देते हुए. पूरा विपक्ष मुख्यमंत्रीजी के साथ धरने पर बैठने को तैयार हैं और टेंट का पैसा भी विपक्ष देगा. मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे प्रदेश का हक नहीं मिल रहा है इसलिये मोदी सरकार के विरुद्ध हम एकजुटता के साथ मिलकर धरना दें, अनशन पर बैठें, दिल्ली चलें, प्रधानमंत्री का घेराव करें तो भी हम आपके साथ हैं. (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह गुणवान—(XX)

(व्यवधान) मोदी जी महान हैं, सात समुन्दर पार उनकी गूंज हो रही है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—जितू पटवारीजी कृपा करके बैठ जाएं. (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—दादा आप तो मेरे रिश्तेदार के नाते बैठ जाओ दस बार समझा दिया है अगली बार हरवा दूंगा नहीं तो. (व्यवधान) मेरा आप लोगों ने बड़ी विनम्रता से अनुरोध है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—झूमा सोलंकी जी क्या आप नहीं बोलना चाहती हैं (व्यवधान) जितू पटवारी जी कृपा करके बैठ जाएं, यह गलत है, अब आपका व्यवधान वाला भी समय समाप्त हो गया है, अब बैठ जाएं आप, आपके बहुत अच्छे सुझाव आ गए हैं धन्यवाद. अब आप बैठ जाएं.

श्री जितू पटवारी—आखिरी बीस सेंकड बोलना चाहता हूँ. (व्यवधान) अगर आनंद न आ जाये, बीस सेकंड (व्यवधान) यशपाल जी..(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—कांग्रेस के साथ आपने धोखा किया है आपके रिश्तेदार को आपने चुनाव जिताया है यह रिकार्ड बोल रहा है.

श्री जितू पटवारी—जितनी भी बातें मैंने कहीं समय कम होने के कारण ढंग से प्रजेन्ट नहीं कर पाया हूं पर यह बात सच है कि मेरा रोम-रोम में प्रदेश के विकास के लिए और आपके सहयोग के लिए है विपक्ष में जरुर पर मध्यप्रदेश जैसा विकास करे उसके साथ दिखूंगा. मेरा आपसे अनुरोध है विपक्ष की बातें इतनी कड़वी न लगे इसको मीठा लेकर इसको ग्रहण करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, जय भारत, जय हिन्द.

उपाध्यक्ष महोदय—आपकी पंच लाइन आखिरी में आ गई.

श्री रणजीत सिंह गुणवान—पटवारी जी आप बार-बार कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार हम रिश्तेदार नहीं हैं क्या आपके. (हंसी)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—आपने इनको चुनाव कैसे जितवा दिया यह बताओ सदन को.

श्रीमती झूमा सोलंकी (भीकनगांव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निमाड़ से हूं भीकनगांव मेरा क्षेत्र है पूरा निमाड़ मिर्ची की फसल के लिए विख्यात है और मिर्ची मंडी बेड़िया क्षेत्र में है वहां पर इस वर्ष बहुत ज्यादा मिर्ची खराब हुई है इससे किसानों की कमर टूट गई है इसका सर्वे भी हो रहा है सर्वे में अधिकारी यह कह रहे हैं कि मिर्ची की फसल को आपदा में नहीं लिया जाएगा.वायरस के होने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और मैं चाहती हूं कि आपदा में इस फसल को शामिल किया जाए और किसानों को इसका मुआवजा मिले । उपाध्यक्ष महोदय, इस बीमारी को भी आपदा में लिया जाए क्योंकि यह नयी बीमारी है और किसान लोग उसका भारी नुकसान के किसान लोग मानते हैं। साथ ही बिजली का जो भारी प्रचारप्रसार हो रहा है कि 24 घंटे बिलजी मिल रही है वास्तव में यह कहीं भी नजर नहीं आती है। हमारे किसान भाईयों को यदि बिजली मिलती है तो वह किसानों को जो भारी नुकसान बिजली से हुआ है, उसकी भरपाई वह अपनी गेहूं की बुआई में कर सकते हैं। बिजली की अभाव में और फिर खाद की बुआई में यदि किसी

किसान ने अपनी गेहूं की फसल बोई तो उसको खाद नहीं मिल रही है। किसान की सब दूर से तोड़ दी गई है। इसलिये मैं चाहती हूं कि किसानों को खाद मिले इसलिये मैं चाहती हूं कि किसानों को खाद मिले, एक बात और मैं रखना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र नर्मदा सागर की परियोजना जिसकी नहर हमारे पास से जा रही है, किन्तु हमारे पास से जो साठ गांव है बड़े-बड़े काश्ताकार हैं ,किन्तु पानी केअभाव में अपनी फसल नहीं ले पा रहे हैं । इस उद्वहन नहर के माध्यम से 71 परियोजनाएं हैं , वहां से नहरे निकाली जाएं । ताकि किसानों को वहां से पानी की सुविधा मिल सके।

[(04.45 बजे) माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये भी जरूरी है कि नर्मदा प्राधिकारण के द्वारा 1975 के पारित अनुसार मध्यप्रदेश को 2511 घनमीटर नर्मदा जल आवंटित कर 2024 तक उपयोग के निर्देश दिये गये हैं। यदि हम इस पानी का उपयोग नहीं कर पाये तो यह पानी अन्य प्रदेशों को आवंटित हो जायेगा । जिससे प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी, किसानों को सुख-समृद्धि मिले यह संभव नहीं हो पायेगा इसलिये इन परियोजनाओं को बजट में लाना जरूरी होगा। आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विगत एक साल में यहां पर यह अनुभव हुआ है कि अगर क्षेत्र में विकास कराना है वह या तो प्रेम से या तगड़ा विरोध करके । विगत एक सालों में मैंने कई मंत्रियों को कई पत्र दिये कई योजनाओं के बारे में बताया और मुझे उम्मीद थी कि क्षेत्र में जो विकास की मूलभूत सुविधाएं हैं वह सुवासरा विधान सभा को मिलेगी। परन्तु आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत एक सालों में मैंने जो बड़ी योजनाएं मांगी वह क्षेत्र को इसलिये नहीं दी गयी , कि शायद में कांग्रेस पार्टी से जीतकर आया,वहां पर जनता किसी पार्टी की नहीं होती हैं वहां पर सभी प्रकार की जनता होती है, चाहे वह बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो।

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया:- हरदीप जी वहां पर कालेज की सुवासरा में कालेज की घोषणा के बाद आपने विज्ञापन दिया और आपका स्वागत हुआ है।

श्री हरदीप सिंह डंग :- उसका धन्यवाद मैंने मुख्यमंत्री जी को दे दिया है। मैं माननी जल संसाधन मंत्री जी बैठे हैं ,यहां पर सुवासरा विधान सभा में बहुत कम वर्षा हुई है, वहां पर चारों तरफ नदी होने के कारण नदियों में थोड़ा बहुत पानी है मैं कई दिनों में मांग कर रहा हूं कि वहां पर और कई तालाब बनाये जाए । एक बाकली और एक बंजारीका तालाब है ,जो इतनी बड़िया स्थिति है और तो और जो निजी भूमिस्वामी है, वह भी अपनी जमीन देने को तैयार है और वह मुआवजा नहीं मांग रहे हैं और फ्री जमीन दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप अगर यही दो तालाब और यदि बाद में और भी स्वीकृत कराये तो अच्छी बात, मगर यह बंजारी और बागली का जो तालाब है इसको शीघ्र स्वीकृत करायेगें तो बहुत मेहरबानी होगी। सड़कों की हालत जो मैंने एक बार कहा था, यहां पर पीडब्ल्यू मंत्री जी बैठे हैं मात्र एक सड़क जो मैंने कहीं थी जो कुरावन से लेकर हरीपुरा तक, यदि आप उसको अनुपूरक बजट में ले लेते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी और आज तक मनरेगा की राशि में कई मजदूरों क भुगतान बाकी हैं, उन्होंने जो खेत सड़क योजना में काम किया था, उसका आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। आज तक भुगतान नहीं हो पाया है जिसके कारण सरपंच और सचिव धरने पर बैठे हैं और आने वाले दिनों में वह भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं. अस्पतालों में हमारे यहां एक भी महिला डाक्टर नहीं हैं पूरे विधान सभा क्षेत्र में तो लेडी डाक्टर की स्वीकृति प्रदान करें तो अच्छा होगा. एक यूरिया का मामला है उसे मैं जो यूरिया पर चर्चा होगी उसमें मुझे बोलने का मौका दें और अजा बस्तियों में एक रुपये भी आज तक नहीं मिला है. आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री सुखेन्द्र सिंह बना(मऊगंज) – माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपूरक बजट पर मुझे बोलने का अवसर मिला उसके लिये धन्यवाद. जैसे हमारे सदस्यों ने अनुपूरक बजट के विरोध में अपनी बात कही उससे मैं अपनी सहमति जताते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि खासकर जैसे बिजली मुद्दे पर बात हुई उसी तरीके से हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी हर जगह ट्रांसफार्मर उखाड़े जा रहे हैं. किसानों को जेल भेजा जा रहा है. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि राधेश्याम गुप्ता

जिसको उसी केस में एक बार जेल भेजा गया उसके बाद वह जेल से किसी तरह अपनी राशि जमा करके वापस आया और फिर उसे दूसरा केस बनाकर जेल में भेज दिया गया. इस तरह से बिजली विभाग में अनियमितता की जा रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी चीजों पर अंकुश लगाया जाए. किसानों को परेशान न किया जाए. इस अनुपूरक बजट में हमने अपने विधान सभा क्षेत्र में चार रोडों का प्रस्ताव भेजा माननीय सरताज सिंह जी नहीं हैं उन्होंने कहा कि बजट नहीं है. तो इस अनुपूरक बजट में उनको जोड़ जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी. स्वास्थ्य विभाग के बारे में मैं अनुरोध करना चाहूंगा मेरा क्षेत्र रीवा जिले में हैं. मेरे विधान सभा क्षेत्र को रीवा जिले के बराबर जिला स्तर का होना चाहिये लेकिन जिला नहीं बन पाया. वहां एडीशनल एस.पी.बैठते हैं और एडीशनल कलेक्टर को बैठने का आदेश है जबकि जिला स्तर का मामला है लेकिन उस स्तर की सुविधाएं वहां नहीं है तो वहां जिला स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये मेरा आपसे अनुरोध है.

डॉ.रामकिशोर दोगने(हरदा) – माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के विरोध में मैं बोलना चाहता हूं. सरकार ने जो बजट रखा है उस बजट के प्रावधानों को देखा जाए तो यह प्रदेश के विकास के लिये नहीं है. यह विनाश के लिये है और भ्रष्टाचार के लिये है. जैसे कृषि की बात आई तो हमारे यहां यूरिया और डीएपी की मारामारी चल रही है. इस प्रदेश की स्थिति देखें तो महिलाओं को लाईन में लगकर यूरिया लेना पड़ रहा है. यह हरदा की स्थिति है. मुझे नर्मदा में जल सत्याग्रह करना पड़ रहा है इसके बाद डीएपी और यूरिया मिल रहा है तो यह बजट की बात हम कर रहे हैं और बजट में जो प्रावधान होते हैं वह पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार में चला जा रहा है. हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं कोई योजनाओं में पैसा नहीं जा रहा है. मैं बताना चाहता हूं कि हमारे हरदा क्षेत्र में 37 लाख रुपये का चना सरकार ने सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीदा है जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ है. 5-6 महिने हो गये. किसान परेशान है. किसान को पैसा टाईम से नहीं मिल रहा है. सोसायटियों के माध्यम से खाद बांटा जा

रहा है. दो-दो,पांच-पांच बोरी खाद बांटा जा रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूं बिजली और खाद की समस्या प्रदेश की मूलभूत समस्या है. हमारे हरदा जिले में दीवाली के दिन बिजली नहीं दी गई है. दीवाली के दिन मुझे धरने पर बैठना पड़ा और सात घंटे के बाद बिजली नहीं दी गई. दीवाली अंधेरे में लोगों ने मनाई तो ऐसी व्यवस्था अगर सरकार चला रही है तो कौन सा विकास कर रही है. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिजली की जो व्यवस्था है एक जिले में मुश्किल से 3 ,4 करोड़ रुपये बाकी होगा. पचास जिलों में अगर देखें तो दो सौ करोड़ से ज्यादा बाकी नहीं होगा.

200 करोड़ रूपये से ज्यादा बाकी नहीं होगा. यह 8 हजार करोड़ रूपये का बजट है अगर 200 करोड़ रूपये बाकी है उसमें भी बिजली काटी जा रही है. सरकार किसानों के 200 करोड़ रूपये को पटा दे किसानों की समस्याओं को देखते हुए, उनकी फसल पैदा नहीं हो रही है, सोयाबीन पैदा नहीं हो रहा है. तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि सरकार बजट के साथ में हर आदमी का, आम आदमी का, मजदूर का, किसान भाईयों का और सभी का ध्यान रखते हुए काम करे तो निश्चित ही हमारे प्रदेश का विकास होगा आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान बजट 2014 का मैं विरोध करता हूं चूंकि इस अनुपूरक बजट में जो प्रावधान रखा गया है कुल 8 हजार 9 करोड़ 67 हजार रूपये का चूंकि विरोध करने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिये विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है, परन्तु जिस तरीके से सुबह हमारे नेता माननीय रामनिवास रावत जी ने जिस तरीके से बात रखी उससे सरकार को पूरे तरीके से अपना आईना दिखाया यह सरकार जिस गलतफहमी में चल रही है और गलतफहमी में अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है वह एकदम गलत है. आज जो परिस्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है उससे सदन के सदस्यगण भी उसको भलिभांति जानते हैं वह अपनी अंतर-आत्मा से इस बात को पूछें आज हमारे क्षेत्र के अंदर क्या हालात हैं तो यह हम सबको समझ में आ जायेगा कि किन परिस्थितियों में हम नेतृत्व कर रहे हैं

जनप्रतिनिधि होने के नाते किन कठिनाईयों से हम लोग गुजर रहे हैं आज गंभीर समस्या पूरे क्षेत्र के अंदर बिजली की है. जब बिजली के अनेक संकट आये लगातार हमारे क्षेत्र के गांवों के किसान बिजली से तंग आकर मुझसे हर बार बोलते हैं तो जब मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा करता हूं तो कोई सीधा जवाब नहीं दे पाता है. जब हमने बहुत ज्यादा दबाव बनाने की बात की तो नियामक आयोग का आदेश बता दिया गया जहां पर 60 प्रतिशत से ज्यादा बिल जिस गांव और खेत में पटे होंगे वहां पर बिजली का प्रावधान रखा जाएगा, वहां पर बिजली दी जाएगी अन्यथा बिजली काट दी जाएगी इस तरीके से सरकार किसानों की भलाई की बात करते हैं एक तरफ किसान को कहते हैं कृषि का लाभ का धन्धा बनाएंगे, लाभ का व्यवसाय कैसे बनेगा जब सरकार के इस तरीके के नियम जा रहे हैं उसमें किसानों को जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिये वह सुविधाएं किसानों को नहीं मिल पाएंगी तो क्या किसान कृषि का लाभ का धन्धा बनाएगा, यह एक गंभीर समस्या हमारी वर्तमान स्थिति में आ रही है. अभी आपने देखा हमारे सदस्यों ने जो बात रखी भले ही हमारे चार सदस्यों ने बोला तथा सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने तरीके से बात रखी, क्योंकि उनका कर्तव्य बनता है कि सरकार में बैठे हैं तो वह अपने तरीके से बात रखेंगे, परन्तु सचाई यह है कि जिस तरीके से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं क्षेत्र में घूमते हैं तथा क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं वह पूरी सचाई इस सदन के माध्यम से रखना चाहते हैं और सरकार को मानना चाहिये यदि विपक्ष कोई बात बोल रहा है और यदि कोई सदस्य सरकार का ध्यान दिला रहे हैं वह कोई सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं हम कहते हैं कि प्रदेश के विकास एवं प्रगति के लिये हम भी उसमें भागीदार हैं, परन्तु सरकार की नीतियों के कारण यह सारे कार्यों में अड़चने जा रही हैं मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में भी काफी गंभीर समस्याएं हैं एक मंधान डेम का विषय है माननीय पीएचई मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं. मंधान डेम का निर्माण कर दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2011 में इसकी घोषणा की मंधान डेम का निर्माण किया गया जब मैंने इसमें प्रश्न लगाया तो उत्तर में बोला कि 2014 से कार्य शुरू होगा, लेकिन आज तक कार्य चालू नहीं

हो पाया है, यह मेरे क्षेत्र की विकराल समस्या है लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पार रहा है मैं जनता का क्या जवाब दूंगा और किस मुंह से खड़ा होऊंगा मुझे सदन के अंदर झूठा बोला जाता है तो मेरी गंभीरता को तो आप समझिये तो मैं क्या छोड़ दूं, इस्तीफा दे दूं .

अध्यक्ष महोदय—आप कुछ मत करिये आप तो अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाईये.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—अध्यक्ष महोदय, हमारी वेदना कहां पर बोलेंगे, किसको बोलेंगे और किसके पक्ष में जाकर के बोलेंगे जनता हमारी बात सुनना नहीं चाहती, क्योंकि वह तो काम चाहती है.

चौधरी चन्द्रभान सिंह—यह तो आपकी पार्टी के कारण ही लेट हुआ था.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—हमारी पार्टी के कारण लेट नहीं हुआ है.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप लोग कृपया बैठ जाईये.

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

कार्यसूची के पद 7 में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

श्री बाला बच्चन (राजपुर) --माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से 8651 करोड़ 67 लाख 32 हजार रूपये की राज्य की सिंचित निधि से मांग की है कि हमें सरकार चलाने के लिये और सरकार की व्यवस्थाओं के लिये दी जाये, मैं उसका विरोध करता हूं और विरोध इसलिये करता हूं कि मेरे दल के सम्मानित साथियों ने बहुत गंभीरतापूर्वक बातें यहां पर रखी हैं कि इसके पहले जो बजट दिया गया सरकार को, उस बजट में किस तरह की अव्यवस्थाएं हुई हैं उसका उल्लेख हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने किया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो बजट ले रही है उस पर मुझे एक कहावत जो चरितार्थ हो रही है, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं " ऋणम कृत्वा, घ्रतम पित्वा" ऋण लेकर घी पीने जैसी कहावत

इस पर चरितार्थ होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि एक वर्ष में दोगुना वित्तीय घाटा बढ़ा है मध्यप्रदेश सरकार का. अगस्त, 2013 में 4245 करोड़ रूपये घाटा था वह अगस्त, 2014 में बढ़कर 8552 करोड़ रूपये हो गया है. वित्तीय स्थिति सरकार की बहुत दयनीय, बहुत खराब है और मुझे नहीं लगता है यह जो वित्तीय स्थिति उत्पन्न हुई है मैं समझता हूं कि यह जो चुनौती सामने उत्पन्न हुई है, सरकार उससे निपटने के लिये मुझे गंभीर नहीं दिखती है. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों ने उल्लेख किया है जो वित्तीय घाटे का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसमें जो कमियां आनी चाहिये, कमी का अनुमान जो लगाया था सरकार ने वह लगभग 3 परसेंट तक का था और अब इस प्रथम अनुपूरक बजट के बाद वह 3 से बढ़कर लगभग पौने छह से छह परसेंट तक हो जायेगी, जो एक चिन्ता का विषय है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये. माननीय वित्त मंत्री जी जब बोलेंगे, तब मैं समझता हूं कि इस बात का वह उल्लेख करेंगे. इतना ही नहीं जो केन्द्रीय करों में मध्यप्रदेश का हिस्सा बनता है, उससे हमें 2400 करोड़ रूपये अनुमान से कम मिला है. हमें जो मिलना चाहिये था, उससे 2400 करोड़ रूपये कम मिले हैं. मैं समझता हूं कि सरकार ने इसके लिये प्रयास नहीं किया है या फिर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को जानबूझकर नहीं दिया होगा क्योंकि ऐसा कभी भी यूपीए की सरकार वन और टू में नहीं हुआ था, बराबर हिस्सा राज्य राज्य सरकारों को मिलता था.

श्री गोपाल भार्गव--डीजल पेट्रोल के भाव कम होंगे, तो केन्द्रीय करों में हिस्सा कम ही आयेगा.

श्री बाला बच्चन--हमें बोल लेने दीजिये गोपाल भाई, फिर हम बात कर लेंगे. ऐसे ही जो राजस्व का अनुमान लगाया था मध्यप्रदेश का, उसमें भी एक हजार करोड़ रूपये कम हुए हैं, तो 3400 करोड़ रूपये तो इस तरह से ही कम हो जाते हैं, उसके बाद भी बात यहीं समाप्त नहीं होती है. सरकार की जो स्थिति है, यह सब तमाम कारणों के बावजूद भी सरकार मध्यप्रदेश की स्थापना के लिये, कृषि मेलों के लिये और उसके बाद ग्लोबल समिट के लिये सरकार ने अभी तक जो खर्च

किया है, खर्च करने के और भी जो दूसरे आपने तरीके अपनाये थे, एक साल में लगभग 5 हजार करोड़ रूपये खर्च कर डाले हैं सरकार ने और हमें जो चुनकर जनता भेजती है, हम लोग चुनाव में जो वायदे करते हैं सड़क के, बिजली के, पानी के, अस्पताल और स्कूल भवनों के उन पर आपने 5 करोड़ से अधिक राशि न निकाली जाये, उसके लिये आपने वित्त विभाग की परमिशन के लिये आदेश दे दिये हैं, उससे हमारी प्रदेश की नवनिर्माण और विकास की स्थिति भी चरमरा गई है इसलिये मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि बजट तो पास होना ही है, लेकिन कम से कम इस तरह की पुनरावृत्ति सरकार न करे, इस बात की ओर भी ध्यान दे. हम लोग फील्ड में घूमते हैं, तो यह भी देखने को मिलता है कि विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, महिला पेंशन, यह पेंशन समय पर 10-10 महीने से नहीं दी जा रही है.

अध्यक्ष महोदय -- आप कितना समय लेंगे.

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है.

अध्यक्ष महोदय -- अभी बहुत समय हो गया है. पर मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूं. मैं तो पूछ रहा हूं कि आप कितना समय लेंगे.

श्री बाला बच्चन -- अध्यक्ष महोदय, अभी इस वर्ष के अंत तक यह जो घाटा 24481 करोड़ के आस पास पहुंचना है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के साथियों ने जो यहां पर मुद्दे रखे हैं. वित्त मंत्री जी, आपको फिर प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों के माध्यम से यह सदन जो इतनी बड़ी राशि देने जा रहा है, तो हमारे सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, अपने अपने फील्ड से, अपनी अपनी विधान सभाओं से संबंधित नव निर्माण और विकास से संबंधित, आप उन सबको ध्यान में रखते हुए इस राशि को सही कामों में खर्च करें और प्रदेश को फिर तरक्की एवं उन्नति की ओर ले जाने के लिये बात तो आप करते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी सारी चरमरा जाती हैं. जब हम फील्ड में पहुंचते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है. तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए विधान सभा के नियंत्रण में जो सरकार होना चाहिये, विधान सभा जो कानून बनाती है, बजट पास करती है

और सरकार को भी नियंत्रित करने का जो काम विधान सभा करती है. तो आज हम फिर जो पास कर रहे हैं, इसमें मैं इस बात की उम्मीद और अपेक्षा करता हूं कि चाहे इस सदन का कोई भी सदस्य है, जिन्होंने चिंता जाहिर, प्रकट की है, उन तमाम चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नव निर्माण और विकास, अच्छे कामों के लिये राशि आपको जो मिलने जा रही है, उस पर आप खर्च करें. ऐसी मैं उम्मीद और अपेक्षा वित्त मंत्री जी से और सरकार से करता हूं. अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) -- अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की व्यवस्था है. विगत् जुलाई,2014 में प्रदेश का मुख्य बजट विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था. प्रदेश के मुख्य बजट में कुल विनियोग की राशि रुपये 1 लाख 29 हजार 1 करोड़ थी. जुलाई,2014 से अभी तक परिस्थितियों में बदलाव के परिणाम स्वरुप निम्न लिखित कारणों से अनुपूरक लाने की आवश्यकता पड़ी है. पहला, आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किये जाने हेतु. कतिपय अप्रत्याशित अनिवार्य एवं प्रतिबद्ध स्वरुप के व्यय के प्रावधान किये जाने हेतु. शासन की प्राथमिकता वाली नई योजनाओं व नवीन मदों से व्यय का प्रावधान किये जाने के साथ ही केन्द्र प्रवर्तित केंद्र क्षेत्रीय एवं अन्य स्त्रोतों की योजनाओं से संबंधित एवं राज्य शासन के अंश का प्रावधान करने के लिये.

अध्यक्ष महोदय, इस प्रथम अनुपूरक अनुमान में राज्य की संचित निधि से लगभग रुपये 8651 करोड़ की राशि मांगी गई है. इस अनुपूरक अनुमान में राज्य पर पड़ने वाला शुद्ध अतिरिक्त भार लगभग रुपये 7688 करोड़ होगा. प्रथम अनुपूरक अनुमान का यह आकार मुख्य रुप से विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये वित्तीय पुनर्संरचना की अवधि 3 वर्ष बढ़ाने के परिणाम स्वरुप हुआ है. कुछ ऐसी मदें हैं, जिन पर व्यय के लिये पुनर्नियोजन द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी. ऐसी मदों के लिये केवल प्रतिकात्मक प्रावधान किया गया है. विधान सभा के समक्ष रखे गये प्रथम अनुपूरक अनुमान में आयोजनेत्तर मद के प्रवधानों का उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहता हूं. प्रदेश की विद्युत वितरण

कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना योजना 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गयी थी. राज्य शासन ने वित्तीय पुनर्संरचना योजना को 31 मार्च,2017 तक के लिये बढ़ा दिया है. नवीन वित्तीय पुनर्संरचना योजना में राज्य शासन ने विद्युत वितरण कम्पनियों को सुधारात्मक सुझाव तथा राजस्व वसूली में वृद्धि ए.टी. एंड सी.एल. (एग्रीगेट टेक्नीकल एंड कामर्शियल लॉसेस) हानियों का स्तर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक लाने, कलेक्शन एफीशियेंसी को बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे कि प्रदेश की विद्युत कम्पनियां वित्तीय रुप से साध्य हो सकें. वित्तीय पुनर्संरचना की अवधि में वृद्धि के फलस्वरुप विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एकत्रित की जा रही विद्युत शुल्क तथा उपकर की राशि को सतत् ऋण में परिवर्तन किया जाना है. यह प्रयोजन हेतु बजट में रूपया 1550 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित विद्युत देयकों की देनदारियों को भी सतत ऋण में परिवर्तन करने हेतु रूपया 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है. विद्युत वितरण कंपनियों को टैरिफ सबसीडी की प्रतिपूर्ति का दायित्व राज्य शासन का है . इन दायित्वों की पूर्ति के लिये राशि 1200 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है. विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये रूपये 550 करोड़ का प्रावधान कार्यशील पूंजी के रूप में रखा गया है. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना के तहत रूपये 160 करोड़ का प्रावधान किया गया है. धान पर अधिरोपित क्रय कर के भुगतान हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के लिये रूपये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. आयोजनेत्तर मद में उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त राज्यमार्गों, मुख्य जिला मार्गों के नवीनीकरण, उन्नतिकरण एवं डामरीकरण हेतु रूपये 90 करोड़ तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु रूपया 60 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन के समक्ष कुछ आयोजना मद में किये जा रहे प्रावधानों का उल्लेख करना चाहता हूं. जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्ष 2016 में उज्जैन नगरी में सिंहस्थ का आयोजन होना है. राज्य शासन ने सिंहस्थ के आयोजन हेतु रूपये 200 करोड़

का प्रावधान प्रथम अनुपूरक अनुमान में किया है. प्रदेश में सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु भी इस बजट में प्रावधान किया गया है. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण सड़कों सहित के तहत रूपये 150 करोड़ मुख्य जिला मार्गों के लिये रूपये 105 करोड, वृहद पुलों के निर्माण हेतु रूपया 75 करोड़ , ग्रामीण सड़कों के निर्माण - नाबार्ड के द्वारा रूपया 65 करोड़ एमपीआरडीसी के माध्यम से सड़कों के निर्माण हेतु रूपया 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है . प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बजट में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं . बांध तथा संलग्न कार्य हेतु रूपया 150 करोड़ , नहर तथा इससे संबंधित निर्माण कार्य हेतु रूपया 125 करोड़, लघु एवं लघुतम सिंचाई योजना हेतु रूपये 125 करोड़ तथा एआईबीपी की योजना के लिये रूपये 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त मुख्य प्रावधानों के अतिरिक्त इंदिरा आवास योजना हेतु रूपया 197 करोड़ स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान हेतु रूपया 163 करोड़ ,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रूपया 118 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु रूपया 71 करोड़ तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु रुपया 66 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है. प्रदेश के आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे अतिरिक्त मानदेय हेतु भी इस बजट में रूपया 63 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्तियों एवं वृत्तियों हेतु रूपये 53 करोड़ तथा शालाओं में शोचालयों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिये रुपया 50 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है. मेरे द्वारा यहां पर कुछ प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया गया है. इन प्रावधानों के अतिरिक्त अति-आवश्यक अन्य मदों को शामिल करते हुये राज्य की संचित निधि से रूपया 8651.68 करोड़ की मांग की जा रही है. इन मांगों में से रूपया 247.76 करोड़ की राशि स्वीकृत बजट से समर्पित होकर के प्राप्त होगी.

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार एवं अन्य स्त्रोतों से राशि रूपये 715.97 करोड़ उपलब्ध होगी. इस प्रकार समर्पित होने वाली राशि एवं भारत सरकार एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि को समायोजित करने के उपरांत राज्य पर पड़ने वाले शुद्ध भार रूपया 7687.95 करोड़ होगा.

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्यों ने राज्य शासन की आर्थिक स्थिति के बारे में अलग अलग चर्चा की , अलग अलग तरह से अपने आंकड़े देने की कोशिश की है और कुछ ऐसे भी आंकड़े दिये जो सत्य से बहुत दूर हैं या किसी चीज की तुलना किसी चीज से करना है तो वो किसी और चीज से कर रहे हैं. स्थापना व्यय की तुलना जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने की, आयोजनेत्तर व्यय के साथ की जबकि उसकी तुलना राजस्व आय की वसूली के साथ उसकी तुलना होती है. मैं यहां पर सभी लोगों के सामने जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसके बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं.अध्यक्ष महोदय, सदन को राज्य की वास्तविक वित्तीय स्थिति से अवगत कराया जाये इसके लिए सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता महसूस करता हूं कि राज्य की स्थिति निरन्तर उत्साहजनक बनी हुई है एवं हमारी सरकार राज्य की प्रत्येक जरुरतों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में सक्षम है. राज्य की वित्तीय स्थिति का प्रबल संकेतक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है. वर्ष 2003-04 में जहां यह 1 लाख 2839 करोड़ रुपये था वहीं इस वर्ष 2014-15 में 4 लाख 49 हजार 851 करोड़ रुपया अनुमानित है.

श्री रामनिवास रावत—मंहगाई कितनी बढ़ी. महगांई से जरा जोड़ दें. इसकी तुलना उस समय से कर लें.

श्री जयन्त मलैया—इसी तरह जीएसडीपी की तुलना में वर्ष 2003-04 में राज्य का कुल ऋण 33.71 प्रतिशत था और वर्ष 2014-15 में यह घटकर 22.37 प्रतिशत हो गया है.

श्री मुकेश नायक—यह आप एक वर्ष का बता रहे हैं या टोटल लोन रेशों बता रहे हैं?

श्री जयन्त मलैया—सुन लीजिए. राज्य शासन द्वारा लगातार वर्ष 2006-07 से मध्यप्रदेश राज्यकोषीय घाटे की सीमा में रहकर कार्य किया जा रहा है. वर्ष 2013-14 में राज्यकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 2.5 प्रतिशत ही रहा है. राज्य विगत 10 वर्षों से निरन्तर राजस्व आधिक्य में हैं तथा ओवरड्राफ्ट भी नहीं लिया गया है. (मेजों की थपथपाहट) राज्य द्वारा नकद तरलता का कुशलता पूर्वक प्रबंध किया गया है. हमारे कुछ साथियों ने यहां पर चर्चा में बताया था कि माह सितम्बर के अंत में कोषालयों में देयकों में भुगतान की रोक लगी थी. ऐसा नहीं था. अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोषालय से देयकों के आहरण में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रही. सितम्बर 2014 के तीन कार्य दिवसों में यह निर्देश अवश्य दिये गये थे कि इस अवधि में वेतन देयक प्राप्त किये जायें. इस कारण माह अक्टूबर के प्रारंभिक दिनों में शासकीय राशियों के परिणाम स्वरुप शासकीय सेवकों के वेतन भुगतान में विलम्ब की स्थिति नहीं बनी.

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती थी. 3 अक्टूबर को दशहरा था. 4 अक्टूबर को आधा कार्य दिवस था. 5 अक्टूबर को रविवार और 6 अक्टूबर को ईद थी. अध्यक्ष महोदय, हमने 5 करोड़ रुपया रखा है. एक तो पीडी अकाऊंट में कोई पैसा नहीं रहेगा. राज्य सरकार के खजाने में पैसा रहेगा. दूसरा जो हमने काम किया है कि आप वेतन का भुगतान अगर 5 करोड़ रुपये से अधिक का है तो वह वित्त विभाग की सहमति लेकर करें. इस तरीके से राज्य में हमने नकद तरलता का कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया है. सदन को मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश द्वारा लिया गया संपूर्ण निर्णय जैसे पहले 2003-04 में 35 हजार करोड़ रुपया था आज हमारे ऊपर 90 हजार करोड़ रुपया का व्यय है. यह पूरी की पूरी राशि हमने संपूर्ण ऋण हमने पूंजीगत आस्तियों यथा सड़क, अधोसंरचना,सिंचाई, बिजली और पानी के क्षेत्रों में विकास और निर्माण में खर्च किया है.

अध्यक्ष महोदय, राज्य के लिए लिये गये ऋण पर ब्याज भुगतान जैसा कि हमारे साथी शैलेन्द्र जैन जी ने

बताया था कि 2003-04 में राजस्व प्राप्तियों का यह 22.4 प्रतिशत होता था. अब 2014-15 में घटकर राजस्व प्राप्तियों पर जो हम ब्याज देते हैं वह 6.70 हो गया है.

श्री मुकेश नायक—अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी आप एक वर्ष का बता रहे हैं महाराज. सदन को गुमराह मत करिये. कुल ब्याज और कुल कर्ज और उसके अनुपात में जाने वाला प्रत्येक वर्ष का ब्याज है उसको बताईये ना.

श्री शैलेन्द्र जैन—अध्यक्ष महोदय, यह डिबेट में जाने के लिए स्वतंत्र है लेकिन टोका टाकी करना ठीक नहीं है.

श्री जयन्त मलैया—मैंने आपको बताया कि 90 हजार से घटकर 36.79 प्रतिशत रहना अनुमानित है. व्ययों पर नियंत्रण के साथ साथ राज्य के स्वयं के करों की आय में वृद्धि करने में हमारी सरकार सफल रही है. यह आय वर्ष 2003-04 में 6805 करोड़ रुपये थी जो 2014-15 में बढ़कर 38990 करोड़ रुपये हो गई. मुझे लगता है कि इस सबसे हमारे सम्मानीय सदस्यों के भ्रम खत्म हो गये होंगे. वित्तीय स्थिति हमारी पूरी ठीक है. सब नियंत्रण में है. यह बात सही है कि हमारी वित्तीय तरलता पिछले वर्ष जितनी थी इस वर्ष इसलिए नहीं रही कि इस वर्ष हमने किसानों के हित में लगभग 13 हजार करोड़ रुपया खर्च किया है उसमें से 3 हजार करोड़ रुपया सिर्फ अतिवृष्टि, ओला वृष्टि और फसल बीमा पर खर्च किया है. मैं एक निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमारा राज्य पहली बार क्रेडिट रेटिंग में ए माइनस हुआ है.

श्री कमलेश्वर पटेल—माननीय मंत्रीजी जब सब अच्छा हो रहा है तो मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करा दीजिए. जब सब अच्छा चल रहा है तो मजदूरों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है. मजदूर परेशान है.

श्री गोपाल भार्गव—पैसा जारी कर दिया गया है.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,37, 39,40,41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58,59,60, 62, 63, 64, 66, 67, 72, 73, 74 76,77 एवं 78 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ हजार नौ करोड़ सड़सठ हजार रूपये की अनुपरक राशि दी जाय.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय – आज की कार्य सूची के पद 7 के उप पद 11 तक का कार्य पूर्ण होने तक के लिए सदन के समय में वृद्धि की जाय.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

05.01बजे. **शासकीय विधि विषयक कार्य**

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक7) विधेयक, 2014 (क्रमांक 26 सन् 2014)

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया) -- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2014(क्रमांक 26 सन् 2014) का पुर:स्थापन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक,2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2014 पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 तथा अनूसूची इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 7) विधेयक 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 7) विधेयक 2014 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रेदश विनियोग (क्रमांक 7) विधेयक 2014 पारित किया जाय

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014

श्रम मंत्री (श्री अंतर सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय मैं मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री अंतर सिंह आर्य – अध्यक्ष महोदय मैं मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक 2014 का पुर:स्थापन करता हूं.

मध्यप्रदेश ौद्योगिक नियोजन(स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014

श्रम मंत्री (श्री अंतर सिंह आर्य) – अध्यक्ष महोदय मैं मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री अंतर सिंह आर्य – अध्यक्ष महोदय मैं मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश संशोधन विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन करता हूं.

रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जयंत मलैया) – अध्यक्ष महदोय मैं रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय मैं मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन करता हूं.

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जयंत मलैया) – अध्यक्ष महोदय मैं भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय मैं भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2014 का पुर:स्थापन करता हूं.

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जयंत मलैया) – अध्यक्ष महोदय में मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय मैं मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन करता हूं.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान(संशोधन) विधेयक,2014

परिवहन मंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह) – अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान(संशोधन) विधेयक,2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय - प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान(संशोधन) विधेयक,2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री भूपेन्द्र सिंह - अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान(संशोधन) विधेयक,2014 का पुर:स्थापन करता हूं.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज(संशोधन) विधेयक,2014

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) – अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज(संशोधन) विधेयक,2014 के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज(संशोधन) विधेयक,2014 के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाय.

अनुमति प्रदान की गई.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज(संशोधन) विधेयक,2014 का पुर:स्थापन करता हूं.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक,2014

उच्च शिक्षा मंत्री(श्री उमाशंकर गुप्ता) – अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक,2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक,2014 पर विचार किया जाय.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर) - अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक,2014 प्रस्तुत किया गया है. मैं समझता हूं कि शायद ही ऐसा कोई सत्र रहता हो, जिसमें निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक नहीं आता हो? एक बार व्यवस्था बना लें. बार-बार व्यवस्था बदलकर जो निजी विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार,उनकी मंशा के अनुरुप क्यों ऐसा करना चाहते हैं? इसको क्यों लाते हो?

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा हो तो कर लें.

श्री रामनिवास रावत - चर्चा ही तो कर रहे हैं. यह आप किसके लिए लाये हैं? चर्चा के लिए ही लाये हैं. उसमें संशोधन क्या है, उसे पहले देख तो लें. उसमें मूलतः खण्ड 1 में यह संशोधन किया गया है. संशोधन का मुख्य उद्देश्य, निजी विश्वविद्यालय स्थापना के लिए जो व्यक्ति आते हैं तो पूर्व का अधिनियम है उसमें उसकी अधोसंरचना के लिए एक समय सीमा दी हुई है. समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करता है तो शायद व्यवस्था है कि उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी या उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा. उसे एक वर्ष तक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार यह संशोधन विधेयक लेकर आई है. जब कोई निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है तो पूरे फंड की स्थिति, वह इनफ्रॉस्ट्रक्चर कितने समय में बनाएगा, यह स्थिति सरकार के सामने प्रस्तुत करता है. उसके बाद वह क्यों असफल रहता है और असफल रहने के बाद क्या ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि आप उसे एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति देने के लिए संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं? इसमें भी इन्होंने दो संशोधन

किये है, खण्ड 1 में 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष स्थापित किये जायं. मतलब पहले 1 वर्ष तक की अनुमति दी जाती थी कि 1 वर्ष में आप इनफ्रॉस्ट्रक्चर पूरा करें. अब उसके बाद उसमें भी आप समय बढ़ा रहे हैं. दोनों संशोधन एक ही साथ कर रहे है कि 1 वर्ष के स्थान पर जब आपके पास आएगा तो उसकी कंडीशन यह होगी कि आप 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष में अपना इनफ्रॉस्ट्रक्चर पूरा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें. उसके बाद खण्ड 2 में कि 2 वर्ष में भी वह असफल रहता है तो राज्य सरकार उसे 1 वर्ष का और समय दे सकती है. आप 3 वर्ष परमिशन देने के बाद बिना इनफ्रॉस्ट्रक्चर के आप निजी विश्वविद्यालय चलाना चाहते हैं? कम से कम यह व्यवस्था तो करें कि जो भी आपके पास निजी विश्वविद्यालय के लिए आता है, अच्छे कोर्सेस लाता है, हम मना नहीं कर रहे हैं. आप खोलना चाहेंगे तो खोलेंगे, अनुमति देंगे. लेकिन इनफ्रॉस्ट्रक्चर कम से कम पहले पूरा करें. एक समय सीमा हो. पहले जब 1 वर्ष समय सीमा तय की गई थी, उसके बाद उसे 2 वर्ष कर रहे हैं और 2 वर्ष में भी वह असफल रहता है तो उसे 1 वर्ष की और सीमा बढ़ाने की अनुमति देने का अधिकार राज्य सरकार ले रही है. ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हो सकता है कि कोई निजी विश्वविद्यालय वाले होंगे, उनको फायदा देने की नीयत से यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है. बाकी जो अनुसूची में जोड़ने वाला काम है, सरकार का काम है अनुमति देना. अनुसूची में जोड़ने के लिए विधान सभा में लाने का जो काम है, मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं है. आप अनुमति देते हैं, केवल सूचना भर सदन को दे दिया करें, लेकिन मैं इसका इसलिए विरोध करता हूं कि यह उच्च शिक्षा से संबंधित मामला है और बिना इनफ्रॉस्ट्रक्चर तैयार किये, उसका समय बढ़ाना उचित नहीं है कि 3-3 वर्ष तक आप बिना इनफ्रॉस्ट्रक्चर के परमिशन देने के बाद विश्वविद्यालय चलाने जैसी स्थिति तैयार करें, यह उचित नहीं है. 1 वर्ष की पूर्व से जो व्यवस्था है, उसी को बना रहने दें तो ज्यादा उचित होगा. जो मंत्री जी द्वारा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं.

श्री मुकेश नायक (पवई) - अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी शिक्षा क्षेत्र के आने वाला जो संशोधन विधेयक है, उसका प्रभाव हमारे शैक्षणिक अनुशासन पर कैंपस कल्चर

पर, परिसर की संस्कृति पर और जो हमारा सिलेबस है, उसके कंटेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है. इसको ध्यान में रखकर हमें कोई भी संशोधन विधेयक सदन में लाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो संदेश यह जाता है कि जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास क्षमता है, जो इमारत बना सकते हैं, जो फर्नीचर ला सकते हैं, कम्प्यूटर ला सकते हैं, भौतिक लक्ष्य अर्जित कर सकते हैं, सरकार उनके हित में बात कर रही है.

अध्यक्ष महोदय, पिछली दफे जब शिक्षा की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई थी तो माननीय मंत्री महोदय ने बहुत आशा जगाई थी कि शिक्षा और खास तौर से सिलेबस मेंस में होने वाले जो प्रयोग हैं, वे ज्यादा प्रासंगिक होंगे. रोजगार और समझ से ताल्लुक रखेंगे. किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जो सिलेबस है और जो टीचर है, रिसोर्स पर्सन है, इन दोनों का समन्वय सबसे महत्वपूर्ण होता है. लेकिन 1 वर्ष में सदन में आश्वासन देने के बाद भी माननीय मंत्री जी ने इन 2 चीजों पर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि जिन शिक्षकों की कमी है वह पूरी की जाएगी. रिसोर्स पर्सन को फिल किया जाएगा.सिलेबस में इस तरह के परिवर्तन किये जाएँगे ताकि पढ़ने वालों में समझ विकसित हो और रोजगार के अवसर निर्मित हों. इन दोनों का समन्वय कहीं एक वर्ष में दिखायी नहीं देता. रिसोर्स पर्सन की रिक्तता को भरने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया. देखिये, आप प्रयत्न कर रहे हैं , मैं आपको निराश नहीं करना चाहता. लेकिन यह सदन इस बात के लिये उत्तरदायी है कि हमारे प्रदेश के पढ़ने लिखने वाले नौजवानों का भविष्य क्या है, आपने यह वचन दिया था कि बायो इन्फर्मेटिक, जेनेटिक साईन्स, इन्टरनेशनल माईनिंग और मार्केटिंग, इन्टरनेशनल फूड सेन्स एण्ड कुकिंग इस तरह के विषयों का समावेश आप अपने सिलेबस में करेंगे. दूसरा, आपने यह आश्वासन दिया था कि पूरे भारत में विदेश के लोग पढ़ने नहीं आते हैं जबकि अमेरिका में,इंग्लैण्ड में दुनिया के सारे देशों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उसका केवल एकमात्र कारण है कि जो विदेश के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी की अनिवार्यता है, जो आधार पाठ्यक्रम की अनिवार्यता उनके लिए है उस पर आप पुनर्विचार करेंगे,उसका युक्तियुक्तकरण करेंगे और एक

रेशनल डिसीजन लेंगे कि दुनिया के सारे देशों के बच्चे हमारे यहां पढ़ने के लिए आएँ, एक ऐसा शिक्षा का परिसर मध्यप्रदेश में बने. लेकिन जब आप निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक ला रहे हैं , उनको विश्वविद्यालय बनाने के लिए समयावधि बढ़ा रहे हैं, उनको ज्यादा अवसर दे रहे हैं कि अब वे विश्वविद्यालय बना लें, लायब्रेरी बना लें,अपने कम्प्युटर सेन्टर बना लें. इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें,क्लास रूम बना लें. जहां आप उनको ये अवसर दे रहे हैं. तो आप कम से कम उसके सिलेबस और उसके कन्टेन्ट में एक रिलेवन्ट इस तरह के चेन्जेस करें ताकि रोजगार के अवसर हों और समझ विकसित हो और कम से कम एक विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश में ऐसा हो जहां दुनिया के सारे विद्यार्थी आकर अपनी शिक्षा हमारे प्रदेश में ले सकें. धन्यवाद.

श्री उमाशंकर गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, श्री रामनिवास रावतजी शायद ओवरलोडेड हैं क्योंकि वे शायद उस कन्टेन्ट को पूरा समझ नहीं पाये हैं. उन्होंने जो बात कही है कि जिनके लिए हम यह समय बढ़ा रहे हैं उनको कोई विश्वविद्यालय शुरू करने की अनुमति नहीं दी और न वह विश्वविद्यालय चलेगा. केवल जो सिम्बायसेस पूना और इस प्रकार की बड़ी कम्पनियां उनको जमीन के लेने देने में , सरकार की तरफ से कुछ विलंब हुआ , इसके बाद नियम यह हो गया है ,उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी खुल रही हैं ,इनके MOU के बाद, उनको यही दो साल का समय और यही टर्म लागू है. केवल इनका MOU पहले हो गया था और उसमें टाईम केवल एक साल था जो बाद में बढ़ा कर सबके लिए कर दिया गया लेकिन क्योंकि उनका पहले हो गया था इसलिए उन पर लागू नहीं हो रहा था और ये अच्छी संस्थाएं हैं उनको ही बाकी के समान समय देने के लिये, और जब किसी को हम ये समय एक साल से दो साल दे रहे हैं जो बाकी को दे चुके हैं. उसमें भी कोई वे विश्वविद्यालय शुरू नहीं कर पाते. ये सारी व्यवस्था करने के बाद ही शुरू कर पायेंगे. लेकिन आप और हम जानते हैं कि कई बार जमीनों को लेने देने और बाकी समस्या के कारण विलंब होता है इसलिये ये व्यवस्था ला रहे हैं . ये नियम पहले से बाकी लोगों पर लागू हो गया है. पिछली दो

यूनिवर्सिटीज जो रह गई थीं जिनका MOU हुआ था और बड़ी रेप्युटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए यह संशोधन आया है. और माननीय मुकेश नायक जी जो बात कह रहे हैं..

श्री रामनिवास रावत- वो बात तो इन्फ्रास्टक्चर की है ना?

श्री उमाशंकर गुप्ता- लेकिन आप कह रहे थे कि उनको शुरू कर दिया और बनाने का मौका दे रहे हो, ऐसा नहीं है. यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई है. वो कर लेंगे तभी हम उसको शुरू करने की अनुमति देंगे. ये भ्रम अगर है तो इसको निकाल दें.

श्री रामनिवास रावत- जमीन आवंटन के बाद ,समय किस बात के लिए दे रहे हो. दो साल पहले जमीन आवंटित कर चुके हो आप.

श्री उमाशंकर गुप्ता- उस पर इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए. उसी में विलंब हुआ है रावत जी. आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप कन्टेन्ट से हट कर बात करेंगे. कोई युनिवर्सिटी अभी चालू नहीं हुई है और न होगी. जब तक वह सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर लेंगे. माननीय मुकेश नायक जी ने जो बात कही, मुझे याद है , और हमने उससे प्रोसेस भी शुरू किया है और माननीय मुकेश जी आप शिक्षा मंत्री रहे हैं , यूनिवर्सिटीज और पाठ्यक्रम में बदलाव के लिये महामहिम राज्यपाल जी के समन्वय समिति में सारी बातें जाती हैं , हमने हमारी तरफ से सारा पक्ष वहां रखा है और धीरे धीरे जो बातें हमने इस सदन में कही हैं उनको निश्चित रूप से पूरा करेंगे. इस प्रदेश में शिक्षा का स्तर ठीक हो, अधिक से अधिक विद्यार्थी आ सकें. यहां एजूकेशन हब बने इसके लिये हम कृतसंकल्पित हैं,उसमें कुछ विसंगतियां हैं उनको भी दूर करेंगे, आपके भी सुझाव लूंगा ,क्योंकि आपका भी बड़ा अनुभव है.

श्री उमाशंकर गुप्ता – और भी जो लोग हैं, उनका भी अनुभव लूंगा. इसलिए कहीं इसमें कोई यह व्यवस्था नहीं है. कोई भी निजी विश्वविद्यालय जब हम खोलते हैं तो हमारी मंशा बड़ी साफ है कि प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय को खोलते समय हम संशोधन विधेयक लेकर हाऊस के सामने आते हैं और उनकी अनुमति लेने के बाद ही किसी निजी विश्वविद्यालय को खोलने की

अनुमति देते हैं. यह व्यवस्था इसलिए बना के रखी है कि केवल हमारे स्तर पर कोई निर्णय न हो, हाऊस में आकर ये निर्णय हो, इसलिए संशोधन विधेयक लाए हैं और मुझे लगता है कि अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए और एक अच्छे काम के लिए सर्वसम्मति से इसको पारित किया जाए.

श्री गौरीशंकर शेजवार – माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जो पूर्व मंत्री सफल रहे हों, उनके ही अनुभव को ग्रहण करें बाकी इनके अन्य प्रकार के कई ऐसे अनुभव हैं, उनसे आप दूर रहें.

श्री बाला बच्चन – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सिंम्ब्यासिस यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया है. यह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो क्या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अपने यहां पर लगेगी ?

अध्यक्ष महोदय – माननीय मंत्री जी का उत्तर पहले ही आ गया है तो परंपरा नहीं है.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खंड 2,3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

खंड 2,3 तथा 4 इस विधेयक के अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

श्री राम निवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? क्या यह क्रमांक-10 सन् 1949 का विधेयक पूरा निरसित कर दिया गया है ? अगर पूरा निरसित कर दिया गया है तो इसमें निरसन शब्द कहीं नहीं आया है. केवल 1949 के स्थान पर 2012 आप करने जा रहे हैं, इसको जरा स्पष्ट कर दें.

श्री जयंत मलैया – अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा कि मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 4 में प्रावधान है कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 4 से 9 यथास्थिति में उपकर अधिनियम में लागू होंगे. मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 को दिनांक 25.04.2012 को निष्प्रभावी करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 लागू किया गया था. नए अधिनियम का नाम बदल दिए जाने से तथा इनकी धाराओं को संदर्भ बदल जाने से मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 4 निष्प्रभावी हो जाती है, जिसके माध्यम से विद्युत शुल्क अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का ही उपयोग उपकर की वसूली के लिए किया जाता है. अत: उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 4 में शब्द तथा अंक क्रमांक 10 सन् 1949 के स्थान पर (क्रमांक 17 सन् 2012) स्थापित किया जा रहा है. इसके साथ ही धारा 3 ख से 9 के स्थान पर धारा 4 से 11 तथा 13 स्थापित किया जा रहा है.

अध्यक्ष महोदय—अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

वित्त मंत्री(श्री जयंत मलैया)—अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ मध्यप्रदेश उपकर(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश उपकर(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश उपकर(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(11) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि(संशोधन)विधेयक, 2014

श्रम मंत्री(श्री अंतर सिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि(संशोधन)विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि(संशोधन)विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि(संशोधन)विधेयक,2014 माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है. अभी तक मैं समझता हूँ इससे सभी बड़े उद्योगों, लघु उद्योगों, मध्यम उद्योग और सूक्ष्म उद्योग सभी के लिए यह लागू होता था. शायद मंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि सूक्ष्म उद्योगों को इससे पृथक कर अलग से व्यवस्था की जाय कि सरकार उनको अलग से विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए दे सकें और सूक्ष्म उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके. इसमें अगर इस तरह का पूरा स्पष्ट कर दें कि अगर इस तरह का है तो हमें इस विधेयक से कोई आपत्ति नहीं है.

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ. नरोत्तम मिश्र)—रामनिवास जी नहीं होते तो कांग्रेस का क्या हाल होता. एक जरा भी नहीं है जो बोल सके. सारे विषय पर अकेले को सम्हालना पड़ रहा है बेचारे को, एकला चलो रे हो गया है.

श्री रामनिवास रावत—सभी जानते हैं और सभी बोलते हैं.

राज्य मंत्री,चिकित्सा शिक्षा(श्री शरद जैन)(एडव्होकेट)—कांग्रेस में एक ही विद्वान है.

पशुपालन मंत्री(सुश्री कुसुमसिंह महदेले)—अध्यक्ष महोदय, इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाना चाहिए.

राज्यमंत्री,सामान्य प्रशासन(श्री लालसिंह आर्य)—रामनिवास रावत जी में नेता प्रतिपक्ष की झलक मिलती है.

श्री शरद जैन(एडव्होकेट)- आप तो लालसिंह को धन्यवाद दो.

श्री रामनिवास रावत—किस बात की?

श्री शरद जैन(एडव्होकेट)- आपका प्रमोशन कर रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- मैं उससे कह दूं केबिनेट मंत्री बना दो, कोई बना देगा.

श्री शरद जैन(एडव्होकेट)—आप आवेदन तो लिख के दो, हम लोग विचार कर लेंगे. (हंसी)

श्री यशपालसिंह सिसोदिया(मंदसौर)—माननीय अध्यक्ष जी,श्रम कल्याण के क्षेत्र में यह जो संशोधन लाया गया है, मैं माननीय मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, रावत जी के बोलने के बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं क्योंकि उन्होंने भी अन्तर्मन से इसका समर्थन तो कर ही दिया है फिर भी अनावश्यक परेशानियों से बचने के लिए सरलीकरण करने के लिए जो 14 सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम के अधीन जोड़ा गया है, पंजी, भुगतान पंजी, अतिकाल पंजी, आदि पंजियों को रखने को लेकर के जो एक व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है इससे कठिनाइयां दूर होंगी, विशेषकर के कम्प्यूटराइज युग में और डिजीटल फार्मेट को जिस

प्रकार से इसमें जोड़ा जा रहा है, संधारित किया जा रहा है, वास्तव में विधेयक स्वागत योग्य है और इसके माननीय मंत्री जी को पुन: बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद.

श्री दुर्गालाल विजय(श्योपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि(संशोधन) विधेयक, 2014 का मैं समर्थन करता हूँ,अच्छी बात है. बहुत सारी जटिलताएँ, बहुत सारी कठिनाइयां, ऐसे सूक्ष्म उद्योगों को उठानी पड़ रही थीं. कई बार इन जटिलताओं और कठिनाइयों के कारण से उनका शोषण भी हो रहा था. इस शोषण को रोकने की दृष्टि से बार बार विवरणी और जानकारी देने का जो मामला रहता था उसको रोकने की दृष्टि से और ऐसे स्थापनाओं को, जिसमें 9 से अधिक कर्मकार काम करते हैं उनमें बारम्बार इंस्पैक्टर और बहुत सारे अधिकारी लोग, पहले की व्यवस्थाओं के अनुरूप जिन विवरणियों को बार-बार और दोहरे तरीके से दो-दो, तीन-तीन बार देना पड़ता था उनकी रुकावट के लिए यह अधिनियम लाया गया है, वास्तव में यह बहुत प्रशंसनीय है मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और ऐसी छोटी इकाईयों को जिन्हें अपना कामकाज करने के लिए बहुत सरलता होनी चाहिए और सुविधाजनक तरीके से वह अपना काम कर सके इसके लिए जो यह अधिनियम पेश किया गया है मैं इसका समर्थन करता हूं . माननीय अध्यक्ष महोदय , इसको पारित किया जाये.

श्रम मंत्री(श्री अंतर आर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2014 यहाँ संशोधन के लिए लाये हैं, यह छोटे जो उद्योग हैं, छोटी जो स्थापनायें हैं जिनको कानून का कई प्रकार का पालन करना पड़ता है अनेकों प्रकार के रजिस्टर रखने पड़ते हैं, 61 रजिस्टर रखना पड़ते हैं . जो जानकारी शासन और विभाग की होती थी, वह भी अनेकों रजिस्टरों के अंदर भरना पड़ती थी इसलिए हम मध्यप्रदेश का जो श्रम कानून है उसमें संशोधन कर रहे हैं ताकि इस संशोधन होने से जो 25 लाख तक के जो उद्यमी हैं या स्थापना है, इनको छूट मिलेगी और व्यवसायों को इसका लाभ मिलेगा.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक , 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2,3, तथा 4 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री अंतर सिंह आर्य-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि(संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि(संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि(संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ,

विधेयक पारित हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2014 को प्रातः 10.30 बजे तक के लिए स्थगित.

अपराह्न 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 11 दिसम्बर 2014(20 अग्रहायण, शक संवत् 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल,
दिनांक :10 दिसम्बर 2014

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा